तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ५८

बुधवार, ३ मई, १९६३
१३ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित* प्रश्न संख्या ११५२, ११५४, ११५५, ११५७ से ११६२ और ११६४ से ११६७ ५८२५--५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ५८५१--५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५३, ११५६, ११६३ और ११६८ से ११७६ ५८५५--६२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६७५ से २७०७ और २७०९ से २७१२ ५८६२--७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ५८७८

झारखंड कोयला खान में हुई दुर्घटना

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८७९

याचिका का उपस्थापन ५८७९

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक ५८८०--८९

विचार करने का प्रस्ताव

श्री मनुभाई शाह ५८८०--८२

खंड २ से १८ और १

पारित करने का प्रस्ताव ५८८२

श्री मनुभाई शाह ५८८२--८७

श्री सिंहासन सिंह ५८८७--८८

श्री श्यामलाल सर्राफ ५८८८--८९

संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक ५८९०--५९०३

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८९०

श्री लाल बहादुर शास्त्री ५८९०--५९०३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन ५९०३--०४

विधेयक पुरस्थापित ५९०४--०५

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक,
(धारा ३३ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(२) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक
(धारा ३, ४ आदि का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]

(३) मंत्रियों की सम्पत्ति का बताया जाना विधेयक [श्री हरि विष्णु कामत का]

बीमा (संशोधन) विधेयक, १९६३ (धारा ३१-क और ४०-ग का संशोधन) [श्री इन्द्रजीत गुप्त का]--वापिस लिया गया ५९०५--०७

विचार करने का प्रस्ताव

श्री ब० रा० भगत ५९०५--०६

श्री इन्द्रजीत गुप्त ५९०६--०७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[कृपया शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिए

लोक-सभा

शुक्रवार, ३ मई, १९६३

१३ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : सचिव उन माननीय सदस्य का नाम पुकारें जो कि संविधान के अन्तर्गत शपथ ग्रहण करने आये हैं

सचिव : श्री हेमप्पा वीरभद्रप्पा कौजलगी ।

†**अध्यक्ष महादय** : संसद्-कार्य मंत्री माननीय सदस्य का सदन से परिचय करायें ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमन, श्री हेमप्पा वीरभद्रप्पा कोजलगी का, जो कि श्री बी० एन० दातार की मृत्यु के कारण रिक्त स्थान पर मैसूर के बेलगांव निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं, आपसे तथा आपके द्वारा सदन से परिचय कराने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ।

श्री हेमप्पा वीरभद्रप्पा कौजलगी (बेलगांव)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जापान के साथ वस्तु विनिमय करार

\+

†*११५२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुरारका :
श्री मरंडी :

†मूल अंग्रेजी में

597 (ai) LSD—1.

श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने जापान के साथ एक वस्तु विनिमय करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का लेन-देन किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जी, हां । राज्य व्यापार निगम द्वारा कई करारों के सम्बन्ध में समझौते किये गये हैं। निर्यात पक्ष की वस्तुओं में खनिज अयस्क, चीनी तथा स्क्रैप हैं । इनके विरुद्ध उर्वरकों, औद्योगिक उपकरण, तन्तुक[1], वस्त्र उद्योग की मशीनों, इस्पात तथा यूरियां[2] का आयात किया गया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या वर्तमान वस्तु विनिमय करार एक दीर्घ-कालीन करार है अथवा अल्प-कालीन करार ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये अधिकांशत: अल्प-कालीन करार हैं जो कि एक या दो वर्षों के लिये हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: क्या इस वस्तु विनिमय करार से राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले किये हुए समझौते समाप्त हो जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये वस्तु विनिमय करार विदेशी व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीय मितव्ययिता का एक अंग हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष, और तीन महीने के पश्चात् भी, पुन: किया जाता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : ये जो अल्प-कालीन वस्तु विनिमय करार हैं उनके अनुसार जो वस्तुएं आयेंगी उनके मूल्य के सम्बन्ध में क्या हमें कोई जानकारी मिल सकती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुल मिला कर इसका मूल्य लगभग ४६ करोड़ रुपये होगा । जापान के साथ यह ११–१२ करोड़ रुपये का होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : १९६१–६२ में निर्यातों में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कमी अथवा वृद्धि ? लगभग ४० करोड रुपये की वृद्धि हुई है, कमी नहीं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : जहां तक जापान के साथ हमारे व्यापार का सम्बन्ध है इसकी किस प्रकार तुलना की जा सकती है, क्या हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है अथवा आयात में ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न इससे नहीं उठता । यह प्रश्न तो वस्तु विनिमय करार पर है ।

†**श्री कृ० चं० पंत** : क्या यह सच है कि एक दीर्घ-कालीन सौदे के अनुसार इस देश से जापान जो लौह अयस्क खरीद रहा है उसके मूल्य को कम करने के लिये जापान संसार में लौह अयस्क के वर्तमान बढ़े हुए सम्भरण का लाभ उठा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Staple fibre

२ Urea

†**श्री मनुभाई शाह** : यह वस्तु विनिमय के सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न है। जिसमें लौह अयस्क नहीं आता। लौह अयस्क नकद बेचा जाता है तथा जापान को पांच, छः अथवा सात वर्ष के ठेके पर बेचा जाता है।

†**श्री बड़े** : किस प्रकार के उर्वरकों का वस्तु विनिमय किया जाना है तथा क्या विनिमय किये गये उर्वरक उन्हीं दरों पर दिये जायेंगे जो कि भारत में उर्वरकों के लिये दी जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये शर्तें सामान्य हैं। ये कुछ विश्वव्यापी किस्म की हैं। जैसे कि, २ लाख टन चीनी जापान को बेची गई है और हम लगभग ५० प्रतिशत उर्वरक मांगते हैं, उसमें से कुछ जापान से आते हैं तथा कुछ वस्तु विनिमयकर्ता स्वयं ही अन्य लोगों से आयात करने का प्रबन्ध कर लेते हैं। हमने इसके ५० प्रतिशत भाग को उर्वरकों का आयात करने के लिये उपयोग करने की अनुमति दे दी है, जो कि इस प्रकार की एक अत्यावश्यक वस्तु है।

†**श्री बड़े** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या अमोनियम सल्फेट का आयात किया जाता है अथवा सभी प्रकार के उर्वरकों का।

†**श्री मनुभाई शाह** : यूरिया के सम्बन्ध में, मेरा विचार है कि यह इतना अधिक नहीं है। यह बात उर्वरकों के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या विदेशी मुद्रा की समस्याओं के हित में स्टर्लिंग तथा डॉलर क्षेत्रों के साथ भी वस्तु विनिमय व्यापार की सम्भावनाओं की खोज की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या हमारे देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में तैयार अथवा अर्ध तैयार वस्तुयें भी सम्मिलित हैं और क्या वस्तु विनिमय के आधार पर जापान से आयात की जाने वाली वस्तुओं में भी उनके बराबर मात्रा में तैयार अथवा अर्ध तैयार वस्तुएं सम्मिलित हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने कहा है कि वस्तु विनिमय करार कुछ चुनी हुई वस्तुओं के लिये होते हैं। यह सामान्य व्यापार के बराबर मात्रा में नहीं होता। इसलिये, उस कारण से किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। वस्तु विनिमय में हम केवल ऐसी वस्तुओं के भेजे जाने की अनुमति देते हैं जिन्हें कि सामान्यतया बेचना कठिन है अथवा जो हमारे देश में बड़ी भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। उसी प्रकार इस वस्तु विनिमय के रूप में अथवा आंशिक वस्तु विनिमय के रूप में केवल उन्हीं वस्तुओं के आयात की अनुमति देते हैं जो कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के लिये बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं।

छोटे ट्रैक्टरों का उत्पादन

†*११५४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कम दाम वाले छोटे ट्रैक्टर बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने उस राज्य में एक ऐसी योजना चालू की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस योजना के लिये कोई सहायता मांगी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जहां तक खेती करने का तथा खाद्यान्नों का तथा अन्य कृषि वस्तुओं का संबंध है उत्पादन की लागत बढ़ गई है, क्या सरकार ने हमारे द्वारा इस प्रकार के कारखाने प्रारम्भ करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जहां तक ट्रैक्टरों के उत्पादन का संबंध है खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने यह अवलोकन किया है कि इस समय केवल उसी प्रकार के ट्रैक्टरों के संबंध में विचार किया जाना चाहिये जिनका कि इस देश में परीक्षण किया जा चुका है। उस दृष्टिकोण से हमारे हैदराबाद में ५ हार्स पावर वाले टिलरों का निर्माण करने के संबंध में पहले ही विचार कर लिया है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या हमारे देश में कृषि संबंधी अवस्थाओं में अनुकूल उतरने के लिये एक उपयुक्त प्रकार के ट्रैक्टर का डिजाइन तैयार कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका निर्माण कब होने जा रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : अब दो अथवा तीन प्रकार के ट्रैक्टर हमारे देश के लिये उपयुक्त माने गये हैं। हम उस प्रकार के ट्रैक्टरों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया था, हाल ही में इस प्रकार के ट्रैक्टर का उत्पादन करने के लिये जिसका कि परीक्षण भी किया जा चुका है कृषि इंजिन लिमिटेड, हैदराबाद को लाइसेंस दे दिया गया है ।

†**श्री शिव नारायण** : क्या में जान सकता हूं कि स्माल होल्डिंग्स के लिये रशियन टाइप के छोटे ट्रैक्टर्स सस्ते दामों पर खरीदने का यहां की सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह १२ हार्स पावर से कम वाले छोटे ट्रैक्टरों के लिये है। इन्हें पावर टिलर्स कहा जाता है। हम उनके निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे है।

†**श्रीमती सावित्री निगम**: जिन दो कारखानों को सरकार ने हाल ही में लाइसेंस दिये हैं उनके द्वारा कितने ट्रैक्टरों का उत्पादन किया जायेगा और क्या सरकार का उन छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये भी लाइसेंस देने का विचार है जिनकी कि योजना आयोग तथा अन्य अनेक विशेषज्ञों ने सिफारिश की है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी, हां। हम उन छोटे ट्रैक्टरों को बता रहे थे जिनका कि कृषि इंजिन लिमिटेड उत्पादन करेगा। उनको १२,००० ट्रैक्टरों का प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दिया गया है ।

डा० गोविन्द दास: क्या यह बात सही है कि जबलपुर की गन कैरेज फैक्टरी ने, जहां शक्तिवान ट्रक बनते है, एक योजना भेजी थी सरकार के पास, कुछ दिनों पहले, छोटे ट्रैक्टरों के बनाने के संबंध में ? यदि हां, तो उस पर कोई विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : शक्तिमान का उत्पादन करने वाले कारखाने में वे केवल बड़े प्रकार की मिट्टी हटाने वाली मशीनों का उत्पादन कर रहे थे। यह छोटी प्रकार के ट्रैक्टरों के संबंध में है जो कि १२ हार्स पावर से कम के हैं।

डा० गोविन्द दास : मैं जानना चाहता था कि उन्होंने कोई योजना भेजी थी ?

अध्यक्ष महोदय : छोटे की नहीं है, वहां बड़े बड़े ट्रैक्टर बन रहे हैं।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : छोटे ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिये कोई योजना नहीं दी गई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इस समय आयुध कारखानों में ट्रैक्टरों का निर्माण किया जा रहा है और उसका इस मंत्रालय के साथ कुछ समन्वय है और यह मंत्रालय ट्रैक्टरों के निर्माण के विकास में किस प्रकार सहायता कर रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह छोटे ट्रैक्टर है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सभी प्रकार के ट्रैक्टर हैं ; वे कौन्नर्स बना रहे हैं।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : छोटे ट्रैक्टर नहीं बनाये जा रहे हैं।

†**श्री क० ना० तिवारी** : निम्नतम मूल्य कितना होगा ? क्या यह डीजल चालित होगा अथवा विद्युत चालित ? संभरण किस समय प्रारम्भ हो जायेगा।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे खेद है कि मेरे पास ब्यौरे नहीं है। क्योंकि मैंने इस कारखाने का दौरा किया था तथा इस नमूने को देखा था इसलिये यदि मुझे ठीक ठीक याद है तो मेरा विचार है कि यह मिट्टी के तेल से चलता है। मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन

+

†*११५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन ने सरकार से यह आग्रह किया है कि जो पुस्तकें और पत्रिकाएं भारत में निकाली जा सकती है, उनका आयात रोक दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अब यह घोषित कर दिया है कि पुस्तकों के आयात के लिये जिसमें कि मद्रित पुस्तकों के मुख्यपृष्ट आदि भी सम्मिलित हैं दिये गये अभ्यंश अथवा अनुपूरक अनुज्ञप्तियां

---

†मूल अंग्रेजी में

अब उन विदेशी पुस्तकों के आयात के लिये मान्य नहीं होंगे जिन्हें कि विदेशी प्रकाशन गृहों के सहयोग में भारत में पुनः मुद्रित किया जाता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : १९६२–६३ में इस देश में कुल कितनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का आयात किया गया था और १९६३–६४ में इसमें कितनी कमी की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : वास्तव में इस वस्तु के लिये मुक्तहस्त से लाइसेंस दिये जाते हैं। १९६२–६३ के लिये, अप्रैल से लेकर फरवरी तक के आंकड़े २ करोड़ ८४ लाख रुपये के है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्रालय ने जो नया कदम उठाया है उससे विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी बचत हो जायेगी और मुद्रणकर्त्ताओं तथा अन्य लोगों द्वारा यह कदम किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : निश्चित आंकड़ों का हिसाब लगाना तो कठिन होगा। परन्तु उद्देश्य यह है कि जहां कहीं भी भारत में किसी पुस्तक का मुद्रण किया जाता है तो उस पुस्तक अथवा उसके मुखपृष्ठ को आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि वे तो यहां उपलब्ध हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जिस साहित्य का आयात किया जाता है उसमें से बहुत सा अश्लील प्रकार का होता है और वह नवयुवकों अथवा नवयुवतियों द्वारा पढ़े जाने के योग्य नहीं है और यदि हां, तो इस प्रकार के साहित्य के आयात को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

†**श्री कानूनगो** : आयात नियंत्रण अधिनियमों के अधीन उनका केवल विषेध ही नहीं किया जाता है अपितु वहां विशेष समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम भी है जिनके अधीन इस प्रकार के सभी आयातों का निशेध करने की शक्ति प्रदान की गई है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या में जान सकता हूं कि फिल हाल किस किस तरह की पाठ्य सामग्री, पुस्तकें वगैरह अपने देश में आयात की जाती है और किन किन देशों से ?

श्री कानूनगो : ज्यादातर अंग्रेजी की किताब आती हैं और वह अमरीका और इंग्लैंड से आती हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन किताबों पर बाहर से मंगाने पर रोक लगायी जा रही है, उन में से भारत में कितनी तैयार हो चुकी हैं और कितनी इस साल के आखिर तक तैयार हो जायगी ?

श्री कानूनगो : जवाब में बतलाया गया है कि उन किताबों पर रोक लगायी गयी है जो कि यहां छापी जाती है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या आदेशों को जारी करने के पहले अथवा इस मुद्रक सम्मेलन की सिफारिशों को स्वीकार करने से पहले, सरकार ने देश में इस उद्योग की वर्तमान दशा पर तथा इस प्रश्न पर कि वे अच्छी किस्म का मुद्रण कर रहे हैं अथवा नहीं पूरी पूरी तरह से विचार कर लिया है ?

†**श्री कानूनगो** : मैंप्रकाशन तथा मुद्रण के बीच एक अन्तर बनाना चाहता हूं। जहां तक मुद्रण का संबंध है,मेरा विचार है कि भारत में मुद्रण संस्थायें भली भांति विकसित हैं और वे सर्वोत्तम

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार का मुद्रण करती है। जहां तक प्रकाशन का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से ही लेखकों तथा प्रकाशनों की किस्म पर निर्भर करता है। निश्चय ही यह उतना अच्छा नहीं है जितना कि इसे होना चाहिये।

†**श्री कपूर सिंह:** क्या उन पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं के आयात पर भी जिनका कि व्यापारिक रूप से इस देश में मुद्रण करना व्यवहार्य नहीं है खीझ उत्पन्न करने वाले प्रतिबन्ध लगे हुये है।

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं।

विदेशों से मंगाई गई मोटरगाड़ियों की चोरबाजारी

†*११५७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से मंगाई गई मोटरगाड़ियों की चोरबाजारी रोकने के लिये क्या कार्य किये गये ;

(ख) क्या एक फ्रांसीसी पत्र प्रतिनिधि को मोटरगाड़ी मंगाने की अनुमति दी गई थी और उस पर प्रारम्भिक शुल्क काफी कम कर दिया गया था ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने उस गाड़ी को आयात के डेढ़ साल के अन्दर ही एक गैर सरकारी व्यक्ति के हाथ बेचने की अनुमति दे दी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आयात की गई कारों के विक्रय अब राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किये जा रहे हैं। स्थिति निम्न लिखित है :—

(१) राज्य व्यापार निगम द्वारा १५-३-६३ तक खरीदी गई कारों की संख्या	३९
(२) इस समय राज्य व्यापार निगम के स्टाक में रखी कारों की संख्या	२२
(३) १५ मार्च १९६३ तक बेची गई कारों की संख्या	१७

किस पक्ष को बेची गई

(१) राज भवन, केरल।
(२) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर।
(३) फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली।
(४) प्रैस इनफारमेशन ब्यूरो, नई दिल्ली।
(५) इंडियन आयल कं० लि०, बम्बई।
(६) राज भवन, उड़ीसा।
(७) पंजाब सरकार, चंडीगढ़।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) गृह-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।

(९) उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।

(१०) उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।

(११) प्राग टूलस कारपोरेशन लि०, हैदराबाद ।

(१२) मरकरी ट्रैवलस लि०, नई दिल्ली ।

(१३) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची ।

(१४) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली ।

(१५) पेराम्बिकुलम अलीयार परियोजना मद्रास सरकार, मद्रास ।

(१६) राज भवन, उत्तर प्रदेश ।

(१७) केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।

(ख) जी हां । प्रारम्भिक शुल्क का पुनः समायोजन किया गया था क्योंकि आयात की गई कार का पहले गलत मूल्य आंक लिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न के भाग (ख) में मैंने पूछा था :

"क्या एक फ्रांसीसी पत्र प्रतिनिधि को मोटरगाड़ी मंगाने की अनुमति दी गई थी और उस पर प्रारम्भिक शुल्क काफ़ी कम कर दिया गया था ।"

भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कहा कि है

"प्रारम्भिक शुल्क का पुनः समायोजन किया गया था क्योंकि आयात की गई कार का गलत मूल्य आंक लिया गया था ।"

क्या मैं जान सकती हूं कि मूल्यांकन गलत क्यों हुआ था ? क्या हमारे सीमा शुल्क प्राधिकारियों को रेनाल्ट (ट्रिपल कनवेर्टीबिल) जैसी सुविख्यात किस्म की कार के मूल्य का भी पता नहीं है ? क्या यह सच है कि किसी मंत्रालयिक हस्तक्षेप करने पर उसकी कीमत कम आंकी गयी थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : निश्चय ही माननीय सदस्य महोदय सीमा शुल्क प्राधिकारियों से यह आशा नहीं करती होंगी कि वे लोग संसार में बनाई जाने वाली लगभग दस हजार किस्म की कारों के मूल्यों की आधुनिकतम सुची रख सकेंगे । पहले वे मल प्रशुल्क मूल्य के आधार पर अथवा इसके लगभग आने वाली अन्य किसी संख्या के आधार पर सीमा शुल्क का मूल्यांकन करते हैं । फिर कुछ पैसा वापस लेने के अथवा और अधिक देने के कार्य का दायित्व आयातकर्ता पर छोड़ दिया जाता है जो कि यह दिखाने के लिये कागजात पेश कर सकता है कि प्रशुल्क मूल्य अधिक आंका गया था अथवा कम ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रारम्भ में कितना मूल्य आंका गया था और क्या प्रारम्भ में यह कारखानों के मूल्य पर आंका गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अकेले किसी एक ही सौदे के सम्बन्ध में इन सब ब्योरों को जानना तो उचित नहीं होगा । कुल अन्तर लगभग २,२०० रुपये का था । मूल्यांकन पहले ११,००० रुपये पर किया गया था और वास्तविक मूल्य ८,८०० रुपये ही निकला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस फ्रांसीसी पत्रकार ने राज्य व्यापार निगम को कोई प्रार्थनापत्र भेजा है और वह अपनी कार को बेचने के लिये एक परमिट लेना चाहता है और यदि हां तो क्या यह परमिट जारी कर दी गई है और यदि नहीं तो क्या उसे कार को बेचने की अनुमति दिये जाने से पूर्व उचित जांच पड़ताल की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरा विचार है कि कदाचित माननीय सदस्य की रुचि इसमें है कि उसे कार बेचने की अनुमति दी जानी चाहिये । अभी तक उन महानुभाव ने अपनी कार को राज्य व्यापार निगम को बेचने से मना कर दिया है और हम उन्हें राज्य व्यापार निगम के अतिरिक्त अन्य किसी को कार बेचने की अनुमति नहीं दे सकते ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आयी है कि इन्हीं फ्रांसीसी सम्वाददाता ने एक टेलीप्रिंटर मशीन इस देश के अन्दर इसलिए आयात की थी.

अध्यक्ष महोदय : उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में तो सवाल नहीं किया जा सकता ।

श्री भक्त दर्शन : मैं बताना चाहता हूं कि इन फ्रेंच सम्वाददाता की यह आदत है कि वे इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं . .

अध्यक्ष महोदय : वह हम यहां इस वक्त डिसकस नहीं कर रहे हैं । सवाल कार के बारे में है, उसके बारे में सवाल कीजिए ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आयी है कि इन फ्रेंच सम्वाददाता ने पहले एक टैलीप्रिंटर मशीन यहां आयात की थी और फिर उसको बाहर नैपाल भेड दिया था ? क्या उनकी इस आदत के बारे में छानबीन की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह बात इस प्रश्न से नहीं उठती । लाखों आयातकर्ता हैं यह उत्तर देना तो कठिन होगा कि कौन टैलीप्रिंटर लाया और वे किस प्रकार से बेचे गये आदि ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे याद है कि इस पर एक बार सदन में चर्चा हुई थी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार दृढ़तापूर्वक यह कह सकती है कि इन सज्जन को खुले बाजार में अपनी कार बेचने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी--जिसे कि वे चोर बाजारी से बेचने का विचार करते हैं--और यदि वह कार बेचते हैं तो राज्य व्यापार निगम ही उस कार को खरीद लेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह उत्तर तो पहले ही दे दिया है कि अन्य किसी को बेचने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी ।

†**श्री दी०चं० शर्मा** : मैं देखता हूं कि राज्य व्यापार निगम सरकारी संस्थाओं को कारें बेचता रहा है । परन्तु इन सरकारी संस्थाओं के नामों के बीच एक नाम मरकरी ट्रैलल्स लिमिटेड नई देहली का है। क्या यह फर्म सरकारी संस्था हो गई है अथवा नहीं ? मरकरी टैवल्स को यह कार बेचने के लिये अनुमति क्यों गई थी किस आधार पर तथा किस कारण से दी गई थी ? क्या यह इस कारण दी गई थी कि इस फर्म का मालिक तथा निदेशक राज्य सभा का एक सदस्य है अथवा अन्य कोई बात है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है । माननीय सदस्य का यह विचार है कि हम केवल सरकारी संस्थाओं को ही कारें बेचते हैं

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस सूची को देखिये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : हम सरकारी विभागों को कम से कम सख्या में ऐसी कारें भेजना चाहते हैं क्योंकि यह इन कारों के उपयोग करने की सर्वोत्तम विधि नहीं है । यात्रा अभिकरणों वाले लोग ऐसे हैं जो कि विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं तथा जिन्हें विदेशी यात्रियों के लिये तथा लम्बी यात्राओं पर जाने वाले भारतीयों के लिये इन कारों की आवश्यकता होती है । मरकरी ट्रैवल्स लिमिटेड उन यात्रा अभिकरणों में से एक है जिन्हें कि नियमानुसार इन कारों के लिये अनुमति दी जाती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस सुची में १७ संस्थाओं के नाम दिये गये हैं जिन्हें कि कारें बेची गयी हैं । इसमें जो बात कही गई है माननीय मंत्री ने उसके विरुद्ध बात कहीं है । इसमें १७ संस्थाओं के नाम दिये गये हैं उनमें से १६ सरकारी संस्थायें हैं जिन्हें कि कारें बेची गयी हैं

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य उन लोगों की सुची को देखकर निष्कर्य निकाल रहे हैं जिन्हें कि कारें बेची गयी हैं । नियम यह है कि कारें निम्न प्रकार से बची जायेंगी--मेरा विचार है कि मैंने छः बार ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखा होगा :

राष्ट्रपति भवन प्रतिरक्षा आवश्यकतायें, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभाग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राजभवन, पर्यटक संवर्द्धन अभिकरण तथा सार्वजनिक नीलामी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जब विदेशी लोग यहां पर अपनी कारें बेचते हैं तो क्या सर्वदा ही यह कार्य राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है ? अथवा उन्हें चोर बाजारी में बेचने की अनुमति दे दी जायगी--जो भी कोई सौदा हो जाय और जो कुछ वे इस प्रकार कमायेंगे उसे विदेशी मुद्रा के रूप में ले जाने की अनुमति उन्हें दे दी जायगी ? क्या केलव सरकारी उपयोग के लिये ही राज्य व्यापार निगम इन कारों को लेता है ? यदि वे विदेशी लोग जिन्हें कार आयात करने की अनुमति दे दी जाती है अपनी कारों को बेचना चाहें तो क्या उन्हें यह कार्य राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करना होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह उन सभी पर लागू होता है, राजनायक और गैर-राजनयिक दोनों पर । केवल विदेशियों द्वारा ही नहीं अपितु भारतीयों द्वारा भी इस आधार पर आयात की गई सभी कारों को यदि वे उन्हें बेचना चाहते हों, राज्य व्यापार निगम को ही बेचना होगा । यह एक मूल्य सूत्र है जो कि आयात शुल्क और किसी और अन्य शुल्कों पर आधारित है । मूल मूल्य में से अवक्षयण राशि घटा दी जाती है । किसी लाभ की अनुमति नहीं दी जाती । केवल उस मूल धन को ही भेजने की अनुमति दी जायगी । जो कुछ भी लाभ होगा वह राज्य व्यापार निगम अर्थात सरकार को दिया जायगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह बताया गया है कि ३९ कारें खरीदी गई हैं तथा १७ बेची गई हैं । जो कारें अभी तक बेची नहीं गई हैं क्या उन्हें सुरक्षित रखने के लिये सरकार ने कोई उचित व्यवस्था कर ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जानकारी विवरण में दी गई है। १५ मार्च, १९६३ तक खरीदी गई कारों की संख्या उसमें दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंन उन कारों के सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में पूछा है कि जो कि अभी तक बेची नहीं गई है।

†**श्री मनुभाई शाह :** वे सभी सुरक्षित रूप से रखी हुई हैं।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या इस विशेष मामले में, जबकि यह कर १९६१ में भारत में लाई गई थी, लागत-बीमा भाड़ा मूल्य पर पूरा १०० प्रतिशत शुल्क दिया गया था और अब इस व्यक्ति ने इस कार के विक्रय के लिये राज्य व्यापार निगम को केवल इस आधार पर प्रार्थनापत्र दिया है कि वह इस देश के बाहर स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सच बात तो यह है कि उसने राज्य व्यापार निगम को कार देने से मना कर दिया है। हम किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। उसे कार को अन्य किसी को बेचने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी। उसे इस कार को राज्य व्यापार निगम को सौंपना होगा।

मूल्य के सम्बन्ध में बात यह है कि यह तो समझौते का एक प्रश्न है। वह हमें ब्यौरे तथा आंकड़े बता सकता है। जो लोग अपनी कारों को राज्य व्यापार निगम को बेचते हैं उनकी ऐसी कारों के मल्यां-कन के लिये एक आदर्श सूत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री महेश्वर नायक।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या यह सच है कि उन्होंने इस रूप में कुछ भी नहीं किया है कि

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। श्री महेश्वर नायक।

कच्चे लोहे का आयात

\+

†*११५८. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री जसवन्त मेहता :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे लोहे की मौजूदा कमी दूर करने के लिये रूस से उसका आयात करने का विचार है ;

(ख) देश में कच्चे लोहे की आवश्यकता के मकाबले उसके उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) आयात पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(घ) क्या कच्चा लोहा बाहर से मंगाने की जरूरत खत्म करने के लिये देश में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) इस मामले में पत्र व्यवहार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कच्चे लोहे का उत्पादन अनुमानतः दस लाख टन है और इसकी अनुमानित आवश्यकता लगभग १५–२० लाख टन है।

(ग) कच्चे लोहे की लागत आयात के समय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(घ) आवश्यकता को पूरा करने के लिये कच्चे लोहे के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिये उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

†**श्री महेश्वर नायक** : मन्त्रालय के १९६२–६३ के प्रतिवेदन से पता चलता है कि ५४ लाख रुपये तक के कच्चे लोहे का निर्यात किया गया है। देश में इसकी कमी की दृष्टि से, क्या सरकार यह नहीं सोचती कि इनका निर्यात रोक दिया जाएगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मैं नहीं समझता कि इसके पश्चात् कच्चे लोहे का निर्यात होगा क्योंकि यहां इसकी बड़ी कमी है ?

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार को पता है लगभग २० वर्ष पहले हमारे देशी लोहा पिघलाने वाले कुटीर उद्योग के आधार पर लोहे का उत्पादन किया करते थे और क्या सरकार यह वांछनीय समझती है कि उनको देश में उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हम कुछ मात्रा तक कमी को पूरा कर सकें ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : कुटीर उद्योग के आधार पर मैं समझता हूं कि चीन ने इसका प्रयत्न किया और तब इसे छोड़ दिया। मैं नहीं समझता कि लोहा कुटीर उद्योग आधार पर बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार इस भारी कमी को दूर करने के लिए कोई नये प्लांट्स लगाने जा रही है, यदि हां, तो कब तक यह लगाये जायेंगे ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जी हां, इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ प्राइवेट कम्पनियों को भी लाइसेंस दिये गये है। इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को एक लाख टन का प्लांट लगाने की इजाजत दी है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक लाख टन के प्लांट के लाइसेंस के लिए ऐप्लाई किया है। एक और कम्पनी ने भी एक लाख टन के प्लांट के लिए ऐप्लीकेशन भेजी है। इसके अलावा ३०० टन की फारनेस दुर्गापुर में, २०० टन की फारनैस भिलाई में और १०० टन की फरनैस रूरकेला में लगाने का प्रोग्राम है।

†**श्री काशीराम गुप्त** : क्या रूस से मंगवाया गया कच्चा लोहा बेहतर किस्म का होगा या उसी किस्म का होगा जैसा भारत में बनाया जाता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ढलाई आदि के लिये विशेष रूप से अपेक्षित किस्म का लोहा मंगवाया जाएगा।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या मन्त्री जी को पता है कि विविध उद्योगों के लिये आवंटित अभ्यंश भी समय पर नहीं दिये जाते, और कई मामलों में तो बिल्कुल ही नहीं दिये जाते, विशेष कर दक्षिण में बहुत से उद्योगों के लिये ? बहुत से मामलों की सूचना हमें प्राप्त हुई है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैंने कच्चे लोहे की उपलब्धि के बारे में कल विशद वक्तव्य दिया था कि उपलब्ध कच्चे लोहे के वितरण के लिये कैसे नवीन प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली के अधीन

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्येक व्यक्ति को उसका आवंटित अभ्यंश मिल सकेगा और हम कोशिश करेंगे कि यह समय पर उपलब्ध हो जाए ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : आन्ध्र प्रदेश में आरम्भ होने वाले कच्चे लोहे के सन्यन्त्र की उत्पादन क्षमता का क्या होगा और यह कब उत्पादन आरम्भ करेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उत्पादन १००००० टन है । यह कब उत्पादन आरम्भ कर सकेगा, यह कार्य की कार्यान्विति पर निर्भर करता है ।

डा० गोविन्द दास : अभी मन्त्री जी ने यह कहा कि भिलाई और रूरकेला में भी कच्चे लोहे का उत्पादन होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि भिलाई में कितना होता है और उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने अभी बताया कि ३०० टन की एक फरनैस दुर्गापुर में, २०० टन की भिलाई में और १०० टन की रूरकेला में लगाने का प्रोग्राम है । जहां तक वर्तमान उत्पादन का सम्बन्ध है, टाटा में २१,११२ टन, स्कको में २०४,२९८ टन और भिलाई में ३३४,३९० टन पैदा होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह कमी किस मात्रा तक भट्ठी क्षमता की वास्तविक कमी के कारण है और किस मात्रा तक कोकिंग कोयले की असंतोषजनक गुण प्रकार के कारण है, जिस की इन भट्ठियों के लिए जरूरत होती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जैसा मैं पहले कह चुका हूं हम लगभग ११ लाख टन कच्चा लोहा बनाते हैं किन्तु विविध भट्ठियों की क्षमता का अनुमान २० लाख टन है । अतः इस में बड़ा अन्तर है । इसी कारण कमी हुई है ।

दूसरा प्रश्न ढलाई के लिये अपेक्षित कोक के बारे में है, जो हमारे प्रश्न में आयगा । यह प्रश्न कच्चे लोहे की उपलब्धि के बारे में है ।

इस्पात की ढली वस्तुओं का उत्पादन

†**११५९. श्रीमती रेणुका राय** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की ढली तथा गढ़ी वस्तुओं का उत्पादन प्रतिरक्षा तथा अन्य प्राथमिकता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले इंजीनियरी उद्योगों की मांग से भी काफी कम है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र०चं० सेठी)**: (क) इस्पात ढलाई तथा धातुवर्ध्य ढलाई इस्पात का वर्तमान उत्पादन मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है । भूरे लोहा ढलाई का उत्पादन इस समय पर्याप्त है ।

(ख) इस्पात और धातुवर्ध्य ढलाई का अपर्याप्त उत्पादन इस कारण है कि उत्पादन की क्षमता अपर्याप्त है, प्रविधिक ज्ञान की कमी है और बिजली तथा कच्चे माल की कमी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस उदारतापूर्वक दिये जा रहे हैं और पूंजीगत माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन के लिये इस उद्योग को उच्च अग्रता दी जाती है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : यह भली भांति मालूम है कि भट्ठी उद्योग और इस्पात ढलाई सभी इंजीनियरी उद्योगों के लिये सहायता का आधार है और जैसा कि मा० मंत्री ने अभी अभी कहा है कि क्षमता २० लाख टन है। क्या यह सच है कि कच्चे लोहे की कमी के कारण क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस कारण हम इस्पात का संभरण नहीं कर सके हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : इस्पात ढालन ढलवां लोहा ढालन से भिन्न होता है जिन के लिए कच्चे लोहे की आवश्यकता होती है। हम ने इस्पात के लिये ५२०० टन की क्षमता का लाइसेंस दिया है किन्तु वास्तविक उत्पादन ४३,००० टन है। क्षमता को छोड़ कर, उत्पादन पर्याप्त नहीं है और इसीलिये हम खुले तौर पर अतिरिक्त क्षमता का लाइसेंस दे रहे हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** : भट्ठी उद्योग के लिये भी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जहां तक भूरा लोहा ढालन का सम्बन्ध है, मेरे मा० सहयोगी ने बताया है कि अब उत्पादन पर्याप्त है। अतिरिक्त क्षमता भी है और जब वे इस का उत्पादन करते हैं, तो उस का उपयोग करना भी संभव हो सकता है। कच्चे लोहे की कमी के कारण वहां उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं और पिछले प्रश्न में हम ने बहुत से तरीके बताये थे जो हम कच्चे लोहे की उपलब्धि को बढ़ाने के लिये अपना रहे हैं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि लाइसेंस प्राप्त लोगों में से किसी ने भी निर्माण आरम्भ करने के लिये लाइसेंस का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन की वित्तीय स्थिति कमजोर है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : केवल कमजोर वित्तीय स्थिति का ही सवाल नहीं, ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं, किन्तु मुख्य रूप से इस्पात मिलों के लिए उच्च प्रविधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और वे इसे अथवा विदेशी सहयोग को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। जहां सहयोग मिल जाता है, यह संभव हो सकता है और हम सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि लाइसेंस प्राप्त क्षमता स्थापित हो जाय।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : इस्पात पिण्डों के निर्माण के लिये नवीन औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस किस मात्रा तक दिये जायेंगे ताकि देश में अतिरिक्त मांग पूरी हो सके ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जैसा मैं पहले बता चुका हूं, हम इस्पात पिण्डों का उत्पादन करने के लिये अतिरिक्त क्षमता का लाइसेंस दे रहे हैं और यह निर्बाध सूची में है तथा लाइसेंस दिये जायेंगे। किन्तु केवल मात्र लाइसेंस देने से काम नहीं चलता, प्रविधिक ज्ञान एवं विदेशी सहयोग प्राप्त करने का भी प्रश्न है। हम इस से सम्बन्धित स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार को मालूम है कि लघु उद्योगों को इन कच्चे माल के अभाव के कारण बड़ी हानि होती है और पहले से विद्यमान उद्योगों के लिये नियमित संभरण कराने के लिये क्या कार्रवाई की जाती है ? नवीन उपक्रमों के लिये कुछ अन्य काम किये जा सकते है ?

---

†मूल अंग्रेजी

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** में समझता हूं कि मैं ने कल और आज भी एक विस्तृत वक्तव्य दिया है और किये गये उपायों का स्पष्टीकरण किया जा चुका है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कल के वक्तव्य में यह नहीं बताया गया कि आया सरकार के पास ऐसा अनुमान है कि हमारी मांग की तुलना में इस्पात पिण्डों का उत्पादन कितना कम है । क्या यह अनुमान सही है कि यह ५० प्रतिशत से कम है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : विद्यमान क्षमता ५२,००० टन है । तीसरी योजना की समाप्ति तक हमारी आवश्यकता दो लाख टन होगी । इसीलिए हम अधिक क्षमता का लाइसेंस दे रहे हैं और हम प्रयत्न करेंगे कि वे उत्पादन करेंगे ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : अब दी गई अतिरिक्त क्षमता के साथ तथा सरकारी क्षेत्र में किये गये काम के साथ मांग के बराबर कच्चा लोहे का संभरण करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह रातों रात नहीं बनाया जा सकता । यदि तुरन्त मंजूर भी कर दिया जाय, तो इन खुले मुंह वाली भट्ठियों को स्थापित करने में कम से कम २४ महीने लगेंगे । यही वास्तविक कठिनाई है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

+

*११६०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री गो० महन्ती : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती तथा अन्य पर्वतीय ज़िलों के लिये एक नई योजना स्वीकार की है

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस को क्रियान्विति के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है ।

(ग) पौड़ी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने तथा केन्द्रों का संगठन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती तथा अन्य पर्वतीय ज़िलों के लिये स्वीकृत योजना में ऊनी तथा अन्य ग्रामोद्योगों का विकास करने की व्यवस्था भी है । इस योजना में पौड़ी में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना तथा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये २० केन्द्रों को संगठित करने की व्यवस्था भी शामिल है जो निम्न प्रकार है :—

(१) **ऊनी उद्योग** : ऊनी वस्त्र उद्योग के विकास कार्यक्रम में इन बातों की व्यवस्था है (क) आत्म-निर्भर कतवारों तथा अन्य उत्पादकों को उचित

---

†मूल अंग्रेजी में

एवं नियंत्रित मूल्यों पर अच्छी किस्म की कच्ची ऊन का सम्भरण करना, (ख) आत्म-निर्भर कतवारों को बुनाई की मुफ्त सुविधायें देना, (ग) वाणिज्यिक उत्पादन की उन्नत प्रविधियां चालू करना और इस के अतिरिक्त जहां कहीं सम्भव हो उत्पादन को खरीद लेना और खादी भण्डारों की मार्फत उस की बिक्री करना, (घ) धागे की मात्रा और उस की किस्म दोनों में सुधार करने की दृष्टि से उन्नत तथा सादे करघों को चालू करना ।

(२) **ग्रामोद्योग** : कार्यक्रम में इन बातों की व्यवस्था है : (क) उन स्थानों पर जहां पानी से चलने वाली चक्की उपलब्ध न हो वहां आटा पीसने की चक्कियां मुफ्त बांटना तथा बड़े पैमाने पर और आसान शर्तों पर बांटने के लिये आटा पीसने की चक्कियों का स्थानीय रूप से निर्माण कराना और (ख) शहद एकत्र करने के तरीके में सुधार करना तथा गारंटीशुदा उचित मूल्यों पर उस की खरीद के लिये प्रबन्ध करना । अन्य ग्रामोद्योगों का विकास मुख्यतः स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे मालों, स्थानीय परम्पराओं एवं कुशलता के आधार पर किया जायगा और इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त स्थानों का चुनाव करने की दृष्टि से सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो नई योजना प्रारम्भ की जा रही है, यह कितने वर्षों के लिये प्रारम्भ की जा रही है। क्या वह दो चार वर्षों के लिये स्वीकृत की गई है, या पक्के तौर से जारी रहेगी ?

श्री कानूनगो : यह तो नई योजना नहीं है । खादी कमीशन की यह योजना दूसरी जगह चालू है । इस को व्यापक रूप में उस जगह चालू करने का काम हो रहा है । यह दो चार साल के लिये नहीं है, बल्कि यह खादी बोर्ड का पर्मानेंट काम है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पहले से ही दो तरीके से काम हो रहा है---एक तो उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा विशेषकर ऊन का धन्धा चलाया जा रहा है और दूसरे गांधी आश्रम के द्वारा कताई-बुनाई का काम चल रहा है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नई स्कीम का उन से क्या संबंध रहेगा । क्या वे दोनों इस में सम्मिलित किये जायेंगे या इस को उन से अलग रूप में चलाया जायगा ?

श्री कानूनगो : गांधी आश्रम तो खादी कमीशन का काम करते हैं । उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का जो काम हो रहा है, उसके साथ को-आर्डिनेशन किया जायगा ।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्यतया किस तरह की इंडस्ट्रीज पर्वतीय क्षेत्रों में आर्गनाइज की जायेंगी ।

श्री कानूनगो : वह स्टेंटमेंट में दिया गया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, क्या मैं जान सकती हूं कि जो योजनायें यहां पर बनाई जा रही हैं, क्या उन में यह भी देखने की चेष्टा की गई है कि वे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक विकास के लिये प्रभावशाली सिद्ध होंगी ?

श्री कानूनगो : इसीलिये तो ये योजनायें बनाई गई हैं।

†**श्री मेनन** : क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पश्चिम बंगाल के पहाड़ी सीमांत जिलों के लिये भी योजनायें बना रहा है और यदि नहीं तो यदि ऐसी कोई योजना उनके सामने आई तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा ?

†**श्री कानूनगो** : इस समय, हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के सीमांत जिलों के लिये योजनाओं का विचार कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि क्या आया उनकी गतिविधियां पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। संभवतः हैं, किन्तु विस्तार का प्रश्न उठा तो आयोग उस पर विचार करेगा।

†**श्री कृ० चं० पंत** : योजना का अनुमानित वास्तविक बजट क्या है और केन्द्र कहां पर स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**श्री कानूनगो** : मुख्यालय पौड़ी में होगा। इस समय अनावर्तक व्यय का अनुमान ५१२००० तथा आवर्तक का ९०५७५ रुपये है। यह प्रारम्भ है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : हमें बताया गया था कि स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे माल, स्थानीय परम्परा एवं कार्य क्षमता का सवक्षण किया जायेगा तथा इसी आधार पर विकास संबंधी कार्यक्रमों को अन्तिम रूप से तय किया जायेगा। क्या सरकार के पास यह सर्वेक्षण एवं सूचना उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री कानूनगो** : हम ने मोटे तौर पर सर्वेक्षण किये हैं। यह विशेष रूप में विशिष्ट उद्योगों के लिये होगा, जो खादी आयोग के पर्यवेक्षण में आते हैं। क्योंकि खादी आयोग के सिद्धांत साधारण औद्योगिक कार्रवाई से भिन्न हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

*११६१. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में करोड़ों रुपयों के मूल्य के कच्चे माल का लेखा जोखा नहीं रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसकी कोई जांच की जा रही है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). वास्तविक सत्यापन से कच्चे माल के स्टाक में पाये गये नुक्सान को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने हिसाब में दिखा दिया है। नुक्सान की जांच करने तथा भविष्य में कमी पर नियंत्रण हेतु सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो जांच की जा रही है, वह कब तक पूरी हो जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० सेठी : सही सही तारीख तो नहीं बताई जा सकती परन्तु हम उसे यथाशीघ्र कर लेना चाहते हैं ।

श्री ओंकारलाल बेरवा: श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड में हिसाब-किताब रखने की क्या प्रणाली अपनाई जाती है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** यह समिति हिसाब किताब की प्रणाली के संबंध में भी रिपोर्ट करेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं जानना चाहती हूं कि नुकसान की वास्तविक राशि कितनी है और क्या प्राक्कलन समिति द्वारा प्रस्तावित 'कास्ट एकाउण्टेंसी' प्रणाली अभी तक लागू नहीं की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** मेरे पास तीन इस्पात संयंत्रों के संबंध में तीन वर्षों १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ के आंकड़े हैं । जहां तक रूरकेला का संबंध है, कुल नुकसान १५·६९ लाख रुपये का है, भिलाई की ६४·६६ लाख रुपये और दुर्गापुर की ४२·५१ लाख रुपये । विभिन्न कारण बताये गये हैं, परन्तु मुख्य कारण लदान संबंधी है । यह नुकसान मुख्यत: कम लदान के कारण हुआ है । समिति इसकी जांच कर रही है और जब समिति रिपोर्ट देगी तो यह प्रयत्न किया जायेगा कि इस प्रकार नुकसान न हो । परन्तु मेरा विचार यह है कि १९६२–६३ में यह नुक्सान यथासंभव बचाया गया है परन्तु मैं सही आंकड़े नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सही नहीं है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के १९६१ और १९६२ के बीच के नुकसान का अनुमान १९ करोड़ रुपये लगाया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि यह नुकसान क्यों हुआ और स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह प्रश्न कच्चे माल और उससे संबंधित नुक्सान के बारे में है और माननीय सदस्य इस्पात संयंत्रों के संचालन के बारे में सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं । परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि १९६२–६३ में कार्य में काफी सुधार हुआ है और १९६३–६४ में और भी सुधार होगा ।

†**श्री मुरारका :** क्या इस्पात संयंत्रों के स्टोर की जांच कराई जाती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम:** मैं जांच संबंधी ब्यौरा देने में असमर्थ हूं परन्तु यह देखा गया है कि जांच कराई जाती है और उसी के परिणामस्वरूप ये कमियां पाई गई हैं । परन्तु मैं वास्तविक आंकड़े नहीं दे सकता हूं ।

श्री बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो रा मैटीरियल्ज़ का लास बताया गया है, शासन के पास जो इन्फर्मेशन है, उस के अनुसार वह लास होने का क्या कारण है । क्या उसका कारण चोरी है या करप्शन है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जैसा मैंने कहा था वह समिति नुक्सान के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई है । जब तक समिति रिपोर्ट न दे मैं नहीं कह सकता कि उसका कारण करप्शन है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शिव नारायण : जो कमेटी जांच के लिये एप्वायंट हुई है, क्या उसमें कोई गजेटिड आफिसर भी जांच के लिये मुकर्रर है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरे पास समिति के सदस्यों के नाम नहीं हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हिसाब किताब की क्या प्रणाली है और क्या लेखांकन दल इतना सक्षम है कि उसमें उत्तरोत्तर सुधार कर सकें।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम उसे सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मेरा विचार है कि हमारे लेखांकन कर्मचारी काफी योग्य हैं और हम उचित तरीके अपना रहे हैं। हां, यह ठीक है कि उसमें और सुधार किया जाना चाहिये। इसके लिये हम प्रयत्न करेंगे।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : माननीय मंत्री ने श्री हेम बरुआ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कम्पनी का सामान्य नुकसान १९ करोड़ रुपये के लगभग है और जिन स्टोर्स का कोई लेखाजोखा नहीं है उनको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। क्या इसका मतलब यह है कि स्टोर्स का उचित लेखाजोखा न होने से हमें जो नुकसान हुआ है वह हिन्दुस्तान स्टील के सामान्य नुकसान के अतिरिक्त है और मुझे ज्ञात हुआ है कि वह १९ करोड़ रुपये नहीं बल्कि ४० करोड़ रुपये है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न में हमारा संबंध केवल स्टाक संबंधी नुकसान से है समस्त नुकसान से नहीं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे है। मैं पहले पूछे जा चुके अनुपूरक प्रश्न का ही निर्देश कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं और सभा भी यह जानना चाहेगी कि स्टोर का उचित लेखाजोखा न रखे जाने से जो नुकसान हुआ है वह सामान्य नुकसान में सम्मिलित है या उसके अतिरिक्त है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : कुल नुकसान में कारखाने को हुआ समस्त नुकसान शामिल है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यदि ऐसा है तो उचित लेखा जोखा न रखे जाने के कारण स्टोर्ज में कितना नुकसान हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय**: अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

रूस को अफीम का संभरण

\+

†*११६२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने रूस को अफीम भेजने का ठेका किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और ठेके की शर्तें क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ४ अप्रल, १९६३ को रूस को विमान से २० टन अफीम भेजी गई है ; और

(घ) शेष मात्रा कब भेजी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तराष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हाँ ।

(ख) २१ मार्च, १९६३ को राज्य व्यापार निगम और वो०/ओ० मेडेक्सपोर्ट, मास्को के बीच सत्तर मीट्रिक टन अफीम, जिसका मूल्य लगभग ४७ लाख रुपए है, भेजने के लिए ठेका हुआ था ।

(ग) २, ३ और ४ अप्रैल, १९६३ को तीन बराबर किश्तों में २० मीट्रिक टन अफीम हवाई जहाज द्वारा भेजी गई थी ।

(घ) शेष ५० मीट्रिक टन अफीम में से ३० मीट्रिक टन ३० जून, १९६३ तक और शेष २० मीट्रिक टन इस वर्ष की तीसरी तिमाही में भेजी जानी है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस सौदे से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ४७ लाख रुपए की ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : भारत से कौन कौन से देश अफीम मंगाते हैं और उनकी तुलना में वर्तमान सौदे का मूल्य कैसा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : श्रीमान्, वे अंतर्राष्ट्रीय शर्तें हैं । हम संसार के प्रायः सभी देशों को लगभग ४·५ करोड़ रुपए की अफीम भेजते हैं । यह सौदा केवल ४७ लाख रुपए का है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस सौदे से भारत और रूस के बीच व्यापार विकास के नये रास्ते खुलते हैं और यदि हाँ, तो सरकार ने इस बात के लिये क्या कदम उठाये हैं कि उस देश को अच्छे किस्म की वस्तुयें भेजी जायें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रत्येक वस्तु से व्यापार में वृद्धि होती है, अफीम से भी वैसा होता है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : जो अफीम भेजी जा रही है उसका जो रेट है वह हमारे यहाँ के कम है या ज्यादा है और अगर कम या ज्यादा है तो कितना ?

श्री मनुभाई शाह : वह फर्क तब पड़ता है जब इंटरनेशनल प्राइसिस का इवैल्युशन होता है, कई बार दाम बढ़ जाते हैं और कई बार कम हो जाते हैं । वे वेरी करते हैं ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : कितना फर्क रहता है ?

श्री मनुभाई शाह : साढ़े सात परसेंट का फर्क है । लेकिन कभी कभी पंद्रह परसेंट ज्यादा भी आता है ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह अफीम निर्यात कार्यक्रम उन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय करारों के सर्वथा अनुरूप है जो हमने भूतपूर्व लीग ऑफ नेशन्स के तत्वावधान में किये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हाँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : चूंकि सोवियत रूप से कार्ल मार्क्स की शिक्षा के अनुसार धर्म को बहिष्कृत कर दिया गया है क्योंकि वह जनता के लिए अफीम के समान है अतः क्या भारतीय अफीम उसकी कमी को पूरा करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न सोवियत रूस से पूछा जाना चाहिये । **(अन्तर्बाधा)**

श्री काशी राम गुप्त : यह जो ७० टन अफीम रशिया को भेजी जा रही है और इस में से २० टन भेज भी दी गई है और यह जो समझौता हुआ है स्थायी रूप से हुआ है या यह केवल अभी के लिए है, अस्थायी है ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो अभी के लिए है । यह आइटम हमारी एक्सपोर्टेबल आइटम है । पैदावार इसकी यहाँ होती है, इस्तेमाल हम यहाँ घटा रहे हैं, इस लिए बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ।

डा० गोविन्द दास : क्या पुराने चीन के म्वाफिक रूस ने भी अफीम खाना शुरू किया है और क्या ऐसी हालत में पुराने मालवा के इलाके में जो अफीम की खेती होती थी, उसको फिर से करना शुरू कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : दोनों के स्वभाव का मुकाब्ला करना चाहते हैं

श्री मनुभाई शाह : जब बड़े बड़े देशों से नेगोशियेशंज़ होती है, तो उसको ज़रा सीरियसली लिया जाना चाहिये । इससे एलक्लायड बनता है, ड्रग बनता है । अफीमची जिस तरह से अफीम का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से वे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार की यह नीति है कि अफीम की खेती के अन्तर्गत भूमि को क्रमशः कम किया जाए और यदि हाँ, तो सरकार ने लोगों को अफीम सेवन करने से रोकने के लिये क्या किया है ? इसके अतिरिक्त यदि देश में अफीम इतनी मात्रा में होती है कि निर्यात की जा सके तो वह चोरी छिपे हमारे देश में क्यों लाई जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इनका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : रशिया से इस तरह की कोई गारंटी क्या ली गई है कि यह जो अफीम हम भेज रहे हैं यह रशिया के रास्ते चीन तो नहीं चली जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री सरजू पाण्डेय : यह जो अफीम भेजी जा रही है यह गाज़ीपुर की अफीम फैक्ट्री से भेजी जा रही है या रा अफीम भेजी जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : अलग अलग जगहों पर सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू के कंट्रोल के नीचे बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं और रा अफीम भी कोलैक्ट की जाती है खेतों में से । सब को मिला कर भेजा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी

†*११६४. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ५ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी उन फर्मों में से एक है जिनका सम्बन्ध किसी भी प्रकार १७·३३ करोड़ रु० के मूल्य के वस्तु विनिमय के ११ सौदों और ६·२४ करोड़ रु० के मूल्य के अन्य सौदों से था ;

(ख) यदि हाँ, जिन वस्तुओं के लिए इस फर्म को अनुमति दी गई थी वे कितने मूल्य की थीं और वे वस्तुएं क्या हैं ; और

(ग) क्या इसी फर्म को मैंगनीज अयस्क के लिये वरीयता दी गयी थी और यदि नहीं, तो अन्य फर्मों के क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं । सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी का १९६२–६३ में किये गये वस्तु-विनिमय सौदों से कोई संबंध नहीं था । परन्तु उस फर्म ने १९६२–६३ में १९६२–६३ के पहले अनुमोदित कुछ वस्तुविनिमय सौदों और नकद बिक्रियों के संबंध में कुछ मेंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क भेजी थी । दो फर्मों की ओर से मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी ने १०,७९९ टन मेंगनीज अयस्क भेजा था जिसका मूल्य १३.५ लाख रुपए है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम द्वारा एक वर्ष में जो लगभग ५·३१ करोड़ रुपए के मेंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया था क्या उसमें से अधिकांश की खरीद मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी से की गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने यही तो बताया था । उस फर्म का १९६२–६३ के वस्तुविनिमय सौदे से प्रत्यक्षतः कोई संबंध नहीं था । अन्य सौदों में, यद्यपि उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, तीसरे पक्ष, अर्थात् दो फर्मों द्वारा १०,७९९ टन मेंगनीज अयस्क खरीदा गया था जिसका मूल्य १३½ लाख रुपए है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि इस फर्म को पूर्वी योरपीय देशों में मेंगनीज अयस्क का व्यापार करने की अनुमति दी गई जबकि उस पर राज्य व्यापार निगम का एकाधिकार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है । मेंगनीज अयस्क कोई भी बेच सकता है, गैर-सरकारी नौवहन समवाय भी । उस पर कोई एकाधिकार नहीं है । परन्तु हाल के वर्षों में मेंगनीज के विश्वमूल्य के कारण अधिकांश सौदे राज्य व्यापार निगम के द्वारा दर्ज किये जाते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी की व्यापारिक क्षमता कितनी है ? क्या यह भारत की मेंगनीज अयस्क की बड़ी कम्पनियों में नहीं आती है ? क्या भारत में उससे भी बड़ी कोई मेंगनीज कम्पनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी भी अन्य कम्पनियों में से एक है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी बड़ी कम्पनियों में से है । इसका निर्दिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : छोटे बड़े का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । वह भी मेंगनीज अयस्क का व्यापार करने वाली एक कम्पनी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के साथ हुए विभिन्न सौदों से संबंधित कागजात को, मंत्री द्वारा किये गये पत्र व्यवहार को सम्मिलित करके, सभा पटल पर रखने को तैयार है ताकि इस सभा और जनता की आशंकायें दूर हो सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसमें आशंका करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उस फर्म ने कोई गलत काम नहीं किया है । फर्म ने थोड़ी सी मात्रा के लिये ठेका किया था जिसे स्वीकृति मिल चुकी है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि निकट भूतकाल में खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए मशीनों के आयात के लिए सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी की सिफारिश की गई थी और वह आयात उस फर्म के मेंगनीज अयस्क के बदले में किया जाना था ? यदि ऐसा है तो क्या यह सच है कि वस्तुविनिमय सौदों की अनुमति केवल इस्पात के बदले में ही दी जाती है ? यदि ऐसा है तो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के इस प्रार्थनापत्र को कैसे स्वीकार कर लिया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न की अनुमति मैं नहीं दे सकता हूं । श्री द्विवेदी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि मेस सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी से जो भी खरीद की गईं थीं वे १९६२–६३ से पहले प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर की गई थी ? क्या इस खरीद की मंजूरी देते समय भारत सरकार को यह नहीं मालूम था कि इस फर्म को सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण १९५९ में तलाशी ली गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं । मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी उन व्यक्तियों में से है जिन्होंने वस्तुविनिमय समझौते और मेंगनीज अयस्क के निर्यात में रुचि ली थी । सामान्यतः वे वैसा कर सकते हैं । जब हमें यह पता चला कि हाल में ३० मार्च, १९६३ को सीमा शुल्क अधिकारियों ने छापा मारा था तो सरकार ने सर्व सम्मति से वस्तुविनिमय प्रस्ताव को ठुकरा दिया । इस सम्बन्ध में मतभेद का कोई प्रश्न नहीं है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग इस सम्बन्ध में अन्तिम प्राधिकारी है और उसने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैंने १९५९ का जिक्र किया था और मंत्री जी १९६३ की बात कर रहे हैं । यह ठीक है कि १९६३ में खान और ईंधन मंत्रालय ने उसकी सिफारिश की और उन्होंने उसे ठुकरा दिया । परन्तु १९५९ के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक १९५९ का सम्बन्ध है वह एक छोटी सी बात है । जिस प्रकार अन्य जांचें होती हैं वैसी ही वह भी थी । जब तक कोई नियमित रूप से गलती न करे और अदालत द्वारा अपराधी न ठहराया जाये तब तक कोई कारवाई नहीं की जा सकती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि खान तथा ईंधन मंत्रालय ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए मशीनों के आयात के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी की सिफारिश की थी और वह आयात उस फर्म के मेंगनीज अयस्क के बदले में किया जाना था और यदि हां, तो क्या सरकार की यह स्वीकृत नीति नहीं है कि वस्तु विनिमय सौदे की अनुमति केवल इस्पात के बदले में ही दी जाए, मेंगनीज अयस्क के बदले में नहीं ? यदि ऐसा है तो

(अन्तर्बाधायें)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य प्रश्न में इतनी सारी बातें ला रहे हैं कि उसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं होगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं संक्षेप में ही बताए देता हूं । क्या खान तथा ईंधन मंत्रालय ने फरवरी अथवा मार्च में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से इस फर्म के मैंगनीज अयस्क के बदले में मशीनों के विनिमय के लिए एक प्रार्थनापत्र की सिफारिश की थी और यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं सभा की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि प्रक्रिया इस प्रकार है कि कोई भी मंत्रालय अथवा सरकारी विभाग अथवा कोई गैर-सरकारी प्राधिकारी अथवा फर्म वस्तु विनिमय सौदे का प्रस्ताव कर सकता है। अतः वस्तु विनिमय सौदे के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इसका कोई प्रश्न नहीं है कि उसकी कौन सिफारिश करता है अथवा उसे कौन भेजता है । वह प्रस्ताव हमारे पास तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भेजा था । विभिन्न सूत्रों से कितने भी प्रस्ताव आ सकते हैं । मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के वस्तु विनिमय सौदे केवल इस्पात के लिये ही नहीं होते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया । मेरे पास एक सूची मौजूद है जिसमें यह दिया हुआ है कि मैंगनीज अयस्क के बदले में एमोनियम सल्फेट, अखबारी कागज, लकड़ी की लुग्दी, गंधक, लम्बे रेशे वाला धागा और इस्पात तथा मशीनों की अनुमति दी गई है । इसलिये यह कहना गलत है कि मैंगनीज अयस्क के बदले में मशीनें मंगाने का प्रस्ताव अनियमित है । इस प्रकार की गलत धारणा नहीं उत्पन्न की जानी चाहिये । मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वह सर्वथा वैध है । समस्त सरकार एक इकाई के रूप में कार्य करती है । और यह विभाग वस्तु विनिममय सौदों के प्रस्ताव मंजूर करता है । फर्म की वर्तमान स्थिति संदिग्ध होने के कारण ही वस्तु विनिमय सौदे का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

कपास का निम्नतम मूल्य

+

†*११६५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कपास का निम्नतम मूल्य बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) इसके क्या कराण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया ।

विवरण

सरकार ने हाल में ही मुगलई जरीला किस्म की २५/३२" कपास के न्यूनतम मूल्य २८.२० रुपये प्रति क्विंटल (प्रति १०० रुपये कैन्डी) बढ़ाये हैं तथा इसी के अनुसार अन्य किस्म की कपास के न्यूनतम मूल्य भी बढ़ा दिये हैं। बढ़े हुए न्यूनतम मूल्य आगामी मौसम (१९६३-६४) में लागू होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यूनतम मूल्य इसलिये बढ़ाये गये हैं जिससे बाज़ार भाव की तुलना में यह अधिक वास्तविक हो जायें तथा किसान में सुरक्षा की भावना लाने के कारण वह कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हों

कृत्रिम रबड़ के कारखाने

†*११६६. **श्री मणियंगाडन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रबड़ का उत्पादन करने वाले किसी कारखाने ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उत्पादन कब से आरम्भ होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) अभी नहीं परन्तु चालन परीक्षण हो रहा है ।

(ख) आशा है कि उत्पादन एक महीने तक होने लगेगा ।

†**श्री मणियंगाडन :** लाइसेंस वाली फैक्टरियों की कुल क्षमता क्या है तथा इन फैक्टरियों की स्थापना में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

†**श्री कानूनगो :** इस फैक्टरी की क्षमता २०,००० टन है। छमाही अनुमानित आवश्यकता ४०,००० से ५०,००० टन के लगभग है । अभी कोई प्रस्ताव क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में नहीं है ।

†**श्री मणियंगाडन :** क्योंकि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और रबड़ बोर्ड भी रबड बागानों का विकास करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन फैक्टरियों को लाइसेंस देने में रबड़ बोर्ड का परामर्श उत्पादन होने वाली प्राकृतिक रबड़ की मात्रा के सम्बन्ध में तथा कृत्रिम रबड़ की आवश्यकता के सम्बन्ध में लिया गया था ।

†**श्री कानूनगो :** इन सभी बातों पर विचार कर लिया गया है । तुरन्त तथा भविष्य में भी कृत्रिम रबड़ की मांग बनी रहेगी ।

†**श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा :** जो फैक्टरी रबर की बरेली (उत्तर प्रदेश) में बनने वाली है उसका बनना कब पूरा होगा और उसकी कितनी कैपेसिटी होगी ?

†**श्री कानूनगो :** ३०,००० टन ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या सरकार की कृत्रिम रबड़ बनाने के कारखाने बनाने की कोई योजना है तथा कृत्रिम रबड़ के मूल्य प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कम होते हैं अथवा ज्यादा होते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** कोई कारखाना नहीं है । पहले कारखाने में एक महीने तक उत्पादन होने वाला है । यह सभी प्रश्न अभी नहीं उठते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में कुछ समय पहले माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि बरेली में जो कृत्रिम रबर का कारखाना है उसमें अभी ट्रायल प्रोडक्शन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पक्की तौर से प्रोडक्शन कब शुरू हो जायेगा ।

---

†मल अंग्रेजी में

श्री कानूनगो : वही तो जवाब में बताया गया था कि अभी ट्रायल प्रोडक्शन वहां हो रहा है और एक महीने में प्रोडक्शन ठीक से शुरू हो जायेगा ।

औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

†*११६७. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में नये उपक्रमों के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये और

(ख) किन उद्योगों में तीसरी योजना की पूरी लक्ष्य क्षमता के लाइसेंस दिये जा चुके हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) ४५६ ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०––१२८४/६३]**

†**डा० सरोजिनी महिषी :** सभा पटल पर रखे गये विवरण से मालूम होता है कि लाइसेंस ४६ नये उपक्रमों को दिये गये हैं । यदि ये लाइसेंस इन उद्योगों के विस्तार के लिये अब तक दिये गये लाइसेंसों के अतिरिक्त दिये गये हैं तो क्या अखबारी कागज के अतिरिक्त उत्पादन से अखबारी कागज में संभरण पर प्रतिबन्ध को हटाने में सहायता मिलेगी ?

†**श्री कानूनगो :** अधिकांश लाइसेंसों की क्रियान्विति हो रही है । परन्तु इस बीच मांग भी बढ़ती जा रही है । हर छठे महीने हम स्थापित क्षमता तथा मांग का पुनरीक्षण करते हैं तथा लाइसेंस दी जाने वाली तथा लाइसेंस न दी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने की व्यवस्था बता देते हैं ।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ण लक्ष्य क्षमता कुछ उद्योगों को जारी की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कर्मी तथा तकनीकी जानकारी के अनुरक्षक के लिए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्य कच्ची सामग्री उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो :** जब भी कभी पर्याप्त क्षमता का लाइसेंस दिया गया तभी हमने इसका पुनरीक्षण किया और यह जानने का प्रयत्न किया कि उत्पादन शीघ्र होने लगेगा ।

श्री तुलसीदास जाधव : यह जो लाइसेंस दिये जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिये वे इस लिये दिये जाते हैं कि सब जगहों पर उनका फैलाव हो, उन का सही बटवारा हो, या कि कहीं कम दिये जाते हैं और कहीं ज्यादा दिये जाते हैं ?

श्री कानूनगो : हमारी पालिसी डिसेंट्रलाइजेशन की है और जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन पर खास तौर से ध्यान दिया जाता है, लेकिन

यह उद्योगों पर आधारित है । कुछ स्थान कुछ उद्योगों के लिए सुविधाजनक होते हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** तीन वस्तुओं १९, २६, तथा ४४, फ्लोरेसैंट ट्यूब, कास्टिक सोडा, तथा साबुन के लिए लाइसेंस क्यों दिये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो :** क्योंकि मांग बढ़ रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि १९६२–६३ में से दिए गए अधिकांश लाइसेंस पुरानी फर्मों को ही दिए गए थे तथा नई फर्मों को बहुत कम दिए गए थे ?

†**श्री कानूनगो** : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । पूरी सूची सभा तथा जनता के सामने है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : १९६३ की नहीं है । हम मंत्री से जानना चाहते हैं ।

†**श्री कानूनगो** : १९६२–६३ के आंकड़े प्रधान मंत्री सभा को बता चुके हैं ।

†**श्री इक़बाल सिंह** : नई फर्मों को कितने लाइसेंस दिए गए हैं ?

†**श्री कानूनगो** : वह प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में संभवतया २७ तारीख को सभा में बताये जा चुके हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : ध्यान दिलाने की सूचना का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री ने बताया था कि दिए गए ४००० लाइसेंसों में से १६३ अथवा १६४ छः बड़ी फर्मों को दिए गए थे । शेष ३७०० कितने धन के हैं तथा १६३ कितने धन के हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नही दिया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य चाहें तो पत्र लिखें मैं मंत्री से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

स्वीडन के साथ व्यापार-करार

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. **श्री महानन्द :**
श्री नरसिंहन् रेड्डी :
श्री सेझियान :
श्री राजाराम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में स्वीडन के साथ एक द्विपक्षी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत कौनसी वस्तुएं मंगायी जाएंगी ;

(ग) क्या कुछ बिजली का सामान और ड्रिलिंग उपकरण भी जो भारत में बनाए जाते हैं, मंगाए जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ।

(इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ा गया ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा औचित्य प्रश्न है। अध्यक्ष प्रश्न नहीं पूछ सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने प्रश्न नहीं पूछा है। माननीय सदस्य की आवाज़ मंत्री तक नहीं पहुंच रही थी इसलिए मैंने उसे पढ़ दिया है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आपस में सरकारों का द्विपक्षीय व्यापार करार नहीं हुआ है। परन्तु राज्य व्यापार निगम ने स्वेडन की मैसर्स ए० बी० सुकाब से ७-३-१९६३ को एक सम्पर्क करार किया है कि ६-३-१९६४ तक एक वर्ष के लिए १५५ लाख रुपये की वस्तुयें स्वेडन जाय तथा इतने ही रुपये की भारत आयें।

(ख) राज्य व्यापार निगम/सुकाब करार के अधीन निम्नलिखित वस्तुओं का आयात करने का विचार है :—

१. चम्बल परियोजना मशीन	३५ लाख रुपये
२. ड्रिलिंग उपकरण समेत मशीन	६० लाख रुपये
३. बाल बेयरिंग	३५ लाख रुपये
४. विशेष इस्पात	२५ लाख रुपये
	१५५ लाख रुपये

(ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा देसी आधार पर आयात वस्तुओं को छूट दे देने पर तथा सक्षम अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए आयात अत्यावश्यक समझे जाने पर आयात की व्यवस्था की जाती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

बोकारो इस्पात कारखाना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२.** **श्री मुरारका :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री बड़े :
श्री नाथ पाई :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री कमल नाथ तिवारी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना के लिये वित्तीय सहा-

†मूल अंग्रेजी में ।

यता देने के प्रश्न पर विचार अनिश्चित काल तक स्थगित कर देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) बोकारो इस्पात कारखाने को शीघ्र स्थापित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (घ). २८ अप्रैल को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण में बोकारो सम्बन्धी अमरीकी इस्पात दल के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन का सारांश संक्षेप में वाशिंगटन में समाचार पत्रों को दिया था। वही सारांश हमने दिल्ली में समाचार पत्रों को दिया था। भारतीय समाचार पत्रों में उस पर बड़ी टीका टिप्पणी हुई है। सम्भवतया यह उन समाचारों के आधार पर हुआ है कि अमरीका ने इस परियोजना पर निर्णय लेना अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का निर्णय कर दिया है। क्योंकि माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है तथा यह स्वाभाविक भी है क्योंकि बोकारो हमारे लिये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इसके सम्बन्ध में खुलासा तौर पर कुछ बताऊंगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने अमरीकी प्रेस को सारांश देते हुए कहा कि अमरीका की सरकार ने बोकारो के प्रस्तावित इस्पात कारखाने में धन लगाने में हिस्सा लेने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया था तथा उन के द्वारा अन्तिम निर्णय लेने के सम्बन्ध में भी कोई निश्चित तिथि निश्चित नहीं की गई थी। यह भी बताया गया कि प्रतिवेदन में बहुत से प्रश्नों के उत्तर हैं परन्तु बहुत से ऐसे प्रश्न उत्पन्न भी हो गये हैं जिनकी अग्रेतर जांच आवश्यक है। सच यह है कि बहुत से ऐसे प्रश्न उठाये गये हैं जिनकी जांच अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा ही केवल आवश्यक नहीं है परन्तु भारत सरकार द्वारा भी आवश्यक है। मैं प्रमाणिक आधार पर यह ही पता लगा पाया हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि बोकारो पर निर्णय लेने का प्रश्न अनिश्चित काल के लिए लम्बित कर दिया गया है जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में दिया गया है।

अमरीकी इस्पात दल के प्रतिवेदन का उद्देश्य यह था कि बोकारो में धन लगाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता की जाये। प्रतिवेदन में संक्षेप में यह बताया गया है कि इस्पात की मांग तथा बोकारो में उत्पादित वस्तुओं के कारण एक नया इस्पात कारखाना स्थापित होने का औचित्य है। उसमें यह प्रस्ताव है कि १४ लाख टन के पिण्ड इस्पात की आरम्भिक क्षमता का आधुनिक इस्पात कारखाना बनाया जाये जो दो क्रम में ४० लाख टन का उत्पादन करने लगेंगे। उसने यह भी सिफारिश की है कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं की भी पुनः जांच की जानी चाहिए तथा समय पर सम्भरण किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो एक ऐसा संयन्त्र है जिसके पहले क्रम में लाभ नहीं होगा परन्तु बाद में लाभ होगा। प्रतिवेदन में प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध की समस्या पर बल दिया है तथा सुझाव दिया है कि संयन्त्र का निर्माण तथा आरम्भिक चालन अमरीकी तरीके का हो। संक्षेप में प्रतिवेदन सामान्यतः आशानुकूल है तथा उसमें ऐसे आंकड़े हैं जिनके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय ले सकता है। हमारे ही समान अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण प्रतिवेदन की जांच कर रहा है। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि अनुमानित पूंजी लागत अधिक है तथा प्रास्वथायें लम्बी लम्बी बनाई गई हैं। परन्तु यह मामले ऐसे हैं जिनका बातचीत के बाद सन्तोषजनक हल निकाला जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिए अभी से निश्चेष्ट होने का कोई कारण नहीं है । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दोनों पक्षों की सद्भावना से उठाये जाने वाले अथवा उठाये हुए बहुत से प्रश्नों का सन्तोषजनक हल निकाला जा सकेगा । किसी भी तरह से बोकारो भारत सरकार के लिए बहुत आवश्यक है तथा हमने यह निर्णय कर लिया है संयन्त्र सरकारी क्षेत्र में होगा । मैं आशा करता हूं कि हमारे अमरीकी मित्र इस बात को समझेंगे और अपना अन्तिम निर्णय इसके बारे में हम को बता देंगे ।

श्री मुरारका : क्या बोकारो के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री श्री डीन रस्क से बातचीत करेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस सम्बन्ध में श्री डीन रस्क से बातचीत करने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह मामला उठाया नहीं जा सकता है ।

†**श्री मुरारका** : क्योंकि विशेषज्ञों ने इस परियोजना के आर्थिक औचित्य तथा तकनीकी सम्भावनाओं को स्वीकार कर लिया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या और विलम्ब के राजनीतिक कारण हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं ऐसा नहीं समझता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह बताया गया है कि धन की भागीदारी के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । क्या यह इस कारण से है कि अमरीकी फर्म सरकार पर दबाव डाल रही है कि इस को गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाये ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं ऐसा नहीं समझता । यह तय हो चुका है कि बोकारो सन्यन्त्र सरकारी क्षेत्र में बनाया जायेगा । इसलिए हमें उसी आधार पर निर्णय लेना है ।

†**श्री नाथ पाई** : भारत में अमरीकी राजदूत ने १२ अप्रैल को सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि बोकारो संयन्त्र स्थापित किया जायेगा । इसके बाद वाले आयोग का प्रतिवेदन आया । क्या मन्त्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि क्या वित्त आयोग पूरा सरकारी क्षेत्र में परियोजना को सहायता देने में आनाकानी करने के कारण ही इस योजना को लम्बित किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं यह समझता हूं कि सिफारिशों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मुझे अमरीकी राजदूत ने विश्वास दिलाया है कि वाशिंगटन में इस पर विचार किया जा रहा है तथा इसलिए मैं नहीं समझता कि वित्त आयोग की सिफारिश अथवा इसी प्रकार की कोई चीज हमारे बीच नहीं आयेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या कल के बंगाल के परिचालित आनन्द बाजार पत्रिका में प्रकाशित समाचार कि बोकारो पर निर्णय को लम्बित करने तथा सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं की कटु आलोचना करने में कोई सम्बन्ध है ? क्या इसको गैर सरकारी क्षेत्र में बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैंने आनन्द बाजार पत्रिका तथा अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित समाचारों को नहीं देखा है । परन्तु मैं समझता हूं कि दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि प्रतिवेदन की जांच हो रही है तथा जांच समाप्त हो जाने पर हमें आशा है कि अमरीकी अधिकारियों की प्रतिक्रिया हमें मालूम हो सकेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि अमरीका ने पूरी क्षमता होने तक इस वर्ष तक अमरीकी प्रबन्ध की शर्त लगाई है मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में इसके लिए किस प्रकार लागू करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : किस प्रकार का प्रबन्ध हो तथा कितने समय तक हो आदि बातों पर बातचीत होनी है

†श्री हेम बरुआ : उन्होंने दस वर्ष कहा है ।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : तथा निर्णय लिया जाना है । पहले तो यही निर्णय लेना है कि बोकारो को सरकारी क्षेत्र की परियोजना बनाने के लिए अमरीकी सहायता मिलेगी अथवा नहीं । अन्य मामले तो बाद में आते हैं ।

†श्री दाजी : क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने १० वर्ष तक प्रबन्ध रखने की शर्त सहायता देने से पहले ही लगा दी है । यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है ?

†श्री स० मो० बनर्जी : चाहे अमरीकी सहायता मिले अथवा नहीं, क्या सरकार इसको अभी भी सरकारी क्षेत्र में रखना चाहती है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इसके बारे में स्पष्टतः बता चुका हूं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रूस ने भी कोई फौरमल या इनफौरमल औजार बोकारो प्लांट के लिए दिया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अधिक बल नहीं देंगे ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार यह ठीक ही कर रही है कि बोकारो को सरकारी क्षेत्र में बनाया जाये, उसी प्रकार का उसका यह भी विचार है कि आरम्भिक काल में प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में न रहे चाहे परियोजना के तकनीकी कर्मचारी कोई भी क्यों न हों ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन सभी मामलों पर विचार किया जाना है । मैं नहीं समझ कि मैं इसका इस समय उत्तर दे सकूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मोटर साइकिलों का निर्माण

*११५३. श्री विभूति मिश्र : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलेंड के सहयोग से भारत में मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए फरीदाबाद में एक कारखाना खोले जाने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी हां । सर्वश्री एस्कोर्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली, को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत पोलैण्ड के सर्वश्री सीकोप के सहयोग से १५०/१७५ सी० सी० मोटर-साइकिल और स्कूटर बनाने के लिये फरीदाबाद में एक नया कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस दिया गया है । लाइसेंस की गई क्षमता ६,००० प्रति वर्ष है । उन्होंने हाल ही में मोटर साइकिलों का उत्पादन आरम्भ किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टीन के डिब्बों की कमी

†*११५६. **श्री राम सहाय पाण्डेय:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिन के डिब्बों की कमी के कारण कलकत्ता के वनस्पति निर्माताओं के सामने एक संकट उपस्थित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग का संकट दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) हमें ऐसे किसी संकट की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मूल्य जांच

*११६३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास इस बात की जांच करने की कोई व्यवस्था है कि सोल एजेंट निगम द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य से अधिक न ले ; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम खरीदारों से यह पूछता है कि उन्होंने सोल एजेंटों को वास्तव में कितना मूल्य दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

जी, हां । एजेंट को आयात लाइसेंस देने से पहले उसके और राज्य व्यापार निगम के बीच आयात की गयी सम्बन्धित वस्तु के मूल्य और उसकी वितरण व्यवस्था के बारे में एक करार किया जाता है । राज्य व्यापार निगम अधिक बिक्री लाभ निर्धारित कर देता है और एजेंट को वास्तविक उपयोक्ता से उस से अधिक मूल्य लेने की अनुमति नहीं होती । एजेंट को राज्य व्यापार निगम के पास बिक्री के तिमाही विवरण भेजने पड़ते हैं, जिस में वास्तविक उपयोक्ताओं के हाथ बेचे गये माल—उन के नाम और पते, बीजक नम्बर तथा वास्तविक उपयोक्ता के हाथ जितने मूल्य में वह वस्तु बेची गई उस का ब्योरा दिया जाता है । ये विवरण चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किए हुए होते हैं । इन विवरणों के प्राप्त हो जाने पर राज्य व्यापार निगम विभिन्न वास्तविक उपयोक्ताओं को, आकस्मिक जांच करने की दृष्टि से पत्र लिखता है जिस से यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने एजेंट को वास्तव में कितना मूल्य दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात पिंड संयंत्र, रांची

†*११६८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में इस्पात पिंड संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या होगी ;

(ग) क्या संयंत्र की योजना तथा प्राक्कलन बना लिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो संयंत्र का कुल प्राक्कलन क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि वस्तुओं पर किस्म नियंत्रण

†*११६९. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बढ़ाने के लिये कृषि वस्तुओं पर किस्म नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन वस्तुएं विचाराधीन हैं और नियंत्रण का ढांचा क्या होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) निर्यात बढ़ाने के लिये जहाज़ पर लादने से पूर्व निरीक्षण तथा अनिवार्य किस्म नियंत्रण के अधीन कई कृषि वस्तुओं को लाया जा रहा है । ये निम्नलिखित हैं :—

१. सन
२. अनिर्मित तम्बाकू
३. अपरिष्कृत ऊन
४. बाल
५. बकरी के बाल
६. चन्दन का तेल
७. नीबू घास का तेल
८. पामरोज़ा आयल
९. काली मिर्च
१०. इलायची
११. लाल मिर्च
१२. हरड़ ; और
१३. काजू

---

†मूल अंग्रेजी में

इन सभी पर नियंत्रण इस प्रकार रखा जाता है कि काजू को छोड़ कर सभी वस्तुओं को श्रेणी-बद्ध कर लिया जाता है और कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्हन) अधिनियम तथा नियमों के अधीन एगमार्क का चिन्ह लगा दिया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारी तब तक इन वस्तुओं का निर्यात नहीं करते हैं जब तक इन पर एगमार्क का लेबल नहीं लगा हो।

काजू का श्रेणीकरण तथा चिन्हन काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा किया जाता है तथा जब तक काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद् का लेबल उस पर नहीं होता है तब तक उस के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है।

(२) उपरोक्त कृषि वस्तुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित पर किस्म नियंत्रण लागू करने का मामला विचाराधीन है : —

१. दालें
२. प्याज
३. अदरक
४. हल्दी
५. अखरोट
६. वनस्पति तेल (जैसे मूंगफली का तेल, अरंडी का तेल तथा बिनौले का तेल)
७. खसखस का तेल
८. सनफ की पत्तियां तथा सनफ का फल
९. बीड़ी की पत्तियां
१०. खाने योग्य कुकुरमुत्ता
११. आलू

एगमार्क योजनाओं के अधीन आने वाली समस्त वस्तुओं पर जो नियंत्रण होता है वहीं इस पर भी लागू किया जाता है।

नमक का निर्यात

†११७०. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से नमक का निर्यात बहुत कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) नमक का निर्यात नीचे दिया जाता है :—

	टन
१९५३	२,९८,६५०
१९५४	२,३२,६४८

†मूल अंग्रेजी में

	टन
१९५५	२,४९,१७४
१९५६	३,०८,५०६
१९५७	४,५५,१०९
१९५८	२,९६,७१७
१९५९	३,४०,६२९
१९६०	४,४८,५०५
१९६१	१,५८,३७८
१९६२	१,६४,६६५
१९६३ (२८-२-६३ तक)	४७,२२९

(ख) और (ग). हमारा नमक का निर्यात इसलिये कम हो गया है क्योंकि सब से अधिक नमक का खरीददार जापान अब रूमानिया, चीन तथा अपने निकटस्थ देशों से बड़ी मात्रा में नमक खरीद रहा है। हाल में ही नमक की खपत देश में बढ़ जाने के कारण अधिक फालतू नमक न मिलने पर निर्यात बहुत सीमित हो गया था।

परन्तु हाल में ही जापान पुनः भारतीय नमक खरीदने लगा है तथा तदनुसार राज्य व्यापार निगम जापान को बेचने के लिये ४.५ लाख टन के समझौते के बारे में बातचीत कर रहा है। हम निर्यात बढ़ाने के लिये नमक का उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

टीन के डिब्बों का निर्माण

*११७१. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थ परिरक्षक संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि टीन के डिब्बे बनाने के लिये उन्हें चद्दरों का लाइसेंस दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान में पटसन मिलों को चौड़े करघों का संभरण

†*११७२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की एक इंजीनियरिंग फर्म ने पूर्वी पाकिस्तान में पटसन मिलों को चौड़े करघों का संभरण करने का ठेका लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारतीय पटसन उद्योग के लिये यह भारी चिन्ता का विषय हो गया है ; और

(ग) पाकिस्तान को चौड़े करघों के निर्यात से कलकत्ता की पटसन मिलों पर, जहां अमरीका को निर्यात के लिये कालीनों के 'बैंकिंग क्लाथ' के निर्माण के लिये चौड़े करघे लगाये गये हैं, क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जी नहीं। पहले कुछ करघों के निर्यात की अनुमति दे दी गई थी। इसका हमारे निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

भारत में निर्मित आटो-ट्रांसफार्मर

†*११७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा भारत में पहली बार निर्मित पहला आटो ट्रांसफार्मर सभी परीक्षणों में सफल उतरा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों का निर्माण व्यय यूरोपीय देशों के औसत व्यय की तुलना में कैसा है ;

(ग) क्या इसके सभी पुर्जे देशी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इनमें कितने विदेशी पुर्जे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—१२८५/६३**]

ट्रांजिस्टरों के लिये बैटरी सैलों की कमी

†*११७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत कुछ सप्ताहों से ट्रांजिस्टरों में काम आने वाले बैटरी सैलों की बहुत कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). हमें अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली प्रशासन को भी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

रबड़ की आवश्यकता

†*११७५. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि के अन्त तक भारत में कच्चे रबड़ की आवश्यकताओं

---

†मूल अंग्रेजी में

का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित आवश्यकता क्या है ; और

(ग) भारत में रबड़ की अपेक्षित मात्रा का उत्पादन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). तीसरी योजना के अन्त तक कच्ची रबड़ की आवश्यकता का अनुमान ६५ से ७० हजार टन के बीच का है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश में कच्चे रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है :-

१. कम उत्पादन वाली रबड़ के स्थान पर अधिक उत्पादन वाली रबड़ के पौदे लगाने के लिये प्रति एकड़ १००० रुपये की सहायता।

२. छोटे उत्पादकों को १५ एकड़ तक अपनी जोत बढ़ाने के लिये लघु उत्पादकों को प्रति एकड़ ७५० रुपये का ऋण।

३. बीज, खाद आदि का सहायता प्राप्त दरों पर छोटे उत्पादकों का संभरण किया गया।

४. खेती के अच्छे तरीकों तथा पौदा संरक्षण कार्यवाहियों की उत्पादकों को शिक्षा देने के लिये सलाहकार सेवा बनाना। उत्पादकों में इन तरीकों का प्रचार करने के लिये बारह प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

५. पौदा संरक्षण कार्य के रूप में विमान द्वारा कीटाणु नाशक छिड़काव करने की सुविधा

६. केरल सरकार ने राज्य में रबड़ की खेती करने के लिये रबड़ पौदा निगम स्थापित किया है।

७. भारत के अन्य भागों में रबड़ की खेती के लिये उपयुक्त भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार

†*११७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही भारत तथा इंडोनेशिया के बीच व्यापार करार के लिये बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के परिणामस्वरूप क्या किसी करार पर हस्ताक्षर हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां। २४ अप्रैल, १९६३ को भारत सरकार तथा इंडोनेशिया सरकार के बीच व्यापार तथा वाणिज्य करार हुआ था जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

इस्पात के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा

†२६७५. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात के आयात के लिये १९६२–६३ में उड़ीसा को कितनी अधिकतम विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : इस्पात के आयात के लिये १९६२–६३ में उड़ीसा राज्य को विदेशी मुद्रा का आवंटन १६.२ लाख रुपये रखा गया था।

उड़ीसा में नमक उद्योग

†*२६७६. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में उड़ीसा में कितने नमक का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६२–६३ में उड़ीसा में नमक उद्योग के लिये कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क)

	टन
१९६१–६२	४८,४००
१९६२–६३	४९,०००

(ख) और (ग) इसी अवधि में सुरला सुमादी क्षेत्र में ब्राइन सप्लाई में सुधार करने के लिये एक योजना आरम्भ की गई है। गंजम तथा सुरला नमक कारखानों में सुधार करने के लिये अन्य योजनायें विचाराधीन हैं ।

उड़ीसा के लिये भारी उद्योग

†२६७७. **श्री उलाका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में राज्य में नये भारी उद्योग स्थापित करने के लिये लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२८६/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबारी कागज का उत्पादन तथा आयात

†२६७८. **श्री उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में देश में कितने अखबारी कागज का उत्पादन किया गया तथा कितना अखबारी कागज आयात किया गया ; और

(ख) इसी अवधि में अखबारी कागज का आयात करने के लिये कितनी रकम की विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १९६२–६३ में देश में २६,६६९ टन के अखबारी कागज का उत्पादन हुआ था। १९६२–६३ (फरवरी १९६३ तक) ८५,७४५ टन का तथा ६.५ करोड़ रुपये के अखबारी कागज का आयात किया गया था ।

हथकरघा वस्त्र उद्योग

†२६७९. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री उलाका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में केन्द्रीय सरकार से देश के हथकरघा वस्त्र उद्योग को राज सहायता मिली थी ; और

(ख) यदि हां, तो वह रकम कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) जी हां ।

(ख) १७४.४१ लाख रुपये ।

महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने

†२६८०. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने की योजना स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि हां , तो कारखानों में कब से उत्पादन होगा तथा इन कारखानों की उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख) महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये तीन योजनायें अब तक स्वीकार की गई हैं इनमें से दो राजुर के निकट प्रत्येक २००,००० टन स्थापित क्षमता वाली होंगी। तीसरी हादापसार

---

†मूल अंग्रेजी में

के निकट १००,००० टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता वाली होगी। इसके लिये संबंधित पार्टियों को लाइसेंस तब दिये जायेंगे तब सभी अपेक्षित मशीन तथा उपकरण का सन्तोषजनक प्रबन्ध कर लेंगी।

अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि इन कारखानों में उत्पादन कब से होने लगेगा।

महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†२६८१. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग में कच्चे लोहे की बहुत कमी है तथा यह उद्योग बन्द होने को है ; और

(ख) यदि हां, तो इनको बन्द होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). ढलाई वाले कच्चे लोहे की कमी के बारे में महाराष्ट्र राज्य में ढलाई के कारखानों से शिकायतें मिली हैं। सरकार को जानकारी है कि ढलाई वाले कच्चे लोहे की कमी केवल महाराष्ट्र राज्य को ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी है। इस कमी के कारण महाराष्ट्र राज्य के कौन से छोटे पैमाने के एकक बन्द होने वाले हैं इसकी जानकारी नहीं है। वर्तमान तथा बकाया क्रयादेशों पर १९६२ में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न ढलाई कारखानों को लगभग ३८००० टन कच्चे लोहे का संभरण कर दिया गया था। ढलाई कारखानों को चालू रखने के लिए प्राथमिकता आधार पर कुछ लदान किये गए थे।

कपास का आयात

†२६८२. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेग कि :

(क) १९६२–६३ में कितने मूल्य की कपास का अयात किया गया था ; और

(ख) कपास का अयात करनें का क्या कारण है :

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अमरीका से पी० एल० ४८० के विशेष भुगतान प्रबन्ध के अधीन १३.२४ करोड़ रुपय के मूल्य की कपास का आयात किया गया था। वस्तु विनिमय के आधार पर २.४४ करोड़ रुपय के मूल्य की कपास का आयात किया गया था। भारत-संयुक्त अरब गणराज्य के शेष कपास व्यापार प्रबन्ध के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य से ९.०३ करोड़ रुपय के मूल्य की कपास का आयात किया गया था। अफ्रीका तथा अन्य देशों से वाणिज्यिक आयात पर २६.२३ करोड़ रुपय की कपास का आयात किया गया था। इस प्रकार १९६२–६३ में ५०.९४ करोड़ रुपय के मूल्य की ७.५ लाख गांठों का आयात किया गया था।

इसी अवधि में भारत से छोट रेशे की १२.२३ करोड़ रुपय की कपास का निर्यात किया गया था। भारतीय उद्योग द्वारा सामान्यतः इस कपास का प्रयोग नहीं किया जाता है।

इसी अवधि में ५२.५६ करोड़ रुपय के मूल्य के सूती कपड़ का निर्यात किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी नें

देश की तथा निर्यात की आवश्यकताओं से देश में उत्पादन कम होन के कारण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कपास का अयात करना आवश्यक था। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करन में हम लम्बे तथा छोटे दोनों प्रकार के रेशों की कपास उपलब्ध करन में असमर्थ है।

सिंचाई वाले क्षत्रों में कपास उगाने के हमारे प्रयत्न जारी हैं और तभी १९६५-६६ तक हमारे लक्ष्य पूरे हो जायेंग। संभवतया हमारे यहां प्रति वर्षा १०-१५ लाख गांठों की कमी है। कपास की कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम रेशा तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पाकिस्तान से आयात

†२६८३. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से ओ० जी० एल० के अधीन किन वस्तुओं का आयात करने की अनुमति है ; और

(ख) उनका आयात करने के क्या कारण है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) पाकिस्तान से ओ० जी० एल० के अधीन निम्नलिखित वस्तुओं के आयात की अनुमति है :—

(१) मछली (बिना विशेषताओं के)

(२) मछली, नमक वाली, गीली

(३) जीवित कछुवे ;

(४) खाल तथा चमड़ा, कच्चा अथवा नमक लगा हुआ

(५) सेमल की रूई।

पहले तीनों वस्तुओं का आयात पश्चिम बंगाल तथा आसाम में खाने के लिए किया जाता है तथा अन्य दोनों वस्तुओं का आयात औद्योगिक उद्योग के लिए होता है।

मद्रास में छोटे पैमाने का उद्योग

†२६८४. **श्री राजा राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेग कि :

(क) क्या १९६२-६३ में राज्य में छोटे पैमान के उद्योगों के विकास के लिए मद्रास राज्य को कोई ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) १९६२-६३ में छोट पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए मद्रास सरकार को क्रमशः ५५.७७ लाख रुपय तथा ७२.९१ लाख रुपय का अनुदान तथा ऋण दिया गया था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक बस्तियां बसाने के लिए ३७.९४ लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

†२६८५. **श्री राजा राम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के उद्योगों को आरम्भ करन के लिए तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में कितन लाइसेंस जारी किए गए थे ;

(ख) कितने लाइसेंसों का उपयोग किया गया था ; और

(ग) किन उद्योगों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम, १९५१ के अधीन समय समय पर जारी किए गए लाइससों के ब्योरे 'बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसज़, इम्पोर्ट लाइसेंसज़ एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज़' तथा "इंडियन ट्रेड जरनल, दोनों साप्ताहिकों, तथा 'जनरल आफ़ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं । क्रियान्वित लाइसेंसों के ब्योरे भी "जनरल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' मासिक पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं । प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में है ।

नेशनल इंस्ट्रूमैंटस फैक्टरी कलकत्ता

†२६८६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, कलकत्ता के उत्पाद विभागीय रूप से बिकते हैं ;

(ख) क्या इनकी खुले बाजार में बिक्री का कोई प्रबन्ध है ; और

(ग) क्या देश में सभी उत्पादों की खपत हो जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (भूतपूर्व नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी) के उत्पादन विभागीय रूप में बेचे जाते हैं ।

(ख) जी नहीं । गैर सरकारी पत्रों में बिक्री के लिए किातबों की नियुक्ति विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

राजस्थान में कर्ज देने के लिए कम्पनियां

२६८७. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) राजस्थान में कर्ज देने हेतु कितनीं कम्पनियां की स्थापना की गयी है ;

(ख) क्या राजस्थान जन्डू-फाइनेंस ट्रेडिंग प्राइवट लिमिटेड के नाम से कोई कम्पनी है ; और

(ग) यदि हां, तो आज तक इस कम्पनी के एजेंटों ने कितने किसानों से ११ रुपये प्रति मैम्बर की दर से सदस्य शुल्क और कितने रुपये ऋ ण देने के अंशों के रूप में लिए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) राजस्थान राज्य में २७ ऐसी रजिस्टर्ड कम्पनियां काम कर रही हैं जिसके उद्देश सम्बन्धी खण्डो में ऋण तथा अग्रिम धनराशि देने की व्यवस्था शामिल है।

(ख) जी, हां। राजस्थान जन्डू फाइनेंस ट्रेडिंग कं० प्राइवेट लि० २७ दिसम्बर १९६१ को रजिस्टर्ड की गयी थी। इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी ४०,००० रु० है जो १०० रु० के ४०० इक्विटी अंशों में बंटी हुई है।

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान को इस कम्पनी द्वारा भेजी गयी सांविधिक आय विवरणियों में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित औजार

†२६८८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की वस्तुओं की किस्म शीघ्र उत्पादन के कारण गिर गई है;

(ख) क्या कोई शिकायत मिली है; और

(ग) किस्म अच्छी बनाने तथा संख्या न बढ़ाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई मशीनों की किस्म में गिरावट आने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। कम्पनी को जो कुछ शिकायतें मिली हैं वह क्लचों तथा ब्रेकों में कुछ समायोजन करने के बारे में तथा गाहकों की संचालन तथा संधारण समस्याओं के बारे में है। वस्तुओं पर निय नियंत्रण समेत सभी स्थितियों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है । सभी स्थितियों पर निरीक्षण किया जाता है ।

आसाम में छोटे पैमाने के उद्योग

†२६८९. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभरण तथा निपटान महानिदेशक ने प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए आसाम में छोटे पैमाने के उद्योग के लिए १८ वस्तुओं की सिफारिश की है

(ख) यदि हां, तो यह वस्तुए क्या हैं ; और

(ग) क्या इन छोटे पैमाने के उद्योगों को तुरन्त काम आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) और (ख). आसाम में नियुक्त प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के लिये आसाम में छोटे पैमाने

---

†मूल अंग्रेज़ी में

के उद्योगों से निम्नलिखित १८ वस्तुओं का समाहार किया जायेगा :

(१) पुलिया	(१०) बास्केट राशन
(२) झाड़	(११) राइफल बट
(३) टैंकों की कीलें, तथा बांस	(१२) कांटेदार तार
(४) अस्पताल का फरनीचर	(१३) अम्यूनिशन बाक्स
(५) पीने के पानी के टैंक	(१४) मैस टीन
(६) किट के लिए बक्सा	(१५) तिरपाल
(७) बाल्टियां	(१६) कीलें (कांटेदार तारों के लिए
(८) कुल्हाड़ी	(१७) स्ट्रैचर
(९) साबुन, फ़िनाइल	(१८) ट्रेलर

(ग) सामान्यतः, संभरण तथा निपटान निदेशालय छोटे पैमाने के उद्योग को बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में १५ प्रतिशत की छूट दे देता है। मूल्य छट वस्तुओं के गुणावगुणों के आधार पर होती है। आसाम के सभरणकर्त्ताओं को विशेष छट नहीं दी जाती है।

आसाम सरकार तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय असाम में छोटे पैमाने के उद्योगों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया अप्रत्यक्ष व्यापार

†२६९०. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम किन वस्तुओं का अप्रत्यक्ष व्यापार करता है ;

(ख) इस व्यापार पर सेवा भार किस आधार पर लगाया गया है ; और

(ग) १९६२-६३ में राज्य व्यापार निगम द्वारा कितना तथा कितने मूल्य का अप्रत्यक्ष व्यापार किया गया तथा उस से कितनी आय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा जिन वस्तुओं का अप्रत्यक्ष व्यापार किया जाता है उस की सूची संबद्ध है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२८७/६३**]

(ख) राज्य व्यापार निगम वास्तविक प्रयोक्ता की आवश्यकता पर सेवा भार नहीं लगाता है। परन्तु सेवाभार विदेशी सभरणकर्ता के भारतीय अभिकर्त्ताओं पर आपात के लिए लगाया जाता है। भार राज्य व्यापार निगम के व्यय को पूरा करने के लिये है। सेवा भार की प्रतिशतता वस्तुओं की किस्म पर आधारित होती है तथा राज्य सरकार व्यापार निगम द्वारा दी गई सहायता के आधार पर निश्चित किया जाता है।

(ग) १९६२-६३ में अप्रत्यक्ष आपात लगभग ६० करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष व्यापार से कुम आय लगभग ३५ लाख रुपये होने का अनुमान है।

---

†मूल अग्रेज़ी में

पंजाब में कच्चा लौह अयस्क संयंत्र

†२६९१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार कच्चा लोह अयस्क संयंत्र स्थापित करने का आयोजन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है तथा क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग अथवा विदेशी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या पंजाब सरकार ने संघ सरकार को विदेशी मुद्रा मक्त करने के लिये कहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(क) पंजाब सरकार ने कच्चे लोहे के निर्माण के लिए एक सयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने का अभ्यावेदन किया है । यह कच्चा लोहा १.५ से ३ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रति वर्ष १००,००० टन की क्षमता के लिये महेन्द्रगढ़ जिले के लौह अयस्क से बनाया जायेगा । इस लागत में से ०.३८ करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा का होगा । अभी विदेशी सहयोग लेने का कोई विचार नहीं है । अभ्यावेदन की जांच की जा रही है ।

(ख) जी नहीं । औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के बाद यह प्रश्न उत्पन्न होता है ।

बेयरिंग के लिये आयात लाइसेंस देना

२६९२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार वर्षों, अर्थात् १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ और १ अप्रैल, से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक की अवधि में आयात व्यापार नियत्रण अनुसूची के भाग २ के मद संख्या १९(१), (२) और (३) में उल्लिखित बेयरिंगों के लिए निम्नलिखित को कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिए गए :—

(१) पुराने आयातकों ;

(२) सरकारी विभागों के अतिरिक्त अन्य वास्तविक उपभोक्ताओं ;

(३) सरकारी विभागों और सरकार के स्वामित्व के कारखानों ;

(४) इन बेयरिंगों के विदेशी निर्माताओं के सोल एजेंटों ; और

(५) भारत के राज्य व्यापार निगम ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): अप्रैल-सितम्बर, १९५८ से अप्रैल १९६२, मार्च, १९६३ (५-१-१९६३ तक) की लाइसेंस अवधि में आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के भाग २ के क्रम संख्या १९(१), (२) और (३) के अधीन आने वाले बाल बेयरिंग के विभिन्न श्रेणियों के आयातकों को जारी किए गए लाइसेंसों का मूल्य बताने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१२८८/६३]**

---

†मूल अग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम द्वारा बेयरिंगों की सप्लाई

२६९३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी प्रादान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ से १९६१-६२ तक हर साल राज्य व्यापार निगम के अनुदेश के अधीन सोल एजेंटों ने निम्नलिखित को कुल कितनी कीमत के बेयरिंग की सप्लाई की :

(१) राज्य व्यापार निगम, उद्योग निदेशकों या विकास अनुभागों द्वारा नाम-निर्देशित वास्तविक उपभोक्ताओं ;

(२) सोल एजेंटों द्वारा नामनिर्देशित वास्तविक उपभोक्ताओं ; और

(ख) सोल एजेंटों को वास्तविक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अपनी पसन्द के अन्य ग्राहकों का कितने मूल्य का सामान बेचने की अनुमति दी गयी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) एक विवरण साथ में नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—१२८९।६३]**

(ख) रु० ५,३०,००० ।

बीड़ी तथा सिगरेट का उत्पादन

†२६९४. **श्री राम हरख यादव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ तथा १९६१ में क्रमश: बीड़ी तथा सिगरेट का कितना उत्पादन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: सिगरेट तथा बीड़ी का उत्पादन नीचे दिया जाता है ।

	वर्ष	उत्पादन (लाखों में)
सिगरेट	१९५५	२,२९,१३०
	१९६१	३९,४७०
बीड़ी	१९५५–५६	*२१,३०,०००
	१९६१–६२	*२२,४०,०००

सोमालिया से व्यापार

†२६९५. **श्री प्र०चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमालिया के कृषि मंत्री ने अपने हाल के दौरे में नई दिल्ली में अपने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए क्या व्यापार सम्बन्ध बनाने के लिये भारतीय सहायता लेने के विभिन्न उपायों पर विचार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन के साथ किन उपायों पर बातचीत हुई थी तथा क्या निर्णय किए गए थे ?

†मूल अंग्रेजी में

*यह केवल अनुमान है। बीड़ी उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन का उत्पादन कुटीर उद्योग में बड़े पैमाने पर होता है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) बातचीत सामान्य प्रकार की थी जो दोनों देशों तथा सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में व्यापार लाभों का विकास करने के लिये थी। कोई ठोस प्रस्ताव नहीं किए गए तथा निर्णय भी नहीं लिये गए।

मंत्री का दौरा कार्यक्रम

श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हों ने विदेशों का अपना दौरा कार्यक्रम अन्तिम रूप से बना लिया है ; और

(ख) क्या उन से पहले गए दौरे से उन को कोई प्रतिवेदन मिला है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी)** : (क) संभवतया माननीय सदस्य अमरीका तथा ब्रिटेन के दौरे का उल्लेख कर रहे हैं। अभी कार्यक्रम अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है।

(ख) सरकारी दल वापस लौटने पर अगले सप्ताह अपना प्रतिवेदन देगा।

विस्फोटकों का निर्माण

†२६९७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों ने विदेशी सहयोग से विस्फोटकों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) किस प्रकार के विस्फोटक बनाये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत तेरह व्यक्तियों ने नये औद्योगिक उपक्रम बनाने या अपने उपक्रमों का पर्याप्त विकास करने के लिए लाइसेन्स मांगे। ताकि उत्स्फोटन।औद्योगिक विस्फोटक बनाये जा सकें।

(ख) अनेक प्रकार के विस्फोटकों में गन पाउडर नाइट्रो मिश्रण, जैसे डाइनयाईट्स गलाटाइन, प्लास्टेक्स, आदि तरल उत्स्फोटन पदार्थों, प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट।ईंधन तेल सम्भरण तथा तरल आक्सीजन विस्फोटक शामिल हैं।

वस्तु विनिमय

†२६९८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी देशों के साथ वस्तु विनिमय के सौदों के बारे में राज्य व्यापार निगम को समूचा एकाधिकार है या गैर-सरकारी उपक्रम भी ऐसे सौदे कर सकते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राज्य व्यापार निगम ने साम्यवादी देशों से कोई वस्तु विनिमय का सौदा नहीं किया है। गैर सरकारी उपक्रम भी कोई ऐसा सौदा नहीं कर सकते।

(ख) पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हमारा विदेश-व्यापार रुपया भुगतान के आधार पर होता है। इन देशों से आयात करने के फलस्वरूप जो रुपया-निधि बनती है उसका प्रयोग वे भारतीय पण्य वस्तुयें खरीद करते हैं। आयात और निर्यात सन्तुलित रहते हैं। इस परिस्थिति में वस्तु-विनिमय करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

सिमेन्ट का अपमिश्रण

†२६९९. **श्री न० प० स्वामी :**
श्री मलाइछामी :
श्री अरुणाचलम :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट (किस्म नियन्त्रण) आदेश, १९६२ के प्रख्यापन के बाद सरकार ने सीमट अपमिश्रण के कुछ मामले पकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट के अपमिश्रण में प्रयोग किये गये पदार्थ का पता लगाने के लिए अपमिश्रित सीमेंट का परीक्षण किया है ; और

(ग) इसका क्या परिणाम रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) आदेश के प्रख्यापन के बाद राज्य सरकारों ने अपमिश्रण की कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

जूता उद्योग

†२७००. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में १९६२–६३ में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम जूते बनें।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष १९६२–६३ में जूता उद्योगों के उत्पादों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फरवरी, १९६३ में समाप्त हुए ११ महीनों में २.४४ करोड़ रु०।

बिजली के तारों का निर्माण

†२७०१. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ और १९६२ में पी० वी० सी० और वी० आई० आर० तारों तथा अल्युमीनियम चढ़े तारों के प्रयोग से बिजली के तार बनाने के कितने लाइसेंस दिये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितते लाइसेंस धारियों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और क्या प्रगति की है ; और

(ग) कितने लाइसेंस रद्द किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) बिजली के तारों, पी० वी० सी० तथा वी० आई० आर० तारों तथा बांधने के तारों के निर्माण के लिए दिये गये लाइसेंसों की कुल संख्या निम्न हैं :—

वर्ष	बिजली के तार	बी० आई० आर० तथा पी० वी० सी०	बांधने के तार
१९६१	७ नम्बर	३ नम्बर	८ नम्बर
१९६२	१ नम्बर	१ नम्बर	४ नम्बर

(ख) वी० आई० आर० तथा पी० वी० सी० तारों के दो लाइसेंसधारी और बांधने के तार के लिए एक लाइसेंसधारी व्यक्तियों ने, जो उनमें से हैं जिन्हें १९६१ और १९६२ में लाइसेंस दिये गये उत्पादन आरम्भ किया है।

(ग) बिजली के तार बनाने का केवल एक लाइसेंस रद्द किया गया है।

मोर-पंखों का निर्यात

†२७०२ { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कुल कितने मोर-पंख निर्यात हुए ; और

(ख) क्या यह निर्यात बढ़ाने के लिए मोरों को मारा जाता है और, यदि हां, तो किस तरह और कितनों को मारा जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मोर-पंखों की थोड़ी मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी जाती हैं। और पंखों का निर्यात अलग वर्गीकृत नहीं होता।

(ख) जी नहीं।। हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

रबड़ के पौधों का पुनारोपण

†२७०३ **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के पौधों के पुनारोपण के लिए आर्थिक सहायता न देने के रबड़ बोर्ड के निश्चय के विरुद्ध सरकार से कोई अपील की गई है ;

(ख) ऐसी कितनी अपीलें की गई हैं; और

(ग) क्या किसी आपत्ति पर कोई निश्चय किया गया है और यदि हां, तो कितनी अपीलों का फैसला किया गया है ?

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग), सरकार को ऐसी एक अपील प्राप्त हुई थी जो विचाराधीन है।

अण्डमान में रबड़ के बागान

†२७०४. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान में रबड़ के बागानों का विकास करने की योजना रबड़ बोर्ड ने प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हालैण्ड द्वीप में १५०० एकड़ से अधिक भूमि में ८ वर्ष में रबड़ के पौधे लगाने की अग्रिम परियोजना की योजना बोर्ड ने प्रस्तुत की थी जिस पर ४० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। फिर भी, १९६२ में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को बोर्ड ने जो सर्वेक्षण दल भेजा था उसकी खोजों के आधार पर यह निश्चय किया गया था कि योजना लागू करना बोर्ड के लिए न लाभप्रद होगा और न ही प्रशासन को दृष्टि सम्भव होगा।

रेशमी कपड़े की कीमत

२७०५. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने रेशम की कमी के कारण रेशमी वस्त्र की बढ़ी हुई कीमतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : एक विवरण साथ में नत्थी है।

विवरण

यह कहना ठीक नहीं है कि रेशमी कपड़े की कीमतें केवल रेशम की कमी के कारण बढ़ी हैं। फिर भी कीमतों को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने नीचे लिखे उपाय किये हैं :

(१) कच्चे रेशम का आयात राज्य व्यापार निगम के जरिये किया जाने लगा है तथा उसके वितरण की व्यवस्था केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है : (१) देशी तथा देश में आयात किए गए रेशम की कीमतों को स्थिर बनाए रखना तथा (२) देश में कच्चे रेशम की मांग और उसके स्थानीय उत्पादन के बीच की कमी को पूरा करना।

(२) आयात किए गए रेशम की कीमतों देशी रेशम के प्रचलित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती हैं तथा इनका मूल्य समय समय पर इस प्रकार निश्चित किया जाता है जिससे मूल्य स्तर बनाए रखने में सुविधा रहे।

(३) आयात किए गए रेशम तथा लपेट कर तैयार किए गए देशी रेशम के वितरण की एक मिली जुली योजना पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के अधीन मैसूर और जम्मू तथा काश्मीर से लपेट कर तैयार किया गया रेशम प्राप्त करके उसे खरीदे

---

†मूल अंग्रेजी में

गए मूल्य से भी कम कीमत पर देने का विचार है जिससे यह उद्योग लपेट कर तैयार किए जाने वाले देशी रेशम की लागत में धीरे-धीरे कमी कर सके। इस योजना के अधीन प्रशुल्क आयोग द्वारा सिफारिश की गई देशी रेशम की दर अर्थात् रु० ३६.६६ न० पै० प्रति पौंड मूल्य निश्चित करने का प्रयत्न भी किया जाएगा।

(४) रेशम बोर्ड की सलाह पर मैसूर सरकार ने १५ अप्रैल, १९६३ से अपने यहां लपेट कर तैयार किए गए रेशम का विक्रय मूल्य रु० १०३.६२ न० पै० प्रति कि० ग्रा० से घटा कर रु० १००.३० न० पै० प्रति कि० ग्रा० कर दिया है।

(५) इसके अलावा बोर्ड ने एक दीर्घ-कालीन कार्यक्रम भी चलाया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अधिक रेशम तैयार करने वाले रेशम के कीड़ों की नस्लों में गवेषणा की जा सकेगी, जिससे लपेट कर तैयार किए गए रेशम में अच्छी किस्म के उपयुक्त कीट-कांष मिल सकें और वे प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय किस्म का रेशम तैयार कर सकें।

कपड़े की मिलें

†२७०६ **श्री दे० जी० नायक** : क्या **वाणिज्य तथा आद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अनेक राज्यों में कपड़े की मिलें खोलने म प्रगति बहुत ही कम हुई है हालांकि तकुओं का सम्भरण बहुत पहिले कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) कपड़े के कारखाने खोलने की प्रगति इस कारण सन्तोषजनक नहीं रही कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां थीं, जैसे इमारती सामान की कमी थी और कपड़े की मशीन के सम्भरण की कठिन स्थिति थी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रूसी घड़ियों का आयात

†२७०७. **श्री कपूर सिंह** :
श्री बूटा सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने लगभग २ लाख रुपये के मूल्य की रूसी घड़ियों का लगभग मई, १९६१ में आयात करने के लिये सौदा तय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम ने इस सौदे की पूर्ति के लिए आयात लाइसेंस के लिये आवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस सौदे का क्या ब्यौरा है और इस विषय की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यद्यपि राज्य व्यापार निगम ने रूसी घड़ियों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने के लिये आवेदन दिया है, वस्तुतः कोई लाइसेंस उन्हें नहीं दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

†२७०९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार विस्तार का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । भारत सदा इस बात का इच्छुक है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का विस्तार हो ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

भिलाई इस्पात परियोजना

†२७१०. **डा०मा० श्री० अणे :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को भिलाई इस्पात परियोजना के विस्तार कार्यक्रम के लिये विदर्भ के छोटे पैमाने की रिरोलिंग मिलों के संघ की ओर से २० रुपये प्रति टन के भाव से छड़ें सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाये है ; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :(क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव दो पारियों में काम करने के लिए बिलेट की सप्लाई पर आश्रित था । मान्यता प्राप्त बिलेट रिरोलर्स के लिये भी बिलेट की सप्लाई अपर्याप्त है तथा यह सामान्यतया रिरालर्स के लिये नहीं दी जाती है जो कच्चे माल के रूप में चूरा प्रयुक्त करते है । विदर्भ एसोसिएशन बिलेट रिरोलर के लिये मान्यता प्राप्त नहीं है । अतः यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया ।

कम्पनियों में इंस्पैक्टरों की नियुक्ति

†२७११. **श्री हेम बरुआ :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनमें भारत सरकार द्वारा १ अप्रैल, १९५६ के

---

†मूल अंग्रेजी में

कम्पनीज एक्ट १९५६ की सैक्शन २३७ और २४९ के अधीन इंसपेक्टर नियुक्त किये गये थे ;

(ख) ये इंसपेक्टर किन नियमों के आधार पर नियुक्त किये गये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि जांच सम्बन्धी नियम समान रूप से सब कम्पनियों पर लागू नहीं किये जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां , तो इसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या यह सच है कि इन सब इंसपेक्टरों की नियुक्तियां भारत के गजट में अधिसूचित नहीं की जाती हैं ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :(क) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी विभाग की वार्षिक संविहित रिपोर्टों में सम्मिलित है । इन्हें प्रति वर्ष सभा पटल पर रखा जाता है। तत्काल निदेशहेतु एक समेकित विवरण साथ में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—१२९०।६३]**

(ख) से (घ) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा २३७ की उप-धारा (क) के अधीन इंसपेक्टर की नियुक्ति करने की शक्ति सरकार के लिये धारा २३७ की उप-धारा (ख) के अधीन अनिवार्य है । इन विवेक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार प्रत्यक्षत: सामग्री के आधार पर स्वयं को इस बात से सन्तुष्ट कर लेती है कि इंसपेक्टरों की नियुक्ति करने से पहले उप-धारा (ख) में वर्णित संविहित आवश्यकतायें पूरी हो गई है । इन नियुक्तियों की पृष्ठभूमि में निहित विचार विभाग की वार्षिक, संविहित रिपोर्टों के सम्बन्धित परिच्छेदों में स्पष्ट कर दिये गये हैं। संक्षेप में बताते हुए, सरकार जांच आदेश का निर्णय उसी समय करती है जब प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह सम्मति निर्णीत की गई हो कि प्रबन्ध की ओर से धोखा, अव्यवस्था, कदाचरण, अथवा परेशान करने के आरोप हों तो तथ्यों को निर्धारण करने के लिये जांच का आदेश दिया जा सकता है। प्रत्येक मामले पर उसके गुण दोष के अनुसार विचार किया जाता है । इनके अतिरिक्त कोई निश्चित नियम नहीं है जिन्हें समान रूप से लागू किया जाये । अत: प्रश्न के भाग (ग) और (घ) उत्पन्न नहीं होते हैं ।

(ङ) और (च) . इंसपेक्टरों की नियुक्ति भारत के गजट में अधिसूचित करना आवश्यक नहीं है ।

पाकिस्तान को बांसों का निर्यात

†२७१२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांसों की कमी के कारण प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए अविलम्बनीय अपेक्षित डेरे लगाने के लिए बांसों के संभरण में देर हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि कमी होते हुए भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बांस पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहे हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) १९६२ में और २८ फरवरी, १९६३ तक कितने बांसों का निर्यात हुआ और कितनी फर्मों ने निर्यात किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) यह सूचना सरकार को नहीं मिली है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए अविलम्बनीय अपेक्षित डेरों के बांसों के संभरण में बांसों की कमी के कारण देर हो रही है ।

(ख) और (घ), उपरोक्त भाग (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठते । फिर भी निर्यात के राज्यवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और पाकिस्तान को भारत से होने वाला समस्त निर्यात बहुत कम है और वह १९६२ में १०,१८,००० रु० का हुआ ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

झारखण्ड कोयला-खान में हुई दुर्घटना

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि उसके बारे में वक्तव्य में :

> "१९ फरवरी, १९६३ को झारखंड कोयला-खान में हुई दुर्घटना जिसके फलस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य व्यक्तियों के चोटें आई, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी सूचना कोयला-खान के प्रबन्धक वर्ग ने दबा ली थी ।"

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : सभा को यह सूचना देते हुए खेद होता है कि १९ फरवरी, १९६३ को झारखण्ड कोयला खान में दुर्घटना हुई । जब कुछ व्यक्ति "ओपन कास्ट वर्किंग्ज" में काम कर रहे थे तो जलोठ मिट्टी और खुली मिट्टी लगभग ३ मीटर की ऊंचाई से आई और ६ आदमी दबा लिए और एक और व्यक्ति पर हल्की चोटें आईं । जो दब गये थे उन में से चार उसी समय मर गये और दो को हल्की चोटें आईं । दुर्घटना से इस प्रकार चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

खान प्रबन्धकों ने खान निरीक्षालय को सूचना नहीं दी, यद्यपि पुलिस को सूचना दे दी । किसी नामरहित शिकायत के आधार पर निरीक्षालय ने दुर्घटना की जांच की । जांच अधिकारी की राय में यदि कोयला खानों विनियमों के विनियम संख्या ९८ और ११२ की व्यवस्थाओं का पालन होता, तो दुर्घटना न होती ।

खान के प्रबन्धकों पर जांच का उत्तरदायित्व डाला गया है और फौजदारी मुकदमा शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य:** क्या खदान जहां दुर्घटना हुई बन्द कर दी गई थी, परन्तु प्रबन्धक अवैधिक रूप से ठेकेदारों द्वारा उसमें काम कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री र० कि० मालवीय** : ऐसा प्रतीत होता है कि बन्द की गई थी, ठेकेदार उसमें काम कर रहे हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला बोर्ड का प्रतिवेदन

†**खान और ईंधन मंत्री के सभासचिव (श्री तिम्मय्या)** : में श्री के० दे० मालवीय की ओर से वर्ष १९६१–६२ के लिये कोयला बोर्ड के वार्षिक फ़तिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१२८२।६३)

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : श्री कानूनगो की ओर से मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २४ की उपधारा ३ के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[स्पुतकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१२८३।६३]

याचिका का उपस्थापन

श्री उटिया (शहडोल) : श्रीमान्, मैं कुछ डालमिया-जैन कम्पनियों के प्रशासन सम्बन्धी जांच आयोग की रिपोर्ट के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या चर्चा से पहले प्रतियां हमें परिचालित की जाएंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले याचिका याचिका समिति को भेजी जाएगी । समिति निर्णय करेगी कि प्रतियां परिचालित की जाएंगी या नहीं । यदि समिति ऐसा निर्णय करे तो प्रतियां अवश्य परिचालित की जाएंगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : चर्चा कल होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं याचना समिति को इस का ध्यान रखने को कहूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : याचिका इस से पहले क्यों नहीं की गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर मुझे नहीं देना है ।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : याचिका समिति को चर्चा आरम्भ होने से पहले प्रतिवेदन दे देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : याचिका समिति केवल इसी बात का निर्णय करती है कि क्या प्रतियां संसद् सदस्यों को बांटी जायेंगी या नहीं । उन की राय आज ली जा सकती है । यदि उन्हों ने बांटने का निर्णय किया तो प्रतियां बांट दी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात किस्म (नियंत्रण तथा निरीक्षण विधेयक)—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब २ मई, १९६३ को श्री मनुभाई शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्न-लिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :—

> "किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण द्वारा भारत के निर्यात व्यापार के ठोस विकास और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : श्री वारियार को मैं आश्वासन दे सकता हूं कि विधेयक के खण्ड ३ में उपबन्धित ११ स्थानों में निर्यात करने वालों विशेष कर छोटे निर्यात करने वालों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा ।

श्री वारियर के मन में जो कुछ विचार थे उन का स्पष्टीकरण श्री अब्दुल वहीद ने किया है । यह सही है कि पिछले दस वर्षों में निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु सौभाग्यवश पिछले दो वर्षों से निर्यात में वृद्धि हो रही है और इस वर्ष पिछले १७ वर्षों से जब से निर्यात आरम्भ हुआ तब से अधिक निर्यात हुआ है । अपने निर्यात व्यापार में ४० करोड़ रुपये की वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कोशिश करनी होगी । इस काम में किस्म बहुत महत्वपूर्ण है । पिछले ४ महीनों में जब हम ने ३९ चीजों पर किस्म नियंत्रण लागू कर दिया, विश्व बाजार में हमारी चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं ।

श्री सर्राफ और कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि किस्म नियंत्रण और परीक्षण प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिये । जब हम ने इलायची, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च आदि पर बहुत व्यापक नियंत्रण किया, व्यापार ने भी ऐसा डर प्रकट किया था । हम ने आश्वासन दिया कि हम ने प्रत्येक पत्तन पर उचित प्रबन्ध कर लिया है और हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी हैं । कोई देरी नहीं होगी । मैं मंत्रालय के किस्म नियंत्रण और परीक्षण शाखा और कृषि मंत्रालय के कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं काली मिर्च और इलायची का नि ति करने वालों ने पिछले २½ महीनों में किस्म नियंत्रण और परीक्षण के काम पर संतोष प्रकट किया । किस्म नियंत्रण और परीक्षा को जल्दी से लागू करने से पहले हम क्षेत्र प्रयोगशालाओं और विभिन्न प्रकार के उपकरणों को स्थापित करना चाहते हैं । सूती वस्त्रों के संबंध में अगले सत्र में और विधेयक लाया जायगा । उस में समस्त सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्रों के लिए मशीनरी, स्टोर, रसायनिक पदार्थ और सूती धागे इत्यादि के लिए देशी और विदेशी बाजार के लिये किस्म नियंत्रण की देखभाल के लिए हम ने एक निगम निकाय की व्यवस्था की है । यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि यहां बनाई जाने वाली चीजों की किस्म ठीक हो और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार हो । देशी बाजार को भी इस के अनुसार ही बनाना चाहिये । जिन देशों ने व्यापार के लिए सम्मान प्राप्त किया है वे देशी बाजार में भी उच्च कोटि को चीजें चाहते हैं । हम कोशिश कर रहे हैं कि कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक के उत्पादन में लगे हुए सब को देशी और विदेशी बाजार के लिए किस्म नियंत्रण के बारे में शिक्षा दी जाय ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शुरू में ही सजा और जुर्माना लगाया जाना चाहिये । विधि में ऐसा असूल नहीं है कि पहले ही अपराध के लिए दोनों सजाएं दी जायें । सब से अधिक सजा दो वर्ष की कैद और ५,००० जुर्माना या दोनों हैं । कम से कम सजा तीन महीने है और ऐसे विधेयक के लिये यह काफी समझी जानी चाहिये ।

यह सच है कि चाय और पटसन हमारे देश के निर्यात संवर्धन के लिए बहुत आवश्यक हैं और मैं श्री गुह को आश्वासन दे सकता हूं कि इन चीजों के लिए भी हम प्रमाप विस्तृत विवरण लाने

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रहे हैं और चूंकि वे अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में बहुत वितरित हैं, इसलिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात संविदाओं को पूरा करना पड़ेगा जोकि खरीदार और बेचने वाले के बीच किये जाते हैं। इसलिए यह उपबन्ध जो विधेयक में किया गया है बहुत अच्छा है कि हम विधि में हस्तक्षेप नहीं होने देंगे, ताकि भारत से निर्यात किये जाने वाले माल के संबंध में देश को बट्टा न लगे।

इसके बाद यह पूछा गया था कि क्या गुण प्रकार नियंत्रण से लागत में वृद्धि होगी। श्री श्याम लाल सर्राफ़ ने यह पूछा था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि १०० रुपये के निर्यात माल पर इस नियंत्रण का व्यय २० नये पैसे है। यह अधिक नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि यदि उन्हें ३ या ४ प्रतिशत अधिक मिल सके, तो ०.२ प्रतिशत अधिभार को अधिक नहीं समझना चाहिये। वास्तव में, पहले ही वर्ष में हम ने गुण प्रकार नियंत्रण के व्यय में सहायता दी है और काली मिर्च और इलायची और अन्य चीजों के मामले में, हम आधा खर्च स्वयं दे रहे हैं और आधा खर्च निर्यातकों को देना पड़ता है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। चालू वर्ष में हमारा इरादा है कि देश भर में विभिन्न चीजों के लिए ३०० क्षेत्र प्रयोगशालायें स्थापित की जायें, जिस में विशेष अभिकरणों का खयाल रखा जायेगा अर्थात् महा अधीक्षकों का जो गुण प्रकार नियंत्रण और निर्यात-पूर्व निरीक्षण के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जायेगा। हम अनुसंधान संस्थाओं की प्रयोगशालाओं का भी उपयोग करेंगे और विस्तृत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संगठनों और विश्व-विद्यालयों की प्रयोगशालाओं और परीक्षण गृहों से भी लाभ उठायेंगे। वास्तव में जापान और अमेरिका जैसे गुण प्रकार का खयाल रखने वाले देशों की प्रयोगशालाओं और परीक्षण गृहों की संख्या हज़ारों में है। हो सकता है, एक देश में ५०,००० प्रयोगशालायें हैं। अपने देश के आकार को देखते हुए, हमें अगले पांच वर्षों में हर एक क्षेत्र में, विशेष कर औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्रों में विभिन्न पदार्थों की परीक्षा के लिए बीसियों विशिष्ट प्रयोगशालायें स्थापित करनी पड़ेंगी।

खनिज अयस्क का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में भी मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि यद्यपि वे मिट्टी की तरह दिखाई देते हैं, इन के लिये भी कड़े मापदंड चाहियें और हम यह नहीं समझ सकते कि चूंकि इ न के लिए गुण प्रकार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन का परीक्षण नहीं होगा। कुछ लोगों ने अपने भाषणों में कहा था कि तेलों, कृषि उत्पाद और खनिज उत्पादन जैसे कच्चे माल के लिए जिन्हें अन्य देशों में भेजा जाता है, गुण प्रकार नियंत्रण और लदान पूर्व परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क भी सत्य नहीं है। बुनियादी कच्चे माल के लिए मापदंड आदि निर्धारित करने की ओर भी अधिक आवश्यकता है, ताकि खरीदार को मालूम न हो सके कि वह क्या खरीद रहा है और हमें भी अच्छे मूल्य मिल सकें और मंडी का उतार चढ़ाव, घाटे, दावे और झगड़े कम से कम हों और हम नमूनों का पालन करने वाला राष्ट्र कहला सकें। प्रमाप के अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात यह है : कि जब हम विदेशी क्रेता को एक विशेष नमूना दिखाते हैं और बाद में हम जो माल उसे देते हैं, वे भिन्न हों, तो विदेशी क्रेता को हम में विश्वास नहीं रहता। इसलिए नमूनों पर कायम रहना और प्रयोगशालाओं और परीक्षण गृहों की सुविधायें देना आवश्यक है। हम व्यापारी समुदाय से सहयोग की आशा करते हैं और सदन की शुभ इच्छाओं से हम इस देश की गुण प्रकार के बारे में सावधान बना सकेंगे।

यह सच है कि पिछले १०० वर्षों से हम ने इस की उपेक्षा की है। किन्तु पुराने जमाने में ऐसी बात नहीं थी। छटी, सातवीं और आठवीं शताब्दी में हमारा नौवहन बहुत आगे था, यद्यपि परिवहन और संचार इतना तेज़ नहीं था। अपने शब्दों पर कायम रहने की परम्परा दादे से पोते तक और

[श्री मनुभाई शाह]

बाप से बेटे तक चली आ रही है और नमूने का सदा पालन किया जाता था। जो माल दिया जाता था, वह नमूने से भी अच्छा होता था। इस से भारत के लिए यह नाम पैदा हो गया था कि वह दुनिया का एक अत्यधिक शक्तिशाली और व्यापारी राष्ट्र है। हम उस नाम को पुनः पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगले पांच या दस वर्षों में हमारा राष्ट्र गुण-प्रकार के बारे में सतर्क होने की ख्याति प्राप्त कर सके ।

यह वर्ष विदेशी व्यापार के इतिहास में गुण-प्रकार नियंत्रण वर्ष समझा जायेगा। इस समय १० हजार वस्तुएं हैं, जिन का विदेशी व्यापार होता है, किन्तु इन में से मुश्किल ७०० हैं। इन सब को एक कार्यक्रम के अनुसार गुण-प्रकार नियंत्रण और लदानपूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत लाया जायेगा, दोनों विदेशी मंडी और आन्तरिक खपत के लिए ।

मैंने माननीय सदस्यों के सब प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। मैं उन का आभारी हूं कि उन्होंने एकमत से विधेयक का समर्थन किया है। श्री वारियर ने कुछ संशोधन दिये हैं, जिन के बारे में मैंने उत्तर दे दिया है और मैं आशा करता हूं वे इन पर आग्रह नहीं करेंगे ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारासाट) : खंड १३ में जिस अधिसूचना का उल्लेख है, क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : खंड १० के उपबन्ध के अनुसार नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे। यह केवल एक विशिष्ट पदाधिकारी को मनोनीत करने का प्रश्न है। अधीनस्थ विधान में इस की व्यवस्था है और इसे पटल पर रखने का कोई उपबन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह हैं :

"कि किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण द्वारा भारत के निर्यात व्यापार के ठोस विकास और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब खंडवार विचार आरम्भ होगा ।

प्रश्न यह है :

"कि २ खंड विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(निर्यात, निरीक्षण परिषद् की स्थापना)

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : मैं अपना संशोधन सख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : अपनी एमेंडमेंटस के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरी दफा अगर कोई जुर्म करता है तो उसको कम से कम दस हजार रुपया जुर्माना होना चाहिये और कम से कम तीन साल की सज़ा होनी चाहिये । अभी परसों हमारी हैल्थ मिनिस्टर साहिबा कह चुकी हैं कि दुबारा जुर्म करने पर ज्यादा सज़ा दी जायेगी । इसलिए मेरा सजेशन यह है कि दुबारा जुर्म करने पर इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि वह फिर उस तरह का जुर्म करने की जुर्रत न कर सके ।

दूसरा मेरा कहना यह है कि इसको सिर्फ आफिसर्स पर ही न छोड़ दिया जाए बल्कि जैसा जनतन्त्र में कायदा होता है उसके मुताबिक इसमें दो मैम्बर लोकसभा से और एक मैम्बर राज्य सभा से लिया जाए । इसके लिए यह भी जरूरी है कि ऐसा हैल्थी एटमासफीयर तैयार किया जाए कि किसी भी ट्रेडर को हिम्मत न हो कि उस तरह का अमल कर सके जिससे देश की गरिमा पर धब्बा आए । ऐसी तजवीज़ की जानी चाहिये कि काम अच्छी तरह से चल सके ।

श्री मनुभाई शाह : मैंने पहले भी कहा था कि इस किस्म के बिल में इस तरह की व्यवस्था करना अच्छा नहीं होगा कि पार्लियामेंट के मैम्बर रखे जायें । यह अलग किस्म का काउंसिल बनेगा । इसका ज्यादातर काम एपेलेट और एनफोर्समेंट का होगा सलाह देने का नहीं । यह कोई एडवाइज़री बोर्ड या डिवेलेपमेंट बोर्ड के किस्म का नहीं होगा । इसका मकसद यह होगा कि हमारी कण्ट्री के प्रैस्टीज़ को बढ़ाये । इस किस्म का बिल चूंकि यह है और इस किस्म का काउंसिल चूंकि यह है, इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद किसी पार्लिमेंटरी या लैजिस्लेटिव के टाइप के मैम्बर को या इस किस्म के पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को जो पार्लिमेंट्री लाइफ से ताल्लुक रखता है, लेने की व्यवस्था नहीं की गई है। आफिशल्ज़ और नान-आफ़िशल्ज़ जो इसमें रखे गए हैं, वे एक्सपर्टस हैं, स्पेशिलिस्ट हैं खाली सरकारी नौकरों को रखने का सवाल नहीं है ।

जहां तक दस हज़ार जुर्माने का और तीन साल की सज़ा का सवाल है और इस ड्रग कण्ट्रोल की जो बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सा उसमें और इसमें फर्क है । वहां पर इंसान की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी, उसके खानपान, उसकी तन्दुरुस्ती के साथ उसका ताल्लुक है, लेकिन यह सवाल ज्यादातर ट्रेड का है । फिर भी पांच हजार रुपये के जुर्माने और दो साल कैद की जो सज़ा रखी गई है, वह कम नहीं है । इस किस्म के बिल में यह बहुत ज्यादा है । इसलिए मैं समझता हूं कि अभी जैसा है, इसको वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या श्री वारियर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां ।

संशोधन संख्या १, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या श्री यशपाल सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां ।

संशोधन संख्या ८, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंगे बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ और ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ७

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड ७ को लेते हैं ।

†**श्री वारियर** : मैं अपने संशोधन संख्या २, ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं ।

अपने संशोधन संख्या २ के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि ये अभिकरण छोटे छोटे व्यापारियों के हितों को हानि न पहुचायें । इस लिए सक्रमणकाल में ये अधिकार उनमें निहित न किये जायें, क्योंकि इन लोगों को छोटे छोटे व्यापारियों से कोई सहानुभूति नहीं होगी ।

खण्ड ७ के उपखण्ड (५) के बारे में, मैं यह नहीं समझ सका, कि न्यायालयों की शक्ति क्यों हटा ली जाये ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं । क्योंकि इनसे लाभ की बजाय हानि अधिक होगी ।

पहले संशोधन के बारे में, मेरा निवेदन है कि निर्यात व्यापार के विकास के लिए कुछ नये कदम उठाये जा रहे हैं, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है । इसलिए हमें इसको अधिक सख्त नहीं बनाना चाहिये क्योंकि इससे लोगों के मन भ निर्यात करने का उत्साह कम हो जायेगा ।

जहां तक दण्ड सम्बन्धी धारा का सम्बन्ध है, मेरे विचार में माननीय मन्त्री का रवैया बिल्कुल ठीक है । यही समय है कि जबकि हमें लोगों को निर्यात बढ़ाने के लिए कहना चाहिये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जो कुछ भी श्री वारियर ने मान्यता को निलम्बित किये जाने के बारे में कहा है, वह सही नहीं है, क्योंकि यदि सरकार कार्यवाही कर भी ले, तो हो सकता है कि अभिकरण का कोई दोष न हो । इसलिए निलम्बन का दण्ड बहुत सख्त है । विधि और न्याय की साधारण प्रक्रिया के अनुसार भी हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिये और उनका स्पष्टीरकरण सुन कर निर्णय करना चाहिये । इसलिए मैंने कहा है कि मैं सशोधन स्वीकार नहीं करना चाहूंगा । हां, यदि उनका दोष सिद्ध हो जाये, तो हम मान्यता वापस ले लेंगे । केवल शक के आधार पर मान्यता वापस ले लेना उचित नहीं होगा ।

जहां तक उपखण्ड (५) का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें अपीलीय प्राधिकार को लगभग सभी न्यायिक शक्तियां प्राप्त होंगी । यदि हम इसे मुकद्दमेबाजी पर छोड़ दें, तो किस्म नियन्त्रण का सारा प्रयोजन समाप्त हो जायेगा क्योंकि प्रत्येक मामला न्यायालय में घसीटा जायेगा । हम किस्म नियन्त्रण के लिए एक तेज़ और सक्षम व्यवस्था बनाना चाहते हैं । उपखण्ड (६) में हमने और शक्तियां ले ली हैं अर्थात् यदि कोई कठिनाइयां रह जायें, तो हम सरकारी स्तर पर सशोधन कर सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री वारियर को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन संख्या २, ३ और ४, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८ से १० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ११—(दंड)

†**श्री वारियर** : मैं अपने सैशोधन सख्या ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं ।

यह खण्ड दिये जाने वाले दण्ड के बारे में है । मैं समझता हू कि निर्धारित दण्ड रोधक दण्ड नहीं है, क्योंकि .जब किस्म नियन्त्रण और विनियम लागू है, तो ऐसे अपराध के लिए दण्ड और सख्त होना चाहिये ।

हमें जापान के ५० वर्ष के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये । वहां पहले अपराध के लिए तीन वर्ष का दण्ड है । खण्ड में कम से कम दण्ड का उल्लेख ही नहीं है । यदि हम पहले अपराध के लिए कम से कम तीन मास की कैद और दूसरे अपराधके लिए ६ मास का दण्ड रखें तो मुझे सन्तोष होगा । उन पर जुर्माना करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये भारी जुर्माने भी दे सकते हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह**: जैसा कि मैंने पहले कहा है साधारण विधि में भी पहले अपराध के लिए सरकार या जनता को पक्का अपराधी समझना बिल्कुल गलत होता है । इसलिए दूसरे अपराध के लिए हमने न्यायालय के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है । उसको दण्ड और कैद दोनों का अधिकार होगा । केवल पहले अपराध के लिए न्यायालय को यह विवेक दिया गया है कि वह अपराध को देख कर दण्ड निश्चित करे । यह कहना भी सत्य नहीं है कि चूंकि वे भारी जुर्माने भी अदा कर सकते हैं, इसलिए वे खराब माल भेजते रहेंगे । सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत और इस अधिनियम के अन्तर्गत भी उन्हें निर्यात लाइसेंसों से वचित किया जा सकता है । इसलिए मेरा सदस्यों से निवेदन है कि व्यापारी समुदाय और निर्यातकों और विदेशियों को कुछ समय दिया जाये । यदि त्रुटि फिर भी बनी रही, तो मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूगा कि वे अपने संशोधनों पर आग्रह न करे । हम ने सोच विचार के बाद यह कदम उठाया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा संशोधन संख्या ५ और ६ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री वारियर का एक संशोधन है। क्या वह उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री वारियर** : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं। इसका सम्बन्ध उन समवायों से है जहां इस अधिनियम के अधीन किसी समवाय द्वारा अपराध किया जा चुका है। उन समवायों को पता होता है कि वे एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो अवैध है, अपराध है। अपराध बड़े अधिकारी खयं करते हैं परन्तु दोष नीचे के लोगों के सिर लगा दिया जाता है। इस चीज को हमें रोकना चाहिये। दण्ड अपराधियों को ही मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि कोई भी कानून की पकड़ से बच न सके और इसीलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हू।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वारियर के संशोधन का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि संशोधन प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने खण्ड १२ के उपखण्ड २ को ठीक से देखा नहीं है। उसमें कहा गया है कि किसी समवाय में अपराध होने पर यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध उस समवाय के किसी निदेशक, मैनेजर, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या उसके साथ मिल कर या उसकी लापरवाही से हुआ है तो उसे भी अपराधी समझा जायेगा और दण्ड दिया जायेगा। श्री वारियर को जो डर है उसका समाधान इससे ही हो जाता है। दण्डविधि में दण्ड दायित्व सदा वैयक्तिक होता है और यदि आप अपराधिक दायित्व को कड़ा करते हैं, जबकि किसी व्यक्ति को किये गये अपराध का ज्ञानमात्र भी नहीं होता, तो यह बहुत बुरी बात होगी। ऐसा करके हम कानून का निराकरण करेंगे।

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरे माननीय मित्र डा० सिंघवी ने कुछ हद तक श्री वारियर की बातों का उत्तर दे दिया है। मैं बस इतना और कहना चाहता हूं कि यह बड़ी जटिल चीज है। कोई निर्यातक अपना सामान यदि बाहर भेजता है और मान लीजिये कि पत्तन पर एक पूरी गांठ गिर जाती है और सामान को क्षति पहुंचती है। इसका सामान की किस्म पर प्रभाव पड़ता है परन्तु अब यह उस आदमी के नियन्त्रण के बाहर की बात है। इसी तरह कोई मशीन बनाते समय जो कच्चा लोहा वह औरों से खरीदता है, वह स्तर से नीचे का हो सकता है और वह न्यायाधिकरण के सामने प्रमाणित कर सकता है कि उसने उत्पादन के प्रत्येक प्रक्रम पर स्तर को बनाये रखने के लिये पूरी सावधानी बरती है। अब यदि ऐसे मामलों में भी, जो कभी कभी होते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जो उत्पादन या यातायात के प्रक्रम पर उसके नियन्त्रण या सक्षमता से बाहर हैं तो ऐसा होना स्वाभाविक ही समझना चाहिये और जो पूर्व-निरीक्षण विधियां तथा गुण दोष नियन्त्रण विधियां प्रत्येक देश में विद्यमान हैं यह उपबन्ध उनमें से अधिकतर में है। इसलिये मैं उनसे यह देखने का निवेदन करूंगा कि इसे उस सामान्य रीति से बिल्कुल अलग करना होगा जिस से कि कानून के उपबन्धों से बचने के लिये कोई रास्ता बना लिया जाता है। परन्तु यह ज्यादा सीमान्त और परिणाहक मामलों के बारे में है जहां कि यदि किसी व्यक्ति के नियन्त्रण के बाहर की कोई चीज हो जाती है तो उसको कानून देखेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य इसे वापिस लेना चाहते हैं।

†**श्री वारियर** : जी हां।

संशोधन संख्या ७, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड १३ से १८ । कोई सशोधन नहीं ह ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ से १८ विधेयक का अग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३ से १८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** :प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून हमारे देश के गौरव को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं ।

किसी समय हमारे देश में यह अवस्था थी कि यहां जो माल मिलता था अच्छा मिलता था । फाइहान ने लिखा है कि वह जहां गया उसको अच्छा दूध मिला । लेकिन आज इसी देश में यह दशा है कि हर जगह दूध में पानी ही पानी मिलता है । मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं । सन् १९३० में जिस समय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था तो स्वदेशी का बहुत जोर था । उस समय एक महाजन ने मुझे बुलाकर कहा कि आप देख लें कि स्वदेशी और विदेशी में कितना अन्तर है । उसने कहा कि विदेशी माल के जिस थान पर ४० गज लिखा होता है उसमें ४० गज ही कपड़ा निकलता है, लेकिन स्वदेशी जिस थान पर ४० गज लिखा होता है, उस में ३८, या ३७ या ३६ गज ही कपड़ा निकलता है, हम कैसे स्वदेशी को चलायें । उसने कहा कि वह स्वदेशी का पक्षपाती था और जब से स्वदेशी आंदोलन चला है उसने विदेशी धोती पहनना छोड़ दिया था, लेकिन उसका परिणाम यह था कि जबकि विदेशी धोती में वह दो लांगे लगा सकता था, स्वदेशी में एक लांग लगाने में भी कठिनाई होती थी ।

एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी के मालिक ने अपने एक कार्यकर्ता से पूछा कि हमारी मोटर कैसी बनी है, तो उसने बड़ा सुन्दर जवाब दिया, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । उसने कहा :

बाबू, गाड़ी तो घनी चोखी है । इसका हर पुरजा बोले है सिवाय हार्न के ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

यानी गाड़ी ऐसी बनी है कि उसके सब पुरजे बोलते हैं, जोकि न बोलने चाहियें, और हार्न जो कि बोलना चाहिये वह नहीं बोलता। तो यह हमारी हिन्दुस्तान गाड़ी के बारे में एक कार्य कर्ता की राय है।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अब कार पहले से बहुत अच्छी है।

श्री सिंहासन सिंह: जब कहा था उस समय यही हाल था।

तो मेरा कहना है कि जहां क्वालिटी इम्प्रूव हो वहां प्राइस का भी खयाल रखना चाहिये। हमारे यहां गाड़ियां बन रही हैं उस के मुकाबले में उसी कीमत की और उस से भी कम कीमत में उससे अच्छी गाड़ियां विदेशों में बन रही हैं। ऐसी हालत में कोई कारण नहीं है कि हमारे यहां यह महंगी क्यों बनें? हमारे यहां टैरिफ कमिशन दाम बढ़ाने पर लगा हुआ है और परिणामस्वरूप दाम बढ़ते चले जाते हैं। जहां हमारा प्रयत्न अपने माल की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिये होना चाहिये वहां दाम का भी ध्यान रखना होगा कि औरों के मुकाबले हमारी चीजों के दाम अधिक न रहें। अगर औरों के मुकाबले में हमारे माल की क्वालिटी बराबर रहे लेकिन अगर उन का दाम अधिक रक्खा जायेगा तो उनको कौन खरीदेगा? इसलिये दाम और क्वालिटी दोनों का ध्यान रख कर मार्केट में कम्पीट करना होगा। क्वालिटी और प्राइस दोनों की व्यवस्था ठीक रहने से ही हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा। इस हेतु श्री मनुभाई शाह जो यह बिल लाये हैं वह स्वागत योग्य है। मैं सनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** मंत्री महोदय ने इस विधेयक का प्रयोजन स्पष्ट रूप से बता दिया है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि देश भर में वह जो परीक्षण करने वाली प्रयोग-शालायें खोलने जा रहे हैं उनके साथ ऐसी पर्याप्त सुविधायें दी जायें जिन से कि लोग लाभ उठा सकें और वे निर्माताओं या निर्यातकों के निकट हों। दूसरा यह कि जो सामान बाहर भेजा जाये वह समय पर भेजा जाये, नहीं तो कई बार विलम्ब हो जाने से क्रयादेश रद्द हो जाते हैं। तीसरा यह कि जो लदान-पूर्व निरीक्षणालय खोला जा रहा है वह वस्तुओं के गुणदोष देखने तथा कम से कम समय में उनका निरीक्षण करते के लिये प्रभावी हो क्योंकि देर लगने से नुकसान होता है। चौथा यह कि हमारे आयात और निर्यात में उपयुक्त समन्वय होना चाहिये। इन सुझावों के साथ मैं विधेयक समर्थन करता हूं।

†**श्री मनुभाई शाह :** श्री श्यामलाल सर्राफ ने थोड़ी सी ही बातें उठाई हैं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि सुविधायें व्यापक होंगी। यह ठीक है कि महाद्वीप जैसे विशाल इस देश में कुछेक पत्तनों और बड़े औद्योगिक नगरों में सुविधायें प्रदान कर देना काफी नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि दस्तकारी एक ऐसी चीज है जो कि बड़ी संख्या में इस देश के गांवों में फैल गई है। इसलिये मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि यह बहुत अच्छा सुझाव है जिस पर कि हम पहले ही ध्यान दे चुके हैं। इसलिये, जैसा कि मैंने कहा है, परीक्षण गृहों और प्रयोगशाला की सुविधायें सैंकड़ों या हजारों में हो जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने परिदान आदि के दावों का उल्लेख किया है। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि व्यापार बोर्ड की पिछली बैठक में हमने इस बात पर पूरी तरह से विचार किया था। यह एक रोग है जो गत कई दशाब्दियों से भारत के विदेशी व्यापार को चिपटा हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय दावों और विवादों को तय करने के इस प्रश्न की जांच करने के लिये हमने विधि मंत्रालय के सचिव के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की है। हमारा इरादा मंडलीय तथा सरकारी दोनों स्तरों पर दाव न्यायाधिकरण स्थापित करने का है ताकि इस बात का ध्यान रखा जाये कि आयातकों और निर्यातकों द्वारा उपयुक्त क्षति का भुगतान करने या परिदान भुगतान करने में सुस्ती या ठेके संबंधी आभारों में असफलता के कारण भारत के नाम पर आंच न आने पाये। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार दावा निकाय के बन जाने के बाद उन्होंने जो कुछ यहां कहा है वह बीते हुये समय की बात बन कर रह जायेगा।

आयात और निर्यात को समन्वित करने का प्रश्न बड़ा व्यापक है जो कि प्रत्यक्षतः इस से पैदा नहीं होता। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि भारत के निर्यात और आयात व्यापार में पर्याप्त और वैज्ञानिक पारस्परिक संबंध स्थापित करने का हमारा इरादा है। ताकि निर्यातकों को, जो अब तक लाभ उठाने वालों की सूची में अन्त में आया करते थे——सब से पहले प्रतिष्ठापित आयातक था, फिर वास्तविक उपभोक्ता, फिर ढेर से आयातक जो देश पर भार बन गये और अन्त में निर्यातक ——उन्हें आगे लाया जाये और बाकी पीछे रखे जायें।

श्री सिंहासन सिंह ने स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख किया है।

श्री सिंहासन सिंह ने स्वदेशी माल के लिये जो विचार प्रकट किये हैं, उन के लिये हमारा पूरा ध्यान है। हम जानते हैं कि क्वालिटी और प्राइस दोनों में ही हमें अन्य देशों से मुकाबला करना है। इस देश में बने हुये सामान और चीजों को दुनिया के बाजारों में रखने के लिये हम प्रयत्नशील हैं और सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रयत्न सिर्फ यह ही नहीं है कि इस देश में स्वदेशी चीजें बिकें बल्कि वह ऐसी हों जिससे कि वह फौरेन मार्केट में भी कामयाबी के साथ कम्पीट कर सकें। दुनिया के बाजारों में हमारी चीजें अपनी जगह बना सकें मशहूरी पा सकें और जिनके लिये कि हम लोग गर्व अनुभव कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश है और इसीलिये यह बिल लाया गया है।

†**श्री हिम्मतसिंहका:** गुणदोष के बारे में माननीय मंत्री की क्या राय है? क्या पिछले कुछ समय से इसमें निश्चित सुधार नहीं हुआ है? क्या अब कम से कम शिकायतें नहीं हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। देश गुणदोष के प्रति सजग हो रहा है। इन सब उपायों से जो कि हम कर रहे हैं गत अनेक दशाब्दियों की अपेक्षा बहुत कम अवधि में इसे अधिक संचित रूप से अनुभव किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्रि परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करते हुये मुझे खुशी होती है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों के लिये यह बहुत ही स्वागत योग्य होना चाहिये । संयुक्त समिति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे । सच तो यह है कि जब संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन था तब मैंने इस सदन तथा दूसरे सदन के सदस्यों की भावनाओं को भांप लिया था । संयुक्त समिति में जो और चर्चा हुई उसे देखते हुये मैंने स्वयं ही विधेयक के कुछ खंडों में संशोधन का प्रस्ताव रखा । मुझे विश्वास है कि इन परिवर्तनों के साथ विधेयक को सदन से पूरी प्रशंसा और सामान्य समर्थन प्राप्त होगा ।

मैं जानता हूं कि इस सदन में तथा बाहर यह बड़ी दृढ़ राय है कि इन क्षेत्रों को पड़ौसी राज्यों में मिला दिया जाना चाहिये।ऐसा महसूस किया जाता है कि आर्थिक दृष्टिसे यह उपयोगी होगाविशेषत-इन क्षेत्रों के अपने लिये । यदि इन्हें मिला दिया जाता है तो मिला कर बनाया गया राज्य अपने व्यापार और बाणिज्य का विकास करने के लिये अधिक अच्छी स्थिति में होगा और ये यूनिट जो इस समय आर्थिक दष्टि से अस्तित्व योग्य नहीं है वे इस दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े होने योग्य हो जायेंगे और इस समय केन्द्रीय सरकार पर जो बोझ है वह इस से कम हो जायेगा । व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूं कि इस तर्क में बहुत सार है परन्तु देखना यह है कि वर्तमान पस्थितियों में हमें क्या करना चाहिये । हमें याद रखना है कि ये क्षेत्र १९४७ से पहले न्यूनाधिक स्वायत्तशास्त्री थे या एक प्रकार से स्वतंत्र थे । हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा अधिकतर छोटी देशी या बड़ी रियासतें थीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : उन्हें स्वतंत्र मत कहिये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: स्वतंत्र का अर्थ यह कि वे स्वायत्तशासी थे । अधिकतर क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्रों में नहीं थे । वे स्वायत्तशासी थे । स्वायत्त शासन किस किस्म का था यह एक अलग बात है । परन्तु उनमें यह भाव अवश्य रहा होगा कि उनकी अपनी सभायें आदि हैं । इसी प्रकार पांडिचेरी और गोआ भी विदेशी शासन के अधीन थे और उनकी अपनी सभायें और अपनी मंत्रिपरिषदें थीं ।

इसलिये शीघ्र ही उनके पड़ौसी राज्यों में मिलाये जाने पर सोचना ठीक नहीं होगा । जैसा कि सदन को ज्ञात है हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मनीपुर तक को भी भाग 'ग' राज्यों जैसा समझा गया था और वह व्यवस्था कुछेक वर्षों तक चलती रही । निस्संदेह बाद में पिछले पांच वर्षों में उन्होंने बस संघ राज्य क्षेत्रों की तरह काम किया और वे केवल प्रादेशिक परिषदें ही थीं । फिर भी मैं कहूंगा कि हमें पृथक् होने की प्रवृत्तियों से बचाव रखना चाहिये और यदि हम इन छोटे क्षेत्रों को पड़ौसी राज्यों से अलग रखना मान भी लेते हैं हम यह अवश्य चाहते हैं कि उन्हें अपने सामने अखंड भारत का चित्र रखना चाहिये और मैं समझता हूं कि यदि वे ऐसा करेंगे तो यह संघ राज्य-क्षेत्रों तथा समस्त देश के हितों में होगा । मैं यह नहीं कहता कि इन क्षेत्रों के पड़ौसी राज्यों में मिलाये जाने की कोई संभावना ही नहीं है । परन्तु इस समय मैं इसका सुझाव नहीं देता ताकि इससे कोई दुराशंका उत्पन्न न हो । तथापि एक अन्तिम उद्देश्य के तौर पर जैसा कि मैं ने

---

†मूल अंग्रेजी में

कहा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता । जब भी हम वह कदम उठायेंगे हम देखेंगे कि संघ राज्य-क्षेत्र स्वयं महसूस करें कि ऐसा करना उनके क्षेत्रों के अपने ही हितों में है ।

इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार हम ने संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक और पर्याप्त शक्तियां दी हैं । मैं नहीं समझता कि संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की और अधिक अच्छे तरीके से सेवा करने का अवसर मिलेगा क्योंकि यदि उन्हें ये शक्तियां मिल जायें तो उन्हें अपने इलाकों की अच्छे से अच्छे तरीके से सेवा करने के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं । कभी कभी मैं सोचता हूं कि हो सकता है कि वे उस समय से अधिक अच्छी स्थिति में हों जब वे भाग 'ग' राज्यों के रूप में काम किया करते थे । यह सच है कि राष्ट्रपति अपने आप को इन क्षेत्रों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से निर्मुक्त नहीं कर सकता और संसद् भी अपने आप को अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं कर सकती । इसके पास ऐसी विधियां बनाने की समवर्ती शक्ति होनी चाहिये जिन के सामने संघ राज्य-क्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा इसी विषय पर बनाई गई विधियां यदि कोई हों शून्य हो जायेंगी । मेरे विचार में इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कि इस विशेष बात के सम्बन्ध में वास्तव में कोई आपत्ति की जा सकती है । जैसा कि मैं ने कहा है नई व्यवस्था से जनता के प्रतिनिधियों को जैसा भी वे सर्वोत्तम समझें अपने लोगों के हित में प्रशासन चलाने के बहुत से अवसर मिलेंगे ।

अब मैं कुछ शब्द संयुक्त समिति में इस विधेयक में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में कहूंगा । मुझे याद है कि प्रशासक के बारे में बल्कि विधेयक में प्रयुक्त 'प्रशासक' शब्द के बारे में बहुत सी आलोचना हुई थी । कहा गया था कि प्रशासक को सर्व-शक्तिमान् बना दिया गया है और यह महसूस किया गया था कि वह जनता के प्रतिनिधियों के स्वायत्त शासन को या इस विधेयक के अधीन दी जा रही शक्तियों को एक तरह से कम कर देगा । यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि यह 'प्रशासक' शब्द वास्तव में प्रजातीय अर्थ में प्रयोग किया गया था । इसका यह अर्थ किसी तरह से नहीं होता कि राष्ट्रपति और किसी तरह से उसे नामोद्दिष्ट नहीं कर सकता अथवा प्रशासक को और कोई पदनाम नहीं दे सकता जैसे कि मुख्य आयुक्त का या लेफ्टिनेंट गवर्नर का या ऐसा ही कोई और । जिस व्यक्ति को इन संघ राज्य-क्षेत्रों का भारसाधक बनाया जाता है उसे कोई भी पदनाम देना पूर्णतः राष्ट्रपति के स्वविवेक पर है । इसके अतिरिक्त खंड २ (१) (क) को यह स्पष्ट करने के लिये और विस्तृत किया गया है कि शब्द 'प्रशासक' का अर्थ संविधान के अनुच्छेद २३९ के अधीन नियुक्त प्रशासक से है ।

एक और महत्वपूर्ण बात इन संघ राज्य-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों के रक्षण के बारे में है । हम ने विधेयक में दो क्षेत्रों को अर्थात् हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षण का उपबन्ध किया था । अन्य क्षेत्रों में अर्थात् गोआ, मनीपुर और त्रिपुरा में ऐसा कोई रक्षण नहीं किया गया था । यह हम ने इसलिये किया क्योंकि हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी में आबादी काफी थी जब कि अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं था । दूसरे यह कि इन क्षेत्रों में लोग सघन इलाकों में नहीं रहते और इसलिये निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित करना कठिन हो जाता है जैसा कि हम अन्य राज्यों में करते हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि अनुसूचित जातियों के निर्वाचन क्षेत्र वहां बनाये जाते हैं जहां अनुसूचित जातियों के बहुत से लोग रहते हों । अतः हम ने अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में रक्षण की व्यवस्था नहीं की थी । तथापि संयुक्त समिति में बहुत से सदस्यों ने इसके लिये आग्रह किया और हम ने मान लिया कि मनीपुर तथा त्रिपुरा दोनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षण होना चाहिये ।

गोआ के बारे में हम ने ऐसा नहीं किया है । संयुक्त समिति इस से सहमत नहीं हुई । ऐसा हम ने इसलिये नहीं किया क्योंकि गोआ में अभी तक कोई जनगणना नहीं की गई और उस क्षेत्र में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या हम ठीक ठीक नहीं जानते । बिना उसके तो बस अनुमान ही लगाया जा सकता है । यदि हम आस-पास के इलाकों को देखें तो पता चलता है कि गोआ के इधर-उधर अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता बहुत कम है । और यदि हम उस के आधार पर कोई निर्धारण करें तो फिर लगता है कि कोई रक्षण करना शायद उचित नहीं हो । तथापि हमें जनगणना प्रतिवेदन पर निर्भर करना होगा या उस इलाके में जनगणना के पूरे होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । कुछ भी हो हम ने किसी रक्षण का उपबन्ध नहीं किया है । और संयुक्त समिति इससे इसलिये भी सहमत नहीं हुई कि इससे गोआ में चुनाव में विलम्ब हो जाता और नई व्यवस्था शीघ्र ही न बन पाती । इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने गोआ में अनुसूचित जातियों को रक्षण न देकर ठीक ही निर्णय लिया है ।

मैं यह भी बता दूं कि त्रिपुरा का भी एक प्रमुख वर्ग मुझ से मिला था और उनका विचार था कि त्रिपुरा में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कोई रक्षण नहीं दिया जाना चाहिये । कारण उन्होंने यह दिया था कि अनुसूचित आदिम जातियों को त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषद् में पहले ही अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त है । बिना रक्षण के ही पिछले चुनावों में त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् और मनीपुर दोनों में उन्हें अपना हिस्सा मिल गया है । सदन को यह जानने में रुचि होगी कि मनीपुर में ३० में से अनुसूचित आदिम जातियों के निर्वाचित सदस्य ९ हैं और नाम-निर्देशित १ । त्रिपुरा में प्रादेशिक परिषद् में १० अनुसूचित आदिम जातियों के और २ अनुसूचित जातियों के सदस्य चुने गये हैं । यह काफी सन्तोषजनक स्थिति है । यह अच्छा है कि अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्य सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों से ऐसे ही चुने जाते हैं और कोई अलग रक्षण नहीं दिया जाता है । सिद्धान्त रूप से यह अच्छा है परन्तु जैसा कि मैंने कहा है संयुक्त समिति ने एक निर्णय लिया जिसके साथ मैं समझता हूं हमें सहमत होना है और स्वाभाविक है कि यह तभी तक जारी रहेगा जब तक सारे देश में सामान्य रक्षण जारी रहेगा उस के बाद नहीं । साथ में मैं यह कह दूं कि गोआ में यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता तो हमारे पास नामनिर्देशन का उपबन्ध है और हम अनुसूचित जातियों के कम से कम एक सदस्य को निश्चय ही नामनिर्देशित करना चाहेंगे ।

अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रशासन को कुछ विशेष शक्तियां देने के बारे में थे । प्रथमतः यह उपबन्ध किया गया था कि प्रशासक को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने या सभा को सम्बोधित करने की शक्ति होगी । संयुक्त समिति ने निर्णय किया कि प्रशासक कार्यवाही में भाग नहीं लेगा । परन्तु इस से यह भी अर्थ निकलता है कि जिन विषयों का सम्बन्ध केवलमात्र प्रशासक से ही है उन पर सभा में चर्चा नहीं की जायेगी क्योंकि वह चर्चा में भाग लेने के लिये उपस्थित नहीं होगा । विधेयक में प्रस्तावित दूसरी बात यह थी कि प्रशासक मंत्रि-परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता कर सकेगा । यह महसूस किया गया था कि प्रशासक सदा ही अध्यक्षता नहीं करेगा परन्तु जब कभी वह उपस्थित होगा या जब वह किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिये वहां जाये तो वह मंत्रि-परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता कर सकेगा । वह प्रस्ताव हम ने छोड़ दिया है और मंत्रि-परिषद् की अध्यक्षता अब मुख्य मंत्री करेगा । अपनी अनुपस्थिति में उसे वह प्राधिकार अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी को प्रत्यायोजित करना होगा । संयुक्त समिति में किया गया एक और परिवर्तन नामनिर्देशन की संख्या बढ़ाने के बारे में था । संयुक्त समिति ने निर्णय किया कि २ की बजाय ३ से अधिक व्यक्ति नामनिर्देशित नहीं किये जाने चाहियें ।

मैंने कुछ संशोधन और कुछ विमति टिप्पण भी देखे हैं । मुझे आश्चर्य है कि खंड ५४ के उस प्रस्ताव पर आपत्ति की गई है जो यह शक्ति देता है या सुझाव देता है कि वर्तमान प्रादेशिक परिषदें

विधान सभाओं में बदल दी जानी चाहियें। वैध तथा प्रविधिक आपत्तियां उठाई गई हैं या उठाई गई थीं। परन्तु जहां तक मैं देख सकता हूं इस विषय के विरुद्ध कोई वैध या सांवैधानिक आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु श्री कामत को शायद याद होगा.

†**श्री हरि विष्णु कामत:** मैं समिति का सदस्य नहीं था।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वह संविधान सभा के सदस्य थे।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** हां।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** संविधान सभा ने भी निर्णय किया था कि अन्तरिम अवधि में यह विधान मंडल के रूप में कार्य करेगी। अत: अब खंड ५४ में जो सुझाव दिया गया है ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।

इसके अतिरिक्त पिछले आम चुनावों के बाद जो लगभग एक साल पहले ही हुये थे इतनी जल्दी नये चुनाव कराना अनुचित होगा। मताधिकार प्राय: वैसा ही था। निर्वाचन क्षेत्र भी प्राय: वैसे ही होंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। जिस अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव हुये थे उसके अन्तर्गत २१ वर्ष की आयु का व्यक्ति भी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य बन सकता था। परन्तु संविधान के अन्तर्गत विधान सभा के सदस्यों की आयु कम से कम २५ वर्ष होनी चाहिये। यह बड़ी कठिनाई है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वर्तमान क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों की निम्नतम आयु सीमा २१ वर्ष है जबकि विधान सभाओं की २५ वर्ष है। इसलिये हो सकता है कि पहली विधान सभा में कुछ सदस्य २५ वर्ष से कम के आ जायें। मैं यह बता देना चाहता हूं कि खंड ५४ अन्य उपबन्धों के ऊपर लागू होगा। उसके उपखंड (२) से यह स्पष्ट है।

[श्री तिरुमल राव पीठासी हुए]

इसलिए यदि क्षेत्रीय परिषद में २५ वर्ष से कम आयु के कोई सदस्य हुये भी तो वे खंड ५४ के अन्तर्गत निर्मित अन्त:कालीन विधान सभाओं के सदस्य बने रहेंगे। समस्त क्षेत्रीय परिषद उस क्षेत्र की विधान सभा समझी जायेगी। निर्वाचित एवं नामांकित सदस्यों और २१ एवं २५ वर्ष का भेदभाव बध नहीं होगा। यह कानूनी उपबन्ध है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आयु के अन्तर की कठिनाई बाधक नहीं होनी चाहिये। जाहिर है कि अगले चुनाव होने तक समस्त विधान सभा कायम रहेगी और वही सदस्य, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, विधान सभा के सदस्य समझे जायेंगे।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, वर्तमान स्थिति में नये चुनाव कराना वांछनीय नहीं है। उसमें अतिरिक्त व्यय होगा और स्वयं निर्वाचकों को कठिनाई होगी। इसलिये वर्तमान क्षेत्रीय परिषदों को ही विधान सभायें बना रहना चाहिये। उन क्षेत्रों की जनता भी वैसा चाहती है ताकि वे अपनी सरकार बनाकर शासन चला सकें।

कुछ और सवाल भी उठाये गये थे परन्तु वे विमति टिप्पण में आ चुके हैं। मैं केवल श्री ही० ना० मुकर्जी के विमति टिप्पण का उल्लेख करुंगा। उन्होंने कहा है कि विधायिनी शक्तियों और विधान सभाओं में बहुत कांट-छांट कर दी गई है। खंड १८ और २१ का विशेष रूप से निर्देश किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

खंड १८ में यह कहा गया है कि संसद को राज्य क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति कायम रहेगी और खंड २१ में यह उपबन्ध है कि संसद के भावी कानून विधान सभा द्वारा बनाये गये कानूनों को रद्द कर देंगे । संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम के परिणामस्वरूप संसद कानून द्वारा पांच निर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषदें स्थापित कर सकेगी । यह स्पष्ट है कि संसद सामान्यत: उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में ऐसे विषयों पर कानून नहीं बनायेगी जिन पर कि उनके विधान मंडल कानून बना सकते हों । वास्तव में विधेयक में यह उपबन्ध है कि इन राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल संसद के उन कानूनों को संशोधित अथवा रद्द कर सकेंगे जो इन राज्य क्षत्रों में विधान सभाओं की स्थापना के पूर्व लागू किये गये थे । परन्तु यदि संसद प्रत्यायोजित क्षेत्र में कोई कानून बनाने का निर्णय करती है तो वैसा बहुत कम अवसरों पर किया जाना चाहिये । और इसका अर्थ यह नहीं है कि विधान सभाओं की शक्तियां बहुत कम कर दी गई हैं

कहा गया है कि प्रशासक अपनी इच्छानुसार विधान सभा को भंग कर सकता है। यह भी सर्वथा ठीक नहीं है। खंड ६(२) के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि प्रशासक विधान सभा को भंग कर सकता है परन्तु स्पष्ट है कि इन मामलों में वह वहां की सरकार की सलाह से निर्णय करेगा। इस प्रकार विधान सभा को मंत्रियों की सलाह से अथवा राष्ट्रपति के विवेक पर भंग किया जायेगा जैसा कि अन्य राज्यों में भी होता है ।

विधेयक के खंड २२ और २३ में कुछ विधेयकों के लिये प्रशासक की मंजूरी अथवा सिफारिश की व्यवस्था है । खंड २२ न्यायिक आयुक्त के न्यायालय से संबंधित है । ऐसे न्यायालय केवल हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में हैं। न्यायिक आयुक्त का न्यायालय, यद्यपि वह संविधान के समस्त प्रयोजनों के लिये उच्च न्यायालय नहीं है, को कुछ प्रयोजनों के लिये उच्च न्यायालय घोषित किया गया है । इसलिये यह आवश्यक है कि इन न्यायालयों से संबंधित मामलों का निर्णय भली प्रकार सोच विचार करके किया जाये और इन न्यायालयों से संबंधित विधेयकों के संबंध में प्रशासक की पूर्व मंजूरी का उपबन्ध करने में कोई गलत बात नहीं है । यहां भी मंजूरी देने में प्रशासक को उसका मंत्रिपरिषद सलाह देगा और वह इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करता है ।

खंड २३ का उपबन्ध अनुच्छेद १९१ और अनुच्छेद २०७ (१) के उपबन्धों के अनुरूप है जिनके अन्तर्गत राज्य में वित्तीय विधेयकों के लिये राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है ।

यह भी कहा गया कि प्रशासक को विवेक शक्तियां दी गई हैं और यह विचार व्यक्त किया गया कि वह सर्वथा उचित नहीं है । मैं इतना ही कहूंगा कि प्रशासक को यह विवेक शक्ति केवल दो मामलों में दी गई है । इनमें से एक है सीमांत की सुरक्षा के लिये हिदायतें जारी करना अथवा आवश्यक कदम उठाना । यह केवल हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संबंध में लागू होती है। बदली हुई स्थिति में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है इसीलिये मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के प्रशासकों को यह विशेष शक्ति दी गई है ।

दूसरा मामला है मनीपुर विधान मंडल को स्थायी समिति के उचित संचालन की व्यवस्था । यह केवल मनीपुर के मामले में लागू होती है । विधान सभा में निर्वाचित अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों की एक स्थायी समिति होगी और यह स्थायी समिति अनुसूचित जातियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करेगी । उनकी प्रथाओं, काननों आदि पर पहले स्थायी समिति में विचार होगा और तब विधान मंडल में रखा जायेगा । स्थायी समिति के सदस्यों और सरकार के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है । अत: उस मतभेद को दूर करने और जरूरत पड़ने पर विवाचन

करने के लिये प्रशासक का रखा जाना ठीक ही है। इस प्रकार प्रशासक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होगा और यह सर्वथा वांछनीय है कि प्रशासक को यह विवेक शक्ति दी जाये, जहां तक मनीपुर का संबंध है ।

संक्षेप में विधेयक के उपबन्ध इस प्रकार हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार संघ राज्य क्षेत्रों को अपने प्रशासन के लिये जो शक्तियां दे रही है उन्हें गलत नहीं समझा जायेगा। मझे विश्वास है कि श्री कामत इस बात से सहमत होंगे कि हमारे इरादे नेक हैं।

मैं इतना और कहूंगा कि भारत सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर छोटे क्षेत्रों को ऐसी शक्तियां प्रदान करने में कभी भी संकोच नहीं किया है और मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिये पर्याप्त शक्तियां देना ही अधिक अच्छा है। हां, एक शर्त अवश्य है, जिसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं कि हमें अपने देश की एकता को नहीं भूलना चाहिये।

मैं इन राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करना चाहता हूं जो शीघ्र ही विधान मंडलों के सदस्य बन जायेंगे और अपनी सरकार बनायगे। उन्हें अपने राज्य क्षेत्रों की जनता की सहायता करनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि वे अपनी इस जिम्मेदारी को भली प्रकार निभायेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह विधेयक अवैधानिक है और तदनुसार मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव भी। इस विधेयक में उन राज्य क्षेत्रों को कोई सारभूत शक्तियां नहीं दी जा रही हैं। वहां की जनता बड़ी बड़ी आशायें कर रही थी.

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को अपना भाषण वैधानिक प्रश्न तक ही सीमित रखना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वैधानिक प्रश्न को एक ही वाक्य में नहीं रखा जा सकता है। सभा के सामने जो विधेयक है उसके खंड ३, ४ और ५४ बहुत महत्वपूर्ण हैं। गृह मंत्री को याद होगा कि उन्होंने जो संविधान (१४वां संशोधन) विधेयक पेश किया था उसमें सभा ने एक महत्वपूर्ण संशोधन किया था। खंड ४, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिय विधान मंडल का उपबन्ध था, में से 'नामांकित' शब्द निकाल दिया गया था। परिणामस्वरुप वे विधानमंडल या तो निर्वाचित होंगे और या अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामांकित, परन्तु पूर्णतः नामांकित नहीं। इस प्रकार सभा ने पूर्ण नामांकन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। परन्तु इस समय जो विधेयक हमारे सामने है उसमें यह उपबन्ध है कि वर्तमान क्षेत्रीय परिषदें ही विधान सभा का कार्य करती रहेंगी। खंड ५४(३) में प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिये अलग अलग कार्य काल, रखा गया है। मेरा निवेदन है कि वर्तमान क्षेत्रीय परिषदों को नये कानून के अन्तर्गत निर्वाचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनका निर्वाचन १९५६ के कानून के अन्तर्गत हुआ था जोकि अत्यन्त दोषपूर्ण था। इस प्रकार पुराने सदस्यों को बनाये रखना ठीक नहीं है। क्या माननीय मंत्री अपने दिल पर हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि यह जनता के प्रति न्याय है ? क्या संविधान (संशोधन) अधिनियम, १९६२ में यही कल्पना की गई थी ? संघ राज्य क्षेत्रों की जनता के साथ इस प्रकार खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिये जो स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक सरकार के लिये अत्यन्त उत्सुक है। अतः मेरा निवेदन है कि सभा के सामने जो विधेयक है वह संविधान के अनुच्छेद २३९क के विरुद्ध है और मंत्री जी का प्रस्ताव भी सर्वथा अनियमित है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : खेद है कि श्री कामत ने सभा का इतना समय ले लिया.....

†**श्री कामत** : मैं इसका विरोध करता हूं । एसा कहने का क्या तात्पर्य है ?

†**सभापति महोदय** : शांति, शांति । माननीय सदस्य को नाराज नहीं होना चाहिये । माननीय मंत्री का आशय केवल इतना था कि इतनी छोटी सी बात कहने में आपने इतना समय ले लिया ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : खेद है कि श्रीमन इतन पुराने सदस्य होने पर भी इस प्रकार नाराज होते हैं । मुझे इस प्रकार के आचरण पर वास्तव में बहुत आश्चर्य हो रहा है । कोई नया सदस्य इस प्रकार करता तब तो दूसरी बात थी परन्तु एक अनुभवी सदस्य का ऐसा करना आश्चर्य-जनक है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुझे भी इस बात पर आश्चर्य है कि एक वरिष्ठ मंत्री ने ऐसे शब्द कहे ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह असंगत है । मेंने इतना ही कहा था कि वह बात थोड़े समय मैं ही खत्म की जा सकती थी । माननीय सदस्य को अपनी गलती सुधारनी चाहिये ।

†**श्री कामत**: आप संकेत करें तो में सुधार करने के लिये तैयार हूं ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को बीचबीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य ऐसा कहते तो हैं परन्तु जब किसी गलती का संकेत किया जाता है तो वह बिगड़ उठते हैं । फिर गलती संकेत करने का क्या लाभ है ।

यही नहीं उन्होंने इस बात की आलोचना की कि उन्होंने संविधान (संशोधनी) विधेयक में जो संशोधन पेश किया था उसको मैंने स्वीकार कर लिया । उन्होंने कहा कि उसे बड़ी हिचक के साथ स्वीकार किया गया था ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसमें क्या गलत कहा गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे अपनी बात कहने दीजिए । जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैंने बीच में बिलकुल भी हस्तक्षेप नहीं किया था । श्री कामत का यह कहना बहुत अनुचित है कि सभा ने उसे स्वीकार करके बुद्धिमानी दिखाई जबकि मंत्री उसे नहीं चाहते थे । यह ठीक है कि सभा ने उसे स्वीकार किया परन्तु पहले मेंने ही उसे स्वीकार किया था जब माननीय सदस्य ने उसे पेश किया था । वास्तव में उन्होंने इसके लिये आभार भी प्रकट किया था । अब संभवतः उन्होंने यह बात भुला दी है । परन्तु मैंने उनकी बात में सार देख कर ही उसे स्वीकार किया था ।

इस संबंध में यह स्पष्ट उपबंध है कि इन राज्य क्षेत्रों की विधान सभायें अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामांकित होंगी । पर श्री कामत कहते हैं कि वह पूर्णतः नामांकित ही होंगी । में इससे सर्वथा असहमत हूं । मेंने यह समझाने की कोशिश की थी कि वह नामांकित क्यों नहीं होंगी । मैंने कहा था कि व्यवहारिक दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि वर्तमान क्षेत्रीय परिषदों को यथा शीघ्र विधान-सभाओं के रूप में बदल दिया जाये । परन्तु अन्तःकालीन अवधि में इस प्रकार के कानूनी उपबन्ध प्रायः रखे जाते हैं । इस पर कोई वैधिक आपत्ति प्रतीत नहीं होती । खंड ५४ में किया गया उपबन्ध केवल आनुषंगिग है तथा विधेयक के भाग २ तथा भाग ३ में किये गये मुख्य उपबंध का सहायक

---

†मूल अंग्रेजी में

उपबंध है। अनुच्छेद २३९(क) के द्वारा, संसद द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक वैधानिक निकाय बनाने की शक्ति दी गई है। इस विधेयक के द्वारा इस वैधानिक निकाय को बनाने का उपबंध किया गया है और केवल अनुषंगिक रूप से यह व्यवस्था की गई है कि खण्ड ५४ के उल्लिखित अस्थायी अवधि के लिये संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को उस खंड में दिये गये ढंग से गठित किया हुआ समा जायेगा।

जैसा कि मेंने पहले किसी समय कहा था, भारत के संविधान में भी खंड ५४ के समान अस्थायी तथा अंतर्कालीन उपबन्ध किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद ३७९ द्वारा यह उपबन्ध किया गया था कि जिस समय तक संसद के दोनों सदन गठित हों तथा उन्हें उनके पहले सत्र पर मिलने के लिये बुलाया जाय, भारत को संविधान सभा के रूप में कार्य करने वाली संस्था अंतर्कालीन संसद के रूम में कार्य करगी और उन सब शक्तियों का उपयोग करेंगी तथा उन सभी कर्त्तव्यों को निभायेगी जो कि संविधान द्वारा संसद को दी गई हैं तथा सौंपे गये हैं। राज्य विधान सभा के संबंध में भी अनुच्छेद ३८२ में इसी प्रकार के उपबंध किये गये हैं। इस प्रकार स्वयं संविधान में भी, इस प्रकार की अंतर्कालीन व्यवस्था की गई थी।

नाम-निर्देशन आदि के संबन्ध में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु, जहां तक विधान सभा के बनाने का सम्बन्ध है, सदस्यों के नाम निर्देशन की पद्धति इस पद्धति से पूर्णतः भिन्न है जिसका कि इसमें प्रस्ताव किया जा रहा है। नाम निर्देशन कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है तथा यह व्यक्तिगत नामों के द्वारा किया जाता है। यदि किसी विधान सभा अथवा किसी निर्वाचित निकाय के लिये सदस्य नाम-निर्देशित किये जाते हैं तो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार यह कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति का नामके द्वारा चयन किया जाता है तथा फिर उसे नाम-निर्देशित किया जाता है। इसलिये नाम-निर्देशन तथा चुनाव के बीच एक स्पष्ट अन्तर है। जैसा कि मेंने कहा था परिषदों का व्यस्क मताधिकार द्वारा चुनाव किया जाता था। यह एक निर्वाचित निकाय है जिसे कि कभी भी नाम-निर्देशित निकाय नहीं कहा जा सकता। केवल एक अन्तरिम-कालीन अवधि के लिये खंड ५४ में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि नये आम चुनावों के होने तक इस प्रादेशिक परिषद को विधान सभा के रूप में समझा जाय।

मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु मैं इस बात को बहुत पसन्द करूंगा कि श्री कामत वहां जायें तथा उन प्रदेशों क लोगों क सामने पड़ें। यहां उन प्रदेशों से आये हुए संसद बैठे हुए हैं। उन राज्य क्षेत्रों की ओर से बोलने का अधिकार उन्हें अधिक सेहै। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि श्री कामत द्वारा उठायी गई आपत्ति को कायम रखा जाय तो उनमें से प्रत्यक महान् खेद का अनुभव करेगा। वे इसलिये खेद का अनुभव करेंग क्योंकि वे उनकी अपनी सरकार नहीं बना सकेंगे तथा प्रशासन को उस ढंग में नहीं चला सकेंगे जिसे कि वे सर्वोत्तम समझते हैं। मुझे इसमें संदेह नहीं कि जैसे ही श्री कामत उस क्षेत्र में जायेंगे उसी क्षण उनकी बात समाप्त करदी जायेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि वह वहां जाने का तथा उस क्षेत्र का दौरा करने का साहस नहीं करेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : संविधान की खिल्ली मत उड़ाइये। **[अन्तर्बाधायें]**

†**श्री च० ल० चौधरी** (महुआ) : जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दरख्वास्त है कि कामत साहब मैम्बरों को कहते "शट अप"। "बेइल्मे नातमा खुदार सनात"। उनको यह मालूम होना चाहिये कि अगर वह किसी भी मेम्बर को लियाकत से नहीं देखना चाहते, तो और मेम्बर उनको पानी की तरह देखेंगे। इसलिये उनको बड़े अदब के साथ अपने लफ्ज वितड्रा करने चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : स्पीकर साहब, श्री आयंगर ने उसको पार्लियामेन्टरी रूल किया है।

†**सभापति महोदय** : मेंने सोचा था कि मैं इसे कोई महत्व नहीं दूंगा क्योंकि हम दूसरे मद पर विचार करने जा रहे है थे। परन्तु क्योंकि कुछ सदस्यों ने इस बात को उठाया है अतः मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि मैं श्री कामत से यह प्रार्थना करु कि यह किसी सदस्य के विरूद्ध प्रयोग किये जाने के लिये एक उचित शब्द नहीं है। "शट अप" शब्द सुने थे। आप एक सज्जन पुरूष हैं तथा अपनी भाषा के लिये दबहुत सतर्क है ; अभिव्यक्ति मैं दिखाये गये कुछ रोष के होते हुए भी मेरा विचार है कि एक सहयोगी सदस्य के विरूद्ध "शट अप" शब्दों को प्रयोग करने का आपका विचार नहीं था।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: यहां पर सभी सज्जन पुरूष है; हनमें से कोई भी असज्जन नहीं है। मैं एक बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रथम लोक-सभा मैं जब श्री आयंगर अध्यक्ष रूप में पीठासीन थे एक कांग्रेसी सदस्य ने मेरे विरूद्ध "शट अप" शब्दों का प्रयोग किया था। मैंने यह बात उठाई थी तो उन्होंने कहा था कि यह एकदम संसदीय है क्योंकि 'शट अप" का अर्थ केवल "शांत रहें" है। इसलिये अपने शब्दों को वापस लेने का में कोई कारण नहीं समझता। अध्यक्ष महोदय ने वह विनिर्णय किया था। आप चाहें तो उसके विरूद्ध अगर दूसरा विनिर्णय दे सकते बैं, यह एक दूसरी बात है।

†**सभापति महोदय** : आखिर कार, ऐसे विनिर्णय सर्वदा ही वाद-विधि नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं उसी विनिर्णय को मानता हूं।

†**श्री सभापति महोदय**: मैं केवल अपना यह मत व्यक्त कर सकता हूं कि श्री कामत द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : श्रीमन्, मैं श्री कामत द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न का समर्थन करता हूं। वर्तमान विधेयक के अधीन प्रादेशिक परिषदों को पूर्व पांच वर्षों में संविधान सभाओं के रूप में बदला जाना है। पांच वर्ष का समय तो संसद का जीवन-काल है। इस अवधि को किसी भी प्रकार के विचार द्वारा अंतर्कालीन अवधि नहीं ठहराया जा सकता।

यह आपत्ति उठायी जा सकती है कि संविधान के अनुसार वर्तमान संविधान सभा निर्वाचित अथवा अंशतः निर्वाचित और अंशतः नाम-निर्देशित नहीं है। जब प्रादेशिक परिषदें निर्वाचित की जाती थीं तो उन्हें बहुत नियंत्रित या सीमित अधिकार थे अतः स्वाभाविक ही उनमें निर्वाचन अथवा नाम-निर्देशन के लिये गुणवान व्यक्ति नहीं आते थे। अब इस विधिनियमन द्वारा उन्हें पांच वर्षों के लिये रोका जा रहा है। क्योंकि प्रादेशिक परिषद पूर्णामं विधान सभा से बिलकुल भिन्न है। परिषद के लिये कुछ व्यक्ति चुनाव नहीं भी लड़ते परन्तु विधान सभा के सदस्य होने के इच्छुक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनेक व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

प्रादेशिक परिषद के लिये आयु २१ वर्ष थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार यह २५ वर्ष है। २१ वर्ष के व्यक्ति को २५ वर्ष के व्यक्ति अथवा एक स्त्री के रूप में बदलना सम्भव तथा व्यवहार्य नहीं है। एक २० वर्ष का व्यक्ति जो कि प्रादेशिक परिषद के लिये चुनाव लड़ सकता था विधान सभा की सदस्यता के लिये चुनाव नहीं लड़ सकता। अब उसे यह अधिकार दिया जा रहा है। मेरी यह यथार्थ आशंका है कि यह अधिनियमन संविधान की भावना के विरुद्ध है, संविधान के

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुच्छेद २३९(क) के विशेष उपबन्ध के विरुद्ध है जो कि यहां १९६२ में पारित किया गया था। अतएव, इस मामले की गम्भीरता से जांच की जानी चाहिये। मैं तो यह भी कहूंगा कि इस सम्बन्ध में महान्यायवादी से परामर्श लेना सर्वोत्तम होगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं अनुभव करता हूं कि श्री कामत द्वारा उठाये गये प्रश्न में बहुत बल है। मैं स्वयं भी यही प्रश्न उठाने की सोच रहा था।

अनुच्छेद २३९(क) में कहा गया है कि संविधान के उस संशोधन के पश्चात् जिस किसी विधि का अधिनियमन किया जायेगा उससे संविधान का संशोधन तो हो सकता है परन्तु संविधान के एक संशोधन के बराबर उसे प्रभावशाली नहीं समझा जायेगा।

प्रश्न केवल इन परिषदों की व्याख्या करने का ही नहीं है अपितु उन वर्तमान परिषदों को जारी रखने की वैधता का है जोकि इस संशोधन के आने से पूर्व विशेष परिस्थितियों में, विशेष प्रयोजन के लिये, एक विशेष विधान के अधीन बनाई गई थीं। यह परिषदें उस क्षेत्र के लोगों को स्वायत्त-शासी-सरकार के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए बनाई गई थीं। उस क्षेत्र के लोग इसके लिये बहुत उत्सुक हैं परन्तु इस के लिए संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता।

संविधान के अनुच्छेद २३९ (क) (१) में यह उपबन्ध किया गया है कि विधि अनुसार केवल दो प्रकार की विधान सभायें बनाई जा सकेंगी, या तो केवल निर्वाचित संघ क्षेत्रीय विधान सभायें अथवा अंशतः नाम-निर्देशित तथा अंशतः निर्वाचित विधान सभायें। अब यदि यह निकाय पूर्णतः निर्वाचित होगा तो विद्यमान प्रादेशिक परिषदें उस विधि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करतीं तथा विधेयक के खंड ५४ द्वारा जो पूर्णतः परिवर्तन किया जा रहा है वह संविधान के शक्ति परस्तात होगा। अब हम दूसरे प्रवर्ग पर आते हैं जिस का अर्थ है कि निकाय अंशतः नाम-निर्देशित तथा अंशतः निर्वाचित होना चाहिये। इस मामले में यह तर्क करना तो निरर्थक होगा कि जिन विद्यमान प्रादेशिक परिषदों को बदलना है तो वे अंशतः निर्वाचित तथा अंशतः नाम-निर्दशिट हैं। यदि ऐसा है, तो वास्तव में, निर्वाचक तत्व कौनसा है तथा नाम-निर्देशक तत्व कौनसा है, क्योंकि इन को तो क्रमशः पूर्व निर्वाचनों तथा नामनिर्देशनों का निर्देश नहीं करना चाहिये परन्तु अधिनियम के अधीन उन का करना चाहिये जोकि अनुच्छेद २३९(क) के अन्तर्गत अधिकृत हैं। उस प्रकार का कोई भी पूर्व अधिनियम वास्तव में शक्ति प्रस्ताव होता। इसी कारण सरकार इस संवैधानिक संशोधन को लाने के लिए प्रेरित हुई। यदि इस चौदहवें संवैधानिक संशोधन से वह सुसंगतता लानी है तो हमें यह मानना चाहिये कि इस संशोधन के लागू होने से पहले हम इन राज्य क्षेत्रों के लिये विधान सभायें नहीं बना सकते थे जिस के लिए कि वास्तव में संविधान के संशोधित अनुच्छेद द्वारा अनुमति दी गई है।

दूसरी बात यह है कि क्या वैधिक तथा संवैधानिक रूप से यह कहना सही होगा कि जो विद्यमान विधान है तथा जिस के लिये निर्वाचन अथवा नाम-निर्देशन प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ के अधीन किये जाते हैं वे वर्तमान अधिनियमन के अधीन राज्य विधान सभाओं को गठित करने के प्रयोजन के लिये संगत है। इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है कि आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के क्षेत्र से बाहर एक विधान सभा बना सकते हैं क्योंकि निर्वाचनों में पक्षपातरहित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिये निर्वाचन आयोग एक साधन है जिस के द्वारा सभी निर्वाचन किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा चुंगी अथवा पंचायत के लिये किये गये निर्वाचन एक विधान सभा को गठित करने के लिए मान्य तथा संगत नहीं होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

माननीय मंत्री ने इसे एक अन्तर्कालीन व्यवस्था बताया है । संविधान में कहीं भी ऐसी किसी अन्तर्कालीन व्यवस्था का उपबन्ध नहीं किया गया है । दूसरे, पांच वर्ष की अवधि को अन्तर्कालीन नहीं बताया जा सका । अन्तर्कालीन अवधि तो सामान्य अवधि से छोटी ही होती है । हमारे संविधान के अधीन सामान्यतया कोई विधान सभा भी पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये नहीं होगी अतः इस को अन्तर्कालीन व्यवस्था बताना अनुचित है ।

माननीय गृह मंत्री द्वारा दूसरा तर्क अनुच्छेद ३२९ के खंड (ख) का उल्लेख करते हुए उठाया गया था । उस तर्क में कोई तथ्य नहीं है क्योंकि इन सब मामलों में देश के न्यायालयों तथा हम सब को, जिन के ऊपर संविधान की भावनाओं को बनाये रखने का उत्तरदायित्व है, जहां तक इन लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को नियंत्रित करने का सम्बन्ध है, संवैधानिक शब्दों का नियंत्रित निर्वचन करना होगा । जब कि "[For the time being]" "कुछ समय के लिये" की अवधि का चार अथवा पांच वर्षों तक विस्तार किया जा रहा है तो हमें इस का यह अर्थ निकालना ही पड़ेगा कि यह संविधान की भावनाओं तथा उपबन्धों के अनुसार नहीं है । हमारी प्रक्रिया के नियमों के अधीन यह इस सदन की विधायिनी सक्षमता के अन्तर्गत नहीं आता ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : मैं श्री कामत द्वारा उठाई गई आपत्ति का पूर्णतः समर्थन करता हूं । संविधान के अनुसार वर्तमान विधान सभा पूर्णतः निर्वाचित अथवा पूर्णतः नाम-निर्देशित नहीं है । यह अंशतः निर्वाचित तथा अंशतः नामनिर्देशित है । खंड ५४ के लिए मुख्य आपत्ति यही है । खण्ड ५४ के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्रादेशिक परिषद् के लिये निर्वाचित सदस्य था उसे संविधान सभा के लिए निर्वाचित समझा जायेगा । यह वैधानिक भावना संविधान के विरुद्ध है । इसे विधि के अनुसार ही होना चाहिये ।

दूसरे संसद् के लिए तो अन्तर्कालीन अवधि के लिये संविधान में विशेष व्यवस्था थी परन्तु संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऐसा उपबन्ध संविधान में कहीं भी नहीं था । अतः इसे संविधान के अधीन संसद् की व्यवस्था के अनुसार ही अन्तर्कालीन व्यवस्था बताना मान्य नहीं है ।

इस खण्ड में उल्लेख है कि जो व्यक्ति प्रादेशिक परिषद् का सदस्य है उससे संविधान सभा का सदस्य समझा जायेगा । यह एक बड़ी अनुचित सी बात है तथा विधेयक के भी कुछ उपबन्धों के विरुद्ध है । विधेयक के अनुसार चुनाव लड़ने के लिये एक व्यक्ति को २५ वर्ष का होना चाहिये परन्तु इस व्यवस्था के अनुसार २५ वर्ष से क्या कम आयु वाला भी यदि कोई व्यक्ति प्रादेशिक परिषद् का सदस्य होगा तो वह संविधान सभा का सदस्य समझा जायेगा । यह बात विधेयक की भावनाओं के विरुद्ध है । यदि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जायगा तो यह पूर्ण सम्भावना है कि इसे शक्ति परस्तात घोषित कर दिया जायेगा ।

†**सभापति महोदय** : क्या मंत्री महोदय उत्तर में कुछ कहना चाहते हैं ?

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : उस से पूर्व, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । प्रादेशिक परिषदों के वर्तमान गठन में राजनीतिक दलों का क्या प्रतिनिधित्व है ? अथवा, आप इस बात को छिपा कर रखना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े**: यही तो हमारी आपत्ति है । अन्य राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व नहीं भी मिल सकता ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीसह)**: पहले मैं अनुच्छेद २३६(क) से संगत शब्दों को ले कर पढ़ता हूं ।

"संसद् विधि द्वारा राज्य के विधान मंडल के रूप में कृत्य करने के लिये निर्वाचित अथवा अंशतः नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय को बना सकेगी

अब यह मानते हुए कि यह निकाय इस पदावलि द्वारा सीमित है "या तो निर्वाचित अथवा अंशतः नामनिर्देशित और अंशतः निर्वाचित होगा"—मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं ; मेरा विचार है कि यह केवल उदाहरण देने के लिये है ; तीसरे प्रकार के वैकल्पिक निकाय के लिये आवश्यक रूप से ही रोक नहीं है ; ऐसा मैं अनुभव करता हूं—यह मानकर कि इन दो ढंगों में ही, अर्थात् "निर्वाचित अथवा अंशतःनाम-निर्देशित और अशतःनिर्वाचित," निकाय, गठित किया जा सकता है, संवैधानिक अपेक्षा क्या रह जाती है? संवैधानिक उपबन्ध में यह अपेक्षा की गई है कि जिन सदस्यों से इस निकाय का गठन होता है उन्हें निर्वाचित होना चाहिये, जैसाकि डा० सिंघवी ने बल दे कर कहा था, शब्द 'निर्वाचित' के साथ कोई वाक्यांश नहीं लगा हुआ है कि

†**श्री बड़े** : विधेयक के अधीन निर्वाचित ?

†**श्री हजरनवीस** : 'शट अप' ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, यह बहुत गलत बात है । माननीय सदस्य मुझे कुछ बता रहे थे । अब मंत्री महोदय ने यह उचित समझा कि

†**सभापति महोदय** : मैं इस बात को बहुत नापसन्द करता हूं । यह उचित नहीं है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, क्या आप कृपया यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्वस्थ परम्परायें

†**सभापति महोदय** : जो कोई भी हो उसे ऐसे शब्दों का सदन में प्रयोग नहीं करना चाहिये । वे सम्मानपूर्ण नहीं हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मैं पुनः निवेदन कर सकता हूं कि

†**सभापति महोदय** : प्रतायारोपण की भावना नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रत्यारोपण का प्रश्न नहीं है ।

†**श्री हजरनवीस** : श्रीमन्, उन शब्दों का प्रयोग करने के लिये मैं अपना खेद प्रकट करता हूं ।

†**सभापति महोदय**: यदि दूसरी बार उन का प्रयोग किया जायेगा, तो मैं उन्हें कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : मैं उसे नहीं दुहराऊंगा। मैं माननीव सदस्यों से केवल यह प्रार्थना करता हूं कि जब मैं किसी महत्वपूर्ण तथा कठिन विषय पर तर्क कर रहा होऊं तो उस में विघ्न नहीं डली जानी चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : वह सब ठीक है। उन्हें आगे कहने दीजिये। उन की बात में बाधा क्यों डाली जानी चाहिये ।

†श्री हरिविष्णु कामत : उन्होंने हमारी बात के बीच बाधा क्यों डाली थी ?

†**सभापति महोदय** : कृपया उन्हें भड़कायें नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं केवल अपने सहयोगी से कुछ कह रहा था ।

†**सभापति महोदय** : जो कुछ मंत्री महोदय कहते हैं उसे हमें सुनने दीजिये ।

†**श्री हजरनवीस** : संवैधानिक आदेश केवल यही है कि इसे निर्वाचित होना चाहिये। यदि कहीं कोई सन्देह हो अथवा कहीं कोई विवादास्पद बात उठायी जाती है कि विधान सभाओं का गठन निर्वाचनों के साथ साथ होता है तो हमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७३ पर विचार करने दीजिये। विधान सभा के भंग होने के पश्चात् आम निर्वाचन होते हैं।

विधान सभा भंग की जाती है, तब एक के बाद एक चुनावों की घोषणा की जाती है। फिर धारा ७३ के अधीन इसके परिणाम प्रकाशित किये जाते हैं। एक सामान्य अधिसूचना जारी की जाती है और इसके जारी हो जाने के बाद विधान सभा को गठित हुआ समझा जाता है। इसलिये, सदस्यों का निर्वाचन सर्वदा सभा अथवा सदन के गठन के पहले ही हो जाता है। समय का अन्तर कितना होना चाहिये यह प्रत्येक मामले की यथार्थ बातों पर निर्भर करेगा। यहां चार, पांच अथवा छः महीने पूर्व एक चुनाव हुआ है। अब विधि तो यही कहती है कि उन निर्वाचित सदस्यों से ही विधान सभा का गठन होगा, यह एक ऐसा उपबन्ध है जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७३ के शब्दों की नकल की गई है। इसलिये, अनुच्छेद २३९(क) का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है। दूसरे, जहां तक नाम निर्देशिन के सम्बन्ध में उठायी हुई मुख्य आपत्ति का सम्बन्ध है, कोई भी सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जाता है। नाम निर्देशन में कार्यकारिणी किसी व्यक्ति का चयन करती है। इस मामले में जो बात हुई र वह यह है कि जो सदस्य विधि के एक उपबन्ध द्वारा निर्वाचित किये गये

†**सभापति महोदय** : माननीय मन्त्री अपना तर्क कल पुनः जारी करें।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्रीमन इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : यदि सदन इसके लिये इच्छुक है तो हम इसे पांच मिनिट और जारी रखेंगे।

†**श्री हजरनवीस** : मैं डा० सिंघवी द्वारा उठायी गई आपत्ति का यह कह कर उत्तर देता हूं कि यह विधान-सभा संविधान के अधीन गठित नहीं की जा रही है, अतः संविधान के उपबन्ध लागू नहीं होते। इस विधान सभा को एक अधिनियम अथवा विधि के अधीन गठित किया जा रहा है अतः हम सदस्यों अथवा निर्वाचन के लिये कोई भी अर्हतायें निर्धारित कर सकते हैं। अतएव, संविधान सम्बन्धी प्रश्न उठता ही नहीं है।

अब ("Deemed to be") "समझा जाये" एक सुविख्यात उपबन्ध है जिसके द्वारा वैधिक कपल्ना की जाती है और कोई यह नहीं कह सकता कि वह वास्तविकता नहीं है क्योंकि यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

यह वास्तविकता नहीं भी है तो भी विधि हमें यह कल्पना करते के लिये आदेश देती है कि वैधानिक कल्पना विद्यमान है ।

†**श्री बड़े :** मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या २५ वर्ष की कम आयु का कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य हो सकता है । यदि हमें यह बता दिया जाय तो हम चुप हो जायेंगे ।

†**सभापति महोदय :** विधि की भी कुछ सीमायें है । एक बार जब चुनाव वैध घोषित कर दिया जाता तो गलत आयु में भी यदि कोई चुना जाय तो उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । क्षेत्रीय परिषदों की अवधि में भी सरकार चाहे तो वृद्धि हो सकती है परन्तु सदन जैसा चाहे इस बारे में फैसला कर सकता है । मैं उसके अनुसार चलूंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** परन्तु उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामले आये हैं जहां आयु के २५ वर्ष के कम होने के फलस्वरूप चुनाव और अवैध घोषित कर दिया गया था, मेरे विचार में आप यह मामला, अध्यक्ष महोदय के अन्तिम निर्णय के लिए रहने दें ।

†**श्री अ० कु० सेन :** आपका आदेश ठीक है ।

†**सभापति महोदय :** मैं सभा की राय जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक पर विचार किया जाय ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

†**सभापति महोदय :** तो कल इस पर विचार होगा ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्कीसवां प्रतिवेदन जोकि १ मई १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया थी, सहमत है ।"

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इक्कीसवें प्रतिवेदन के चार मद हैं । मद संख्या ४ की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करवाता हूं । और मेरा कहना है कि मेरे संविधान (संशोधन) विधेयक के वर्गीकरण पर समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाय ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : इस संदर्भ में मुझे भी निवेदन करना है कि एक संविधान (संशोधन) विधेयक का नोटिस मैंने भी दिया हुआ है ।

†**श्री हेमराज :** श्री कामत की आपत्ति ठीक नहीं है । जब भी वर्गीकरण किया जाता है तो सम्बद्ध सदस्य को सर्वप्रथम अवसर मिलता है । श्री कामत को पुन: अवसर मिल सकता है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : यह ठीक है, डा० सिंघवी का मामला भी इससे सम्बद्ध है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मुझे यह बताया गया कि गृह मन्त्रालय वाले इस आपात में इस प्रकार के विधेयक को लेना उचित नहीं समझते।

†**सभापति महोदय** : आप पुनः समिति को लिख सकते हैं। श्री कामत के विधेयक पर पुनः विचार किया जाय

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसे समिति के पास पुनः वापिस भेजा जाय।

†**सभापति महोदय** : मैं घोषित करता हूं कि प्रस्ताव इस रूपभेद के साथ स्वीकृत हुआ कि हरि विष्णु कामत के संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ के वर्गीकरण पर समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाय।

औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक

(धारा ३३ का संशोधन)

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक

(धारा ३, ४ आदि का संशोधन)

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम १९५२ की अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों की सम्पत्ति का बताया जाना विधेयक

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि मन्त्रियों की समय समय पर सम्पत्ति के बताये जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों की समय समय पर सम्पति के बताये जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुपः स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बीमा संशोधन विधेयक- –जारी

(धारा ३१-क और ४०-ग का संशोधन)

†**सभापति महोदय** : अब १९ अप्रैल, १९६३ को श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा :—

"कि बीमा अधिनियम १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्री इन्द्रजीत गुप्त १९३८ के बीमा अधिनियम में दो संशोधन चाहते हैं । एक संशोध न द्वारा वह चाहते हैं कि लाभांश की अधिकतम सीमा सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के अधिकार हटा दिये जायें । दूसरे संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा ४०० के अन्तर्गत व्यय की सीमा निर्धारित करते समय लाभांश पर विशेष रूप से विचार करने की व्यवस्था हो ।

मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता । प्रथम संशोधन के बारे में मेरा निवेदन है कि उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय का उन्होंने उल्लेख किया है उससे कठिनाइयां काफी बढ़ गयी हैं और श्री गुप्त चाहते हैं कि वर्तमान विधि में मूल परिवर्तन कर दिया जाय । यह मामला तकनीकी और वित्तीय महत्व का है । इस विषय पर बहुत सी बातों पर विचार करके ही निर्णय किया जा सकता है । बीमा करने वालों में अस्वस्थ मुकाबला न हो इस दृष्टि से सरकार के लिए नियन्त्रण रखना भी जरूरी है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि कर्मचारियों के सामान्य अधिकार छीनने की कोई बात है ।

एक बात बिल्कुल स्पष्ट है वह यह कि लाभांश की अधिकतम सीमा सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के अधिकार हटा देने से सीमा समवायों के कर्मचारियों का कोई हित नहीं होगा । सरकार तो हमेशा कर्मचारियों के हित की ही बात करती आई है । जहां कर्मचारियोंकी बात आई है सरकार हमेशा उदार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

दृष्टिकोण अपनाती रही है । इसका कारण यही है कि जब सरकार को अधिकतम लाभांश निर्धारित करने का अधिकार है तो कर्मचारियों को भी कुछ सीमा में लाभांश के दर के बारे में एक विवाद उत्पन्न करने के अधिकार दिये जाने चाहियें । इससे यह लाभ होगा कि बीमा समवायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी । और फिर यदि कोई विवाद होता है, तो इसको बातचीत के द्वारा निपटाया जा सकता है । परन्तु सरकार के अधिकार छीन लेने से वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिसके लिए श्री गुप्त यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं । केवल वहां ही कुछ कठिनाई होगी जहां समवाय के पास धन हो और समवाय लाभांश घोषित न करे । उस पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या किया जाय । मुझे कोई ऐसी ज्यादती का मामला देखने को मिला नहीं फिर भी मैं इस बारे में आंकड़े प्राप्त करने का यत्न कर रहा हूं । और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि स्थिति ऐसी हो तो उसका कोई हल निकाला जाना चाहिए । इस संदर्भ में हमें लाभांश आयोग की सिफारिशों की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए । वह लाभांश के बारे में सिद्धान्त निर्धारित करेगी ।

दूसरे संशोधन के बारे में मेरा निवेदन है कि इसमें कोई विशेष तथ्य की बात नहीं है । धारा ४०० का उल्लेख करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है । लाभांश तो पहिले ही व्यय का एक अंग है, तो इसका उल्लेख करने से क्या लाभ होगा । मेरे विचार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं । इससे कुछभी प्राप्त नहीं हो सकता । अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने दोनों संशोधन वापिस ले लेने चाहियें । दूसरा संशोधन वैसे ही अनावश्यक है और प्रथम के एक भाग पर विचार किया जा रहा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण-पश्चिम) : इस बात का मुझे पता है कि इस मामले पर सरकार गत दो तीन वर्षों से विचार कर रही है । मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि सरकार के पास अधिकार क्यों हैं । वास्तव में सरकार की नीति भी कुछ हो, यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बीमा समवायों ने अधिनियम में जो यह कमी रह गयी थी उसका खूब लाभ उठाया । उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को ठुकराना आरम्भ कर दिया । वे बेचारे कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते थे । औद्योगिक विवाद अधिनियम का भी आश्रय वे नहीं ले सकते । बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी, परन्तु बैंकिंग कर्मचारियों के बारे में सरकार ने बैंकिंग समवाय अधिनियम में संशोधन कर दिया है । इस से अब वे लाभांश के बारे में न्यायाधिकरण के समक्ष मामला पेश कर सकते हैं । अतः सामान्य बीमा समवायों के विरुद्ध भेदभाव बरतने का कोई कारण नहीं है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से उपयुक्त संशोधन करना चाहिए ।

मेरे लाभांश आयोग बीमा समवायों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकेगी । क्योंकि उनका मामला इसके अन्तर्गत आता ही नहीं । क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा आश्वासन देंगे जिस से कर्मचारियों की कठिनाइयों की कुछ व्यवस्था हो सके । उन्हें लाभांश के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में मैं अपना विधेयक वापिस ले लूंगा ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने जब लाभांश आयोग का उल्लेख किया था तो मैंने यह नहीं कहा था कि हमने यह मामला उस के सुपुर्द किया है । मेरा निवेदन यह है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय

---

†मूल अंग्रेजी में

के बाद हम इस बारे में कुछ करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। मेरे विचार में इससे माननीय सदस्य की सन्तुष्टि हो जानी चाहिए।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : तो यह समझा जाय कि सरकार इस पर विचार कर रही है। ऐसी स्थिति में मैं अपने विधेयक को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापिस लेने की अनुमति है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद १०० और १८६ का संशोधन)

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संविधान में संशोधन करने के लिए मैंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह एक साधारण सा विधेयक है और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए है जो समय समय पर सामने आती रहती हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे संविधानकारों ने जब कोरम के सम्बन्ध में व्यवस्था की थी संविधान में, उस समय उनको इस बात का पता न था कि दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि काम बहुत बढ़ जाये और उन्हें इतने अधिक समय के लिए बैठने की आवश्यकता पड़ सकती है कि माननीय सदस्य थक सकते हैं और कभी कभी कोरम की कमी भी हो सकती है। इस कारण से अत्यन्त आवश्यक कार्य, अत्यन्त आवश्यक विधेयक संसद् के सम्मुख जो होते हैं या विधान सभाओं के सम्मख जो होते हैं, वे रुक सकते हैं।

आप को पता है कि इस समय हम लोग एक आपत्कालीन स्थिति में से हो कर गुज़र रहे हैं और इस समय रुपये पैसे तथा समय की बचत करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ कोरम की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़े और जो व्यय हो रहा है वह होता रहे, यह एक दुरुपयोग होगा उन संविधान की धाराओं का जिन धाराओं में हम ने कोरम के सम्बध में कुछ बातें निश्चित की थीं।

आप को यह भी मालूम है कि आज भी सदन की अनुमति से ऐसी व्यवस्था है कि कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, उस समय के लिए जबकि दुपहर में लंच का समय होता है, भोजन का समय होता है, अर्थात् एक बजे से लेकर ढाई बजे तक यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। क्या माननीय सदस्य नहीं जानते हैं कि यह व्यवस्था संविधान के विरुद्ध जाती है? किन्तु हम ने स्वीकार कर लिया है कि इस समय कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा और इसको एक कनवैंशन के रूप में हम निभाते आ रहे हैं। यह एक प्रथा है जो चल रही है। आज मैंने जो कुछ काम किया है वह केवल यह है कि जो काम कनवैंशन द्वारा हो रहा है, उसे मैं संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा स्वीकृत करा दूं, विधिवत् वह काम होता रहे, ऐसा इस सदन से स्वीकृत करा दूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० ला० द्विवेदी]

इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करता हूं कि दूसरे देशों में भी ऐसी ही प्रथायें चली आ रही हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में अध्यक्ष बाध्य नहीं हैं इस बात के लिए कि सदन में जिस वक्त कोरम न हो तो वे कोरम को देखेंगे ही। वहां पर अध्यक्ष महोदय बगैर इस बात का खयाल किये हुए सदन की कार्रवाई को चलाते रह सकते हैं, चाहे कोरम हो या न हो

एक माननीय सदस्य : वहाँ पर अनरिटन कॉंस्टिट्यूशन है।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह मैं मानता हूं कि वहाँ पर अनरिटन कॉंस्टोट्यूशन है। लेकिन यहां पर मेज पार्लिमैंटरी प्रक्टिस उन बातों के लिए लागू होती है जिन के बारे में हमारा संविधान खामोश होता है या जिन के बारे में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं होती है। उसको आप यहां भी मान्य समझते हैं। माननीय सदस्य इसलिए इसका विरोध नहीं कर सकते हैं कि वहाँ संविधान नहीं है और वह बात यहाँ लागू नहीं होती है। इंग्लैंड की पार्लिमेंटरी प्रेक्टिस से हमने बहुत कुछ प्रेरणा हासिल की है और जब कभी भी हमारा संविधान किसी विषय पर खामोश होता है या उस में कोई बात नहीं होती है तो मेज पार्लिमेंटरी प्रेक्टिस के आधार पर हम कार्य करते हैं। जिस देश को आधार मान कर हम ने यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना की है, वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है कि कोरम होना अनिवार्य नहीं है। हमारे यहाँ जब संविधान बनाया गया तो उस में कहा गया कि अध्यक्ष महोदय के लिए यह आवश्यक है कि वे देखते रहें कि १/१० कोरम है अथवा नहीं। मैंने अपने विधेयक में यह बात नहीं कही है कि १/१० कोरम न रहे। यदि माननीय सदस्यों ने मेरे बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजंज को देखा है तो उनको साफ पता लगेगा कि उस में यह लिखा हुआ है :

"कि यदि सदन की कुल संख्या का दसवाँ भाग हो तो कोरम के लिए काफी है।"

इस के अतिरिक्त यह है कि संविधान में जो १/१० की व्यवस्था की गई है, उसे हम स्वीकार करते हैं और उसका संशोधन नहीं करना चाहते हैं। मेरा संशोधन करने का केवल मंशा यह है कि जहाँ पर ये शब्द हैं

"जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे"

की जगह पर ये जोड़ दिये जायें :

"वही अथवा जब कि सदन के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में इसके विपरीत व्यवस्था हो।"

मैं सिर्फ इतनी व्यवस्था करना चाहता हूं अनुच्छेद १०० में इसी प्रकार से राज्यों में जो विधान मंडल हैं वहाँ के लिये अनुच्छेद १८९ है। चूंकि यहाँ के लिये मैं संविधान के अनुच्छेद १०० में संशोधन उपस्थित कर रहा हूं इसलिये उसी प्रकार का जो अनुच्छेद १८९ राज्यों के विधान मंडलों के लिये है उस में भी संशोधन उपस्थित कर रहा हूं। वहाँ के लिये भी इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है।

हमने इस को अपनी स्वीकृति दे दी है चाहे वह जानकारी में दी हो या अनजाने दी हो क्योंकि हम इस बात को मान रहे हैं कि १ बजे से १/२ बजे तक इस सदन में कोरम पर जोर नहीं दिया जाता हालाँकि यह असंवैधानिक है। जब हम ने इस कंवेंशन को स्वीकार कर लिया है, और हम इस चीज को वैलिडेट करना चाहते हैं, इस को विधि का रूप देना चाहते हैं, तो माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस सदन की कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही मैंने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है।

जैसा मैंने बतलाया है, हमारा सदन पाँच बजे से अधिक समय के लिये भी बैठता है। संसद् सदस्यों के जो क्षेत्र हैं वे देश के दूर-दूर के हिस्सों में हैं। दूसरे देशों में इनी दूर-दूर के क्षेत्र नहीं होते हैं। सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है कि वे समय समय पर अपने क्षेत्रों में भी जायें। इसलिये भी इस विधेयक को स्वीकार कर लेना उचित है। संविधान में स्वयम् इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन किन स्थितियों में, विशेष रूप से कोरम की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये : संविधान के अनुच्छेद :

"६१ (२) (बी), ६१(४), ६०(सी), ६४(सी), १०८(४), १२४(४), २१८, २४६(१), ३६८ आदि"

इन अनुच्छेदों के लिये एक विशेष कोरम की आवश्यकता होती है। इस में मैं कोई संशोधन नहीं कर रहा हूं। इस का मतलब यह है कि जिस प्रकार से संविधान के संशोधन के लिये आवश्यक है कि कुल सदस्यों का बहुमत हो और उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई का बहुमत हो, उस में मैं कोई संशोधन नहीं करना चाहता हूं। उन को वहाँ रहना ही है। यह संशोधन विधेयक तो केवल इसी सदन के नित्य प्रति की कठिनाइयों को दूर करने के लिये है, जिसमें कि यदि कभी यह सदन पांच बजे के बाद छः, ७ या कभी कभी ८ बजे तक भी बैठे तो कोरम का प्रश्न न उठाया जाय ताकि इस आपात्कालीन परिस्थिति में इन बातों के उठने से बेकार रुपया बरबाद न हो और हमारा काम चलता रहे।

हम चाहते है कि यहां पर $^{1}/_{10}$ का नियम कोरम के संबंध मैं रक्खा जाये लेकिन साथ ही साथ यदि सदन यह निश्चित करे, यदि इस सदन की प्रक्रिया में, रूल्स में हम यह निश्चित करें कि कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा तो वह निर्णय चलना चाहिये। आज भी यह कंवेंशन चल रहा है। मैं उसी को विधि का रूप देने के लिये यह विधेयक सभा के सामने रख रहा हूं। यही व्यवस्था आज लंका, कनाडा, इंग्लैंड तथा दूसरे संसदों मैं भी चल रही है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या इसी तरह से संशोधनकर के संविधान में चल रही जैसे कि आप करना चाहते है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : हम ने जो भी कंवेंशन माना है उस को में विधि का रूप देने जा रहा हूं। १।१० के कोरम की जो व्यवस्था है वह ज्यों की त्यों रहे गी। इस संबंध मैं डी० डी० बसू ने जो संविधान की कमैंटरी लिखी है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि इस बात पर तो विवाद है कि अध्यक्ष किसी विशेष अवस्था में किसी बैठक में कोरम को समाप्त कर सकता है। कहने की मंशा यह है कि यदि कोई हमारे इस कंवेंशन को सुप्रीम कोर्ट मैं या दूसरी जगह चैलेंज करता है तो वह असंवैधानिक ठहराया जा सकता है और जो सुविधा आज सदन के लिये है वह खत्म हो सकती है जिसके फलस्वरूप बहुत सी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये मेंने संविधान का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है।

इसके अलावा आपको इस बात का भी पता होगा कि विधि मंत्री ने इसी प्रकार का एक संशोधन सन् १९५५ में प्रस्तुत किया था और लोक सभा सचिवालय ने उस के लिये प्रेरणा दी थी क्योंकि लोक सभा सचिवालय ने यह अनुभव किया था कि संविधान की कोरम की व्यवस्था के कारण कार्य विधि में और संसदीय कार्य के चलाने में बड़ी कठिनाइयां उपस्थित होती है और उसके संबंध में सदन को कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय या जो सभापति होते हैं उन के और सदन के सामने जो कठिनाइयां उपस्थित होती है उन का अनुमान सदस्य लोग लगा सकते है। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही लोक सभा के सचिवालय ने भारत सरकार के विधि मंत्री को लिखा था और प्रेरणा दी थी। और उन्होंने एक संशोधन विधेयक रक्खा भी था संविधान के लिये, लेकिन

[श्री म० ला० द्विवेदी]

समय न होने के कारण और प्रथम लोक सभा के समाप्त हो जाने के कारण वह विधेयक रद्द हो गया और उस पर वाद-विवाद नहीं हो सका।

इस संबंध में समय समय पर कई बार प्रश्न उठाये गये, संसद सदस्यों ने उठाये और इस तीसरी लोक सभा के समय में भी अध्यक्ष महोदय ने और संसद् सदस्यों ने इसके संबंध में प्रश्न उठाये कि संविधान की जो कड़ाई है कोरम के विषय में उसे दूर किया जाये। मैंने इस सदन के अभिमत को देखते हुये सोचा कि इन कठिनाइयों को इस विधेयक के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसीलिये मैंने यह संविधान सशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस पर विचार करेगा।

मैं इस विधेयक को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री श० शा० मोरे** (पूना) : संविधान में स्पष्ट है कि कोरम को संसद विधि पूर्वक ही बद सकती है। मेरा कहना है कि संविधान को विधिपूर्वक बदल सकती है यह बात मेरी समझ में आयी नहीं। मेरे विचार में तो यह बात संविधान के विरूद्ध है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सदन संविधान को भी बदल सकता है। इसको सब शक्तियां प्राप्त हैं।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर): कई कारणों से हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। मेरा निवेदन है कि संविधान बनाने वालों ने किसी उद्देश्य से ही कोरम वाला उपबन्ध रखा होगा। शायद उनके दिमाग में यह बात हो कि सदन में कभी भी प्रतिनिधित्व के अंश की कमी न हो। मेरे विचार में इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संविधान की मूल भावनाओं के विरूद्ध होगा। फिर इससे कोई तुरन्त होने वाली आवश्यकता की पूर्ति का भी प्रश्न नहीं है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस संशोधन का विरोध करता हूं।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): मुझे खेद है कि में इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि कोरम के प्रश्न को सुविधाओं अथवा असुविधाओं के दृष्टिकोण से विचार न किया जाय। कुछ ऐसी प्रथाओं को जो गैर कानूनी हैं, कानूनी बनाने का कोई प्रयत्न न किया जाय।

इस सभा में जो भी कार्य होता है वह समस्त राष्ट्र के लिये राष्ट्रीय महत्व का होता है क्योंकि यहां जनता के प्रतिनिधि बैठे है। इसलिये ऐसी गणपूर्ति को कोई न्यूनतम संख्या में संविदित विधि के द्वारा निश्चित करनी होगी और केवल मात्र परम्पराओं पर नहीं रहना होगा। गण पूर्ति का उपबंध सभा का प्रतिनिधि स्वरूप बनाये रखने के लिये ही किया गया है, परन्तु मा० मित्र सदस्यों के लिये सरलता ढूंढ़ने के प्रयत्न में इस उपबंध को हटाना चाहते हैं, जो अत्यंत आवश्यक है, अतः मैं इसका विरोध भी करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, द्विवेदी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने लोगों की असुविधा का ख्याल किया और चेयर के इनकनवीनिएंस का भी ख्याल किया। उनका जीवन देश सेवा में गया है। उनके इंटेशन्स तो गुड है, इसलिये बधाई देता हूं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वह डिमाक्रेसी के खिलाफ है। अतः मैं इस रिजोल्यूशन की ताईद नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उनका विचार बहुत सुन्दर है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई दफा ऐसा होता है कि अच्छे विचार होते हैं पर उनके कारण अनिष्टकारी कार्य हो जाते है। हम यहां जनतंत्र के मंदिर में बैठे हुए हैं और इस मंदिर में ४४ करोड़ इन्सानों का रिप्रेजटेशन होता है। यहां अगर दस बीस आदमी बैठ कर कोई बात तै कर लें तो बिलकुल अनडमिक्रेटिक है। हमारी परम्परा तो यही रही है कि सारे भारत में एक राय खिलाफ थी, भगवान राम के खिलाफ एक राय थी, तो भी एक राय के ऊपर उन्होंने भगवती सीता का त्याग कर दिया था और यहां हम करोड़ों आदमियों की राय की इग्नोर करें, यह कुछ अच्छा नहीं लगता है। हम लोग यहां काम करने के लिये आये है। जनता ने चुन कर हमें यहां पर भेजा है। लाखों का दिल दिमाग हमारे साथ है तो फिर यह अच्छा नहीं लगता कि कोरम न हो तो भी हम कोई बात पास कर लें। यह कतई अनकौंस्टीट्यूशनल है। जब हम को काम करने का शौक नहीं होगा तो हम कैसे इस चीज़ को चलायेंगे ? मेरी राय तो यह है कि लोकसभा की सिटिंग के बीच में थोड़ी हाफटाइम की छुट्टी होनी चाहिये जिससे कि लोग खाना खा कर फिर समय पर हाजिर रह सकें। यह उचित नहीं है कि कुछ लोग यहां से खाना खाने के लिए या और किसी काम पर बाहर चले जांय और यहां का काम चलता रहे। लोकसभा म मेम्बरों की उपस्थिति रैगुलर होनी चाहिये।

मुझे पहले से ही काम करने का शौक था। रात दिन मैंने काम किया है। यहां से एक मिनट के लिये भी गैरहाजिरी होना मैं अपने लिए गुनाह समझता हूं। जैसा मैंने अभी अर्ज किया मुझे एक तो पहले ही काम करने का बहुत शौक था और दूसरे मुझे प्रधान मंत्री जी की कोठी के पास फ्लैट मिल गया है और इसलिए हर वक्त प्रधान मंत्री जी का वह संदेश "आराम हराम है", उसकी ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहती है। आराम हराम है इसकी शुआएं यानि किरणें मेरे दिल को हमेशा छूती रहती हैं, वैसे वाकई यह बात सही है कि जब तक हम अपने देश का निर्माण न कर लें तब तक आराम हराम है। आज देश के निर्माण का काम हमें करना है। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि हम हर एक की राय को जानने की कोशिश करें। जो यहां हाउस की सिटिंगस से गैरहाजिर रहते हैं और कोरम पूरा नहीं करते है वह दोषी हैं और यह उस जनता की आवाज को जिसने उन्हें यहां चुन कर भेजा है, नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मेरा दरख्वास्त यह है कि इस बिल को वापिस लिया जाय और मैम्बरान से यह कहा जाय कि वे ठीक समय पर आया करें और ठीक समय पर यहां से जाया करें। सैशंस ज्यादा लम्बे न किये जाय। छोटे छोटे किये जायें क्योंकि मेम्बरों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भी काम करना होता है और जनता के पास जा कर उनकी राय लेनी होती है। कानून का यह तखय्युल हमारे सामने है —:—

विधि जनता की इच्छाओं की विधि रूप में अभिव्यक्ति होती है।

जब पीपुल की राय को हम यहां ऐक्सप्रेस नहीं कर सकते तो फिर यहां हमारा बैठना बेकार है। इसलिए थोड़ी सी सुविधा के लिए अपने कर्तव्य से बचने की जो चेष्टा इस बिल के द्वारा हो रही है वह सर्वथा अनुचित है। मनुष्य को सुविधा, असुविधा की कोई पर्वाह न करते हुए सतत अपने कर्त्तव्य पूर्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिये और कर्त्तव्य की ओर बढ़ने का मतलब ही यह है कि आराम हराम हो जाता है, सुविधा हराम हो जाती है। हमें रात दिन काम करना है और जब रात दिन काम करना है तो यह अच्छा नहीं लगता कि यहां प्रोसीडिंग्स चलती रहें, हाउस चल रहा है और हम लोग बाहर फिरते रहें, कोई कनाट प्लेस में घूम रहा है तो कोई चांदनी चौक में फिर रहा हो। इसलिए मेरा ऐसा ख़याल है कि अगर इस बिल को हम पास करेंगे तो यह अनडेमोक्रेटिक होगा, उन अनकांट्यूशनल होगा। जिस जनता के नुमायन्दे बन कर हम यहां आये हैं उसके प्रति हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे।

अगर एक दिन कोरम के अभाव में हाउस ऐडजोर्न हो जाता है तो उससे जनता के ऊपर २५,००० रुपये का बोझ पड़ता है। अब बजाय यह बिल लाया जाता, हम इस बारे में सोच कर कोई

[श्री यशपाल सिंह]

ऐसा बिल लायें कि जो शख्स गैरहाज़िर होगा वह दोष का जिम्मेदार होगा । उस गैरहाजिर व्यक्ति के ऊपर डेमोक्रसी के हनन करने का दोष होगा । इस तरह का बिल लाने के बजाय इस तरह का बिल यहां आना चाहिये था ताकि कोई भी मैम्बर बैठक के समय हाउस से गैरहाज़िर न रह सके । मैं द्विवेदी जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह अपने इस बिल को वापिस ले लें । उन्होंने देशभक्ति और जनसेवा का जो मार्ग अपनाया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और हम सब इस के लिए उन के बहुत मशकूर हैं लेकिन अपने इस मौजूदा बिल को वापिस ले लेवें तभी यह डेमोक्रेसी ठीक तरह से चल सकेगी ।

श्री ज० प्र० ज्योतिषी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि श्री म० ला० द्विवेदी ने जो संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ ऐसे विचार प्रकट करने हैं, जो विचार मुमकिन है कि शायद सरकार को भी पसन्द न हों । सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का बिल सदन के सामने नहीं आ पाया, इस को मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूं, क्योंकि इस तरह का बिल प्रजातंत्र को मज़बूत करने वाला नहीं है । मैंने इस देश में प्रजातंत्र स्थापित किया है । प्रजातंत्र के माने यह होते हैं कि हम जोकि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपस में चर्चा करें और विचार विनिमय करें । एक व्यक्ति किसी विषय में क्या विचार रखता है उन विचारों को सुनें और फिर उसके ऊपर अपनी राय क़ायम करें । कहा गया है इंग्लैंड में क्या हो रहा है और सीलोन में क्या क्या हो रहा है ? ठीक बात है वहां इस तरह का विधान हो, कि कोरम न होते हुए भी बहस चलती रही हो और केवल मतदान लेते वक्त कोरम का ख्याल किया जाता हो । किन्हीं देशों में अगर ग़लतियां हो रही हैं तो इसके माने यह नहीं हैं कि हम अपने देश में भी ग़लती करें ? यह बड़ी ग़लत चीज़ होगी अगर हम ग़लत बातों का अनुकरण करते हैं । हमको अपने विधेयक से काम लेना चाहिये । चूंकि इस देश में हम ने प्रजातंत्र स्थापित किया है इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रजातंत्र पर आघात करने वाली किसी भी ज़ग़लत प्रणाली की हम नक़ल न करें । मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम ९ या १० लाख व्यक्तियों का प्रतिनिविधत्व करने के लिए यहां आये हैं, उन्हों ने हम पर एक जिम्मेदारी डाली है और जब हम इस सदन में उसकी पूर्ति को आये हैं तो क्या कारण है कि हम लोग इस सदन में न बैठें । यह कोरम की कमी आख़िर हो ही क्यों ? मैं समझता हूं कि ऐसा विधेयक आता कि सदन के अंदर कोरम में जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिये सदस्यों को इसके लिए मजबूर किया जा सकता कि वे यहां सदन की कार्यवाही के दौरान बैठे रहें । तो ज्यादा ठीक होता ।

हम सब लोगों ने जनता का प्रतिनिधित्व करने की कसम ली है । आख़िर हम लोग चाहते क्या हैं ? क्या हम यह चाहते हैं कि सदन के सदस्य रहते हुए हम अपनी वक़ालत करते रहें, और दुकान आदि चलाते रहें ? क्या हम चाहते हैं कि जब सदन यहां चल रहा हो तो हम सिनेमाओं में बैठ कर नाच व गाने का आनन्द उठाते रहें ? जब हम ने जनता का प्रतिनिधित्व करने की कसम खाई है तो हमारा लाज़िमी कर्त्तव्य है कि जब सदन चल रहा हो तब सदन के अंदर उपस्थित रहें और विचार विनिमय आदि करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, विचारों के आदान प्रदान की बुनियादी पर प्रजातंत्र कायम होता है । अगर हम इस सदन की बहस में शामिल नहीं रहते हैं, इस सदन में जब तक बहस चलती है, उस समय उपस्थित भी नहीं रहते हैं तो हम एक दूसरे के विचारों को कैसे समझ सकेंगे ? "वादे वादे जायते तत्व बोधा" । ज्ञान-प्राप्ति का रास्ता यही है कि हम बहस मबाहिसा करें और उन में भाग लें । बहस मुबाहिसे के द्वारा देश व समाज के लिए कौन चीज़ मुफ़ीद है और कौन हानिकारक, उस पर सोच विचार कर के उचित फैसले पर पहुंचें । मैं महसूस करता हूं कि श्री द्विवेदी सदन के सामने

जो विधेयक लाये हैं वह मूलत: एक ग़लत विधेयक है। इससे हमारे प्रजातंत्र की बुनियाद कमज़ोर पड़ने वाली है। कोई भी प्रगति प्रजातंत्र के कार्य में इस के द्वारा नहीं आने वाली है। हमारे मित्र द्विवेदी जी ने जो कोरम का प्रश्न उठाया कि कोरम के पूरा न रहने के कारण कभी कभी बहस स्थगित करनी पड़ती है और काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता है तो मैं समझता हूं कि हम विधान में ऐसी दुरुस्ती करें जिससे कि कोरम पूरा रखना हमारे लिए लाज़िमी हो जाय। यह नहीं कि हम लोगों को इस प्रकार से और भी छट दे दें कि वे इस सदन की कार्यवाही में शामिल न हों। यह बड़ी ग़लत चीज़ है। अगर यह विधेयक हम आज पास करते हैं तो मुझे लगता है कि उसका नतीजा कल यह होने वाला है कि एक नया अमेंडमेंट आयेगा और मुमकिन है कि फिर वोट देने के लिये भी हम यहां पर इकट्ठा होना आवश्यक न समझें। शायद एक ऐसा विधेयक यहां से पास कर दिया जाय और विधान में संशोधन कर दिया जाय कि मैम्बर लोग अपना वोट प्रौक्सी से कर सकें या अपने घरों में बैठे रह कर अपनी दुकानों व अदालतों में बैठे रहकर चिट्ठी के ज़रिए अपनी राय लिख कर भेज दें कि उन की क्या राय है। एक व्हिप हो जाय कि हमारी पार्टी का यह मत है और पार्टी के मत के अनुसार मैम्बर लोग घर बैठे हुए अपना मत लिख कर भेज दें। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की दृष्टि से यह विधेयक उचित नहीं है। इस के बारे में शासन का क्या मंतव्य था वह मुझे द्विवेदी जी की बात से मालम हुआ। शासन का क्या मंतव्य है मुझे इसका इल्म हुआ लेकिन, मैं समझता हूं कि इस बारे में फिर से विचार किया जाय और अभी जल्दी में इस को हाउस में प्रैस न किया जाय।

†**श्री कुं कृ० वर्मा** (सुल्तानपुर) : संविधान में उपबन्ध है कि यदि संसद् चाहे तो गणपूर्ति संबंधी उपबंध में परिवर्तन कर सकती है। श्री द्विवेदी का संशोधन उचित है कि विधेयक के विचार के समय गणपूर्ति पर आग्रह न किया जाय और केवल विधेयक आदि के पारित होने के समय गणपूर्ति पर अनुरोध किया जाय। इससे प्रजातंत्र को कोई हानि नहीं होती, अन्य कई देशों में भी ऐसा होता है। गणपूर्ति न होने पर कार्य न होने की अवस्था में भारी वित्तीय हानि होती है। अत: यह संशोधन विधेयक पारित होना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्री द्विवेदी का यह विधेयक सर्वथा अनुचित है। संविधान सभा ने पूर्ण रूपेण विचार करने के पश्चात् गणपूर्ति का उपबन्ध रखा था कि गणपूर्ति हुए बिना सभा का कार्य नहीं चलना चाहिये। इस चर्चा के अन्दर वित्तीय भार को लाना उचित नहीं है। क्या इसी विचार से इतने महत्वपूर्ण मामले का निर्णय किया जा सकता है ? यदि यही बात है तो सभा और विधान मंडलों को समाप्त करने का सारा व्यय रोका जा सकता है। देश के संसदीय प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए गणपूर्ति जरूरी होती है। नगर पालिकाओं में भी ऐसा उपबन्ध होता है। क्या सत्तारूढ़ दल के ३७५ सदस्य और ६० मंत्री जन गणपूर्ति कायम नहीं रख सकते। यहां ८–९ लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व प्रत्येक सदस्य करता है। फिर इतने सचेतक होने के बावजूद, गणपूर्ति को हटाना वांछनीय नहीं है। सभा की कोई परम्परा संविधान के प्रतिकूल नहीं हो सकती। यदि सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत से संविधान को बदलने का उपबन्ध करना चाहता हो तो अलग बात है। मैं तो इस पक्ष में हूं कि गणपूर्ति के मामले में संविधान के अनुच्छेद १०० का पालन होना ही चाहिये। चुनने वाले लोग क्या समझेंगे ? क्या ४५–५० करोड़ जनता ५० सदस्यों की उपस्थिति की भी अपेक्षा लोक सभा में नहीं कर सकते ? यह प्रजातंत्र के सर्वथा विरुद्ध है।

संसद् प्रजातंत्र को स्थापित करना बड़ा आवश्यक होता है और साथ ही बड़ा कठिन भी। इस के लिए गणपूर्ति का उपबन्ध कड़ा होना चाहिये। जो लोग गणपूर्ति बनाये नहीं रख सकते, संसदीय प्रजातंत्र का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। संसद् कार्य मंत्री ने बताया था कि विधि मंत्रालय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णू कामथ]

इस मामले पर विचार कर रहा है और शीघ्र ही एक विधेयक पेश करेगी मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक का उत्तर मसौदा बनाया जायगा । इस विधेयक का सदस्य को समर्थन नहीं करना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक के सभी प्रक्रम ५ बजे तक समाप्त होंगे । प्रत्येक सदस्य को ५ मिनट मिलेंगे ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : संसदीय चर्चा में ऐसा अनुचित है । यदि समय इतना कम है तो मैं नहीं बोलूगा ।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : भारतीय प्रजातंत्र का पड़ौसी देशों में बड़ा आदर है । किन्तु यह विधेयक बड़ा बुरा है क्योंकि प्रजातंत्र में बहुत थोड़े व्यक्तियों द्वारा किये गये निर्णय का जनता में वह मान नहीं होता, जो होना चाहिये ।

जब संसद् गणपूर्ति को घटा देगी तो सभी स्थानीय बोर्ड आदि भी इसको अपनायेंगे और परिणाम यह होगा कि केवल कुछ गिने चुने व्यक्ति ही निर्णय किया करेंगे और प्रजातंत्र का प्रतिनिधि स्वरूप नष्ट हो जायगा । संविधान के अनुसार गणपूर्ति को घटाने बढ़ाने का उपबन्ध विधि द्वारा होना चाहिये ,परन्तु अब नियमों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जो उचित नहीं । हमें वर्तमान उपबन्धों को कायम रखना चाहिये, यदि हम उनको सुधार नहीं सकते ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यह ऐसा विधेयक है, जिस का हम कई बार जोरदार विरोध कर सकते हैं ।

संसार के सभी संसदों में गणपूर्ति का उपबन्ध है बल्कि अमरीका में तो बहु संख्या गणपूर्ति होती है और आस्ट्रेलिया में सभा के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होती है । इस प्रकार कनाडा में २० से गणपूर्ति होती है । परन्तु हमारे देश में इस उपबन्ध को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है । सभा के अध्यक्ष को गणपूर्ति का ध्यान रखना पड़ता है ।

श्री मोरे ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक दिन में तीन तीन बार गणपूर्ति नहीं होती । एक निर्दिष्ट समय में सदस्यों को न गिनने की जो प्रथा बन चुकी है, वह बहुत बुरी है और संविधान की भावनाओं के विपरीत है । हमें अपनी सभा की कार्रवाई को अवास्तविक बनने से रोकने के लिये सभा में हमेशा गणपूर्ति रखनी चाहिये ।

सभा में गणपूर्ति न रहने का उत्तरदायित्व सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों के सचेतकों पर होता है ।

श्री द्विवेदी के विधेयक द्वारा प्रक्रिया के नियमों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव सांविधानिक उपबन्ध के प्रतिकूल है, जो सर्वथा अनुचित है ।

हम इतने महत्वपूर्ण निर्णय तथा विधियां यहां पास करते हैं जिनका समस्त देश के लोगों पर प्रभाव पड़ता है । अतः यह काम बहुत थोड़े लोगों की उपस्थिति पर छोड़ देना ठीक नहीं क्योंकि वैसी विधि प्रतिनिधायी विधि नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोडा) : इतने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिये ५० से कम गणपूर्ति नहीं होनी चाहिये। कई बार सभा में गणपूर्ति नहीं होती। अतः यदि इसे विधि के रूप में पारित कर दिया गया तो बहुत बुरा प्रभाव होगा। अतः हमें सदस्यों को शिथिल बनाने वाला उपबन्ध नहीं करना चाहिये। विधेयक को वापिस लिया जाना चाहिये।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** : प्रजातन्त्र में निर्णय करने के लिये यथासंभव अधिक लोग होने चाहियें, परन्तु यह विधेयक इस सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर २ सदस्य भी विधेयक पारित कर सकेंगे। क्या यह प्रजातन्त्र का मजाक नहीं होगा? क्या इस उदाहरण को अन्य निकाय नहीं अपनायेंगे? फिर क्या होगा प्रजातन्त्र के स्थान पर निरंकुशता का राज्य हो जाएगा। सत्तारूढ़ दल को, जिनका इतना बहुमत है, गणपूर्ति कायम रखनी चाहिये। यह दुःख की बात है कि बिना गणपूर्ति बड़े महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। यह विधेयक संविधान के अनिवार्य उपबन्ध के भी प्रतिकूल है। अतः मैं अपील करूंगा कि प्रजातन्त्र को बनाये रखने की दृष्टि से यह विधेयक वापिस ले लिया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हे। मैं समझता हूं कि यह सदन प्रजातांत्रिक उसूलों का मन्दिर है, यह जनता जनार्दन की मूर्ति है और संसद के जितते सदस्य हैं वे सब उसके पुजारी हैं। इस अवस्था में यह बिल लाना उचित नहीं है। इसमें केवल सवाल कोरम का नहीं है, इसमें सवाल है कि ऐसा करने से प्रजातांत्रिक उसूलों का हनन होगा।

आप ठंडे दिल से सोचें कि जो कानून हम इस सदन म पास करते हैं वह इस देश के करोड़ों लोगों पर लागू होते हैं। अगर हम १५ या २० आदमी मिल कर उन कानूनों को पास कर दें तो वे लोग जो कि यहां आकर हसरत भरी निगाहों से हमारी तरफ देखते हैं, उनके दिल म यह खयाल पैदा होगा कि इतते थोड़े से आदमी मिल कर जनता के भाग्य का निर्णय कर देते हैं। इसका असर लोगों पर गलत पड़ेगा। मैं समझता हूं कि संसद के सदस्यों का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि संसद के काम को सही तरीके से चला ने की कोशिश करें।

मैं आपकी इजाजत से कहूंगा कि संसद के सदस्यों के बारे में बाहर लोग क्या कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छी नौकरी मिल गयी। किसी ने मजाक में कहा कि संसद सदस्य की परिभाषा क्या है, तो दूसरे ने हंसते हुए कहा कि चार सौ रुपया माहवार, २१ रुपया रोज, हां, ना की नौकरी, राज भवन में भोग, बोलो क्या है, संसद सदस्य। जनता समझती है कि हमारे ऊपर देश का काफी पैसा खर्च होता है और उस पर अगर यह बिल पास हो जाएगा तो उसका परिणाम यह होगा कि सदन में केवल भाषण देने वाला और आप नजर आयेंगे और तीसरा आदमी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होगी।

†**श्री सोनावने** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य सभा में नहीं आयेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं तो यहीं रहता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह रूलिंग पार्टी का फर्ज़ है कि वह कोरम को मैनटेन रखे। यह सवाल नहीं है कि पार्लियामेंट में कौन ज्यादा रहता है या कौन ज्यादा नहीं रहता। हम लोग तो विशेष रूप से जोंक की तरह चिपके रहेंगे।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आनरेबिल मेम्बर ने शायद इस बिल को पढ़ा नहीं है। इसमें कोरम घटाने की बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कहता हूं कि फिर संशोधन लाने का क्या मौका था ।

श्री सत्य नारायण सिंह : विधान से हटा कर इस चीज को रूल्स में लाने का उद्देश्य है । किसी पार्लियामेंट में या किसी कांस्टीट्यूशन में कोरम नहीं रखा गया है। अफसोस है कि हमने कांस्टाट्यूशन म इसे पास कर दिया । अब १५ साल के अनुभव के बाद हम इस चीज को रूल्स में लाना चाहते हैं । तो इसमें कोरम घटाने का सवाल कहां उठता है । इसको रूल्स आफ प्रोसाज्योर में लाना है । फिर आप चाहे कोरम ५० के स्थान पर ७५ रख लें, आपको अधिकार है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** यह कहना कि किसी भी संविधान में गणपूर्ति की व्यवस्था नहीं है गलत है । अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं समझता हूं कि हमारा संविधान अक्लमंद आदमियों ने बनाया है । अगर आज हम यह कहें कि वे अक्लमंद आदमी नहीं थे तो मैं कहूंगा कि उन लोगों के प्रति एक गम्भीर कटाक्ष करना होगा । अगर आप इस बिल को पास करेंगे तो तो मैं समझता हूं कि विधान की हैसियत एक स्कूल के लड़के की एक्सरसाइज़ बुक जैसी हो जाएगी कि जिसको जब चाहा काट दिया और बदल दिया । जब चाहा तब विधान को बदल दिया ऐसा करने से तो यह बच्चों का खेल हो जाएगा । ऐसा करके तो जो सरकार प्रजातांत्रिक उसूलों पर चलना चाहती है, वही उनका जनाजा निकाल रही है और हम जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि तुम खलल अन्दाज होते हो । इस बिल को पास करना प्रजातांत्रिक उसूलों पर कुठाराघात करना होगा और इसलिए इसको पास नहीं किया जाना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि अपोजीशन का यह कर्तव्य है कि अगर सदन में कोरम न हो तो वह सदन को इस बात का ध्यान दिलाए । हमको जनता ने यहां चुन कर भेजा है और मैं समझता हूं कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है । मैं समझता हूं कि संसद सदस्य इस बात को महसूस करें कि उनका क्या फर्ज है और विधान में इस तरह को चेंज न किया जाए । हमको विधान में हमेशा काट छांट नहीं करते रहना चाहिए । इस प्रकार से विधान को बदला गया तो इसका लोगों पर बुरा प्रभाव होगा । मैं समझता हूं कि इस बिल को वापस लिया जाएगा और मिनिस्टर साहब आफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स, जो कि प्रजातंत्र के प्रतीक हैं और जिनका कर्तव्य है कि सदन में पूरा कोरम रक्खें, अपने इस कर्तव्य का पालन करेंगे : ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सबका कर्तव्य है ।

†**श्री हजरतवीस :** हम महसूस करते हैं कि इस मामले पर और विचार किया जाए और कि यह गैर सरकारी विधेयकों के लिए निर्धारित सीमित समय में खत्म नहीं किया जा सकता । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करौलबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम १९५९ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन विधेयक दिल्ली के किसानों को जो सुविधाएं पहले के कानून के अनुसार दी गई हैं, उनको पूरा करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

श्रीमन्, हम ने १९५४ के अन्दर दिल्ली भूमि सुधार नामक एक विधेयक दिल्ली की विधान सभा में पास किया और दिल्ली के उन किसानों को जो कि वह और उनके पूर्वज जिस भूमि को जोतते चले आ रहे थे और अपने अधिकार से वंचित थे, उनको अधिकार दिया गया । सन् १९५४ का जो भूमि सुधार अधिनियम बना उसमें यह अधिकार उनको दिया गया कि जो भूमि को जोतता है बोता है वही उसका मालिक होगा,उसका स्वामी होगा ।

वह विधेयक तो पास हो गया । अधिनियम बन गया और लागू हो गया किन्तु जो किसानों को एक आशा थी, बहुत दिन से एक आशा थी और हमारी सरकार का भी कहना है कि भूमि उसकी जो उसको जोते या बोये, वह आशा पूरी नहीं हुई है । उसके जब बनने का समय आया तो उसमें एक कमी या ख़ामी रह गयी और उसी को मैं बताने के लिए एक छोटा सा विधेयक लाया हूं । इस विधेयक के द्वारा जो कमी रह गयी है उस की तरफ जो मैंने संकेत किया है वह मैं बताना चाहता हूं ।

इस विधेयक में कहा गया है कि एक अधिकार दिया गया था १९५४ के विधेयक में और फिर १९५९ के विधेयक में जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया था कि चीफ कमिश्नर महोदय को या डिप्टी कमिश्नर महोदय को यह अधिकार होगा कि उनके द्वारा जो भूमिधारी के सर्टिफिकेट अथवा प्रमाण पत्र दिये जायेंगे वे सही होंगे । विधेयक में या अधिनियम में तो यह बात नहीं थी किन्तु दिल्ली प्रशासन में, या तो यह समझिये कि उन्होंने उस अधिनियम को समझने की कोशिश नहीं की या उनकी शब्दावली का जो भावार्थ था उसे वे अच्छी तरह से नहीं समझ सके । उसके कारण जो अधिकार डिप्टी कमिश्नर को दिये गये थे या चीफ कमिश्नर महोदय को दिया गया था कि चीफ कमिश्नर महोदय एक सूचना के द्वारा, राजकीय गजट में एक सूचना के द्वारा किसी को अधिकार देंगे, डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर जो है वह भूमिधारी का जो सर्टिफिकेट है वह बांटेगा, हुआ यह कि चीफ कमिश्नर साहब ने ऐसा लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया कि भाई भूमिधारी का सर्टिफिकेट बांटना है और डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने नीचे वाले अधिकारी को बुला कर रैवेन्यु असिस्टैंट को कह दिया, माल अफसर ने कहा कि जो भूमिधारी के सर्टिफिकेट्स हैं वे बांट दिये जांय । जो माल अफसर थे वे थोड़ा और आगे चले गये । उन्होंने तहसीलदार को कहा कि भूमिधारी के सर्टिफिकेट्स बांट दिये जांय । उस समय इस कानून का कोई ख़याल नहीं किया गया और उस के कारण यह भूमिधारी के सर्टिफिकेट्स बांटे गये । सारी दिल्ली के अन्दर इस तरीक़े के भूमिधारी के प्रमाणपत्र लोगों को दिये गये । प्रमाणपत्र जिस समय मिले तो एक बड़ी आशा सामने आई । वह किसान जो सैकड़ों वर्ष से दबे चले आ रहे थे उन्होंने एक संतोष की सांस ली । उस ने यह सोचा कि अब मैं भूमि का मालिक बन गया हूं क्योंकि मुझे भूमिधारी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है । घरों में और गांवों में बहुत खुशियां मनाईं और यह कहा कि आज हमारे लिए एक नवल प्रभाकर का उदय हुआ है,

[श्री नवल प्रभाकर]

एक नव जागरण का समय आया है किन्तु वह जो नवल प्रभाकर का उदय हुआ था, वह अस्त होने वाला है। वह उस समय अस्त होने लगा जबकि जो ज़मींदार लोग थे, उन्होंने दावे दायर कर दिये और दावे दायर करके उन्होंने यह कहा कि जो प्रमाणपत्र दिये गये है वे सही नहीं दिये गये है। इस की जांच पड़ताल हुई। मुकद्में चले और काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ। वह बेचारा किसान, वह बेचारा मुजारा जोकि आशा लगाये हुए बैठा था, जिसके कि पास पूंजी नहीं थी, पैसा नहीं था, उसे एक यह उम्मीद थी कि ज़मीन मिलेगी और वह उसको जोतेगा, वह आशा निराशा में बदल गयी। उसको अदालतों के दरवाज़े देखने पड़े। १९५४ से लगा कर आज तक कितना समय हो गया है बराबर अदालत के दरवाज़े वह लोग देख रहे है। जिस जिस मिली हुई ज़मीन को वह एक वरदान समझने लगा था वह उसके लिए एक अभिशाप हो गया है क्योंकि वह उस भूमि पर अच्छी तरह से कोई भी काम नहीं कर सकता है। आये दिन रोज अदालत में खड़ा रहता है और जो वकील साहब हैं उन-को पैसा देता है। आज उन बेचारे ग़रीब किसानों की पैसा देने की इतनी हिम्मत भी नहीं है। उतना उनके पास देने को पैसा भी नहीं है किन्तु जितना कर्ज मिल सकता था, जितना छोटा मोटा ज़ेवर था उसको बेच बाच कर उस में लगा दिया लेकिन उसके बावजूद भी उसका परिणाम यह निकला कि जो उनकी आशा बंधी थी वह निराशा में बदल गयी। एक, दो नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ अदालत के अन्दर फेल हो गये। वह ज़मींदार जोकि हजारों साल से कब्ज़ा किये चले आते थे, उन किसानों और मुजारों का शोषण करते चले आ रहे थे वह फिर से मालिक हो गये। सरकार का एक आशय था सरकार ने एक वरदान दिया था वहां दिल्ली की असेम्बली और उसका समर्थन यहां पर इस सदन के अन्दर भी किया गया १९५९ में किन्तु श्रीमन्, आज वह वरदान और समर्थन जो यहां से हुआ था वह उन के लिए अभिशाप हो गया। अब उनके पास कोई बड़ी पूंजी तो थी नहीं, जितना उनको थोड़ा बहुत जेवर आदि बेच कर कर्ज मिल सकता था, वह उस में लगा दिया। आज वह लोग बिलकुल मुफलिस हो गये हैं। आज उन के पास पैसा नहीं है और जिस ज़मीन को उनको आशा थी, वह आशा भी उन के पास नहीं रही है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को माना जाय और मान कर उन लोगों को जिनको कि हम ने यह एक वरदान दिया था, जो उन को एक राहत दी थी, और जिस राहत की वह बहुत आशा लगाये हुए थे, अब इस बिल को मान कर उनको फिर से वह राहत दी जाय।

उसके अन्दर एक और भी इस तरह की बात है कि १९५९ मैं हम ने लैंड रिफार्म्स बिल को अमेंड किया और अमेंड करने के बाद इस तरह का हम ने उस के अन्दर संशोधन किया। उस संशोधन मैं यह कहा गया कि अब तक जो ज़मीन बिक गयी है वह बिक गयी है। १५ गांवों की उस में मैं कहानी आप को बतलाऊं। जब १९५४ का भूमि सुधार कानून दिल्ली की विधान सभा में आया और उस के बाद जब वह पास हुआ तो उस समय दिल्ली के सारे गांवों पर वह लागू किया गया। दिल्ली के सारे गांवों पर वह लागू हो गया किन्तु थोड़े दिन के बाद ही मैं नहीं कह सकता किन कारणों से, दिल्ली विधान सभा ने जब उस के अन्तिम दिन के अन्तिम घड़ी के अन्दर, जो आख़िरी आध घंटा था, उस में एक बिल लाया गया और उस बिल के द्वारा यह कहा गया कि चूंकि दिल्ली का शहर बढ़ रहा है और दिल्ली शहर बढ़ने के लिए, उसको अरबन ऐरिया बनाने के लिए उस में और ज़मीन की आवश्यकता है, इसलिए कुछ ख़ास पंद्रह गांव थे, जिन को भूमिदारी से वंचित कर दिया गया। वे पंद्रह गांव भूमिदारी से वंचित हो गये और किसी को पता भी न चला, क्योंकि दिल्ली एसेम्बली टूटने वाली थी और जल्दी में वह बिल पास कर दिया गया। वह बिल वहां से पास तो हो गया और कानून भी बन गया, लेकिन उस के बाद हमारे महामान्य गृह मंत्री जी, स्वर्गीय पंडित पन्त, को उन किसानों ने कहा, "श्रीमन्, हम ने क्या क सूर किया है कि सारी दिल्ली में तो यह कानून

लागू किया गया, लेकिन हम को जो अधिकार दिया गया, वह हम से छीन लिया गया ?" स्वर्गीय पन्त जी ने जब उन की करुण कहानी सुनी, तो उन को सारी स्थिति समझ में आ गई और एक संशोधन करने के लिए एक विधेयक यहां पर लाया गया, जिस के अनुसार उन पंद्रह गांवों को फिर से भूमिदारी के अधिकार दिये गये। उस विधेयक में कुछ इस तरह की शब्दावली रखी गई कि १९५४ के बाद और उस विधेयक के आने से पहले, इस बीच में, जो ज़मीन बिक गई है, उन ज़मीनों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

उस कानून के बनने के बाद फिर मुकदमेबाज़ी हुई और आप जानते है कि जो पैसे वाले होते हैं, बड़े ज़मींदार लोग होते हैं, वे अदालत का रास्ता अख़्त्यार कर लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सैकड़ों ज़मींदारों ने अदालत में जा कर झूठे बयाने, एडवांस रकमें, लिखवा दिये। उन्होंने यह लिखवा दिया कि उन की ज़मीन १९५४ या उस से पहले बेची गई थीं, ताकि जो कानून बना, वे उस की ज़द में न आ सकें। आज दिल्ली की अदालतों और हाई कोर्ट में ऐसे बहुत से मामले पड़े हुए हैं। बहुत से किसानों के ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले हो गये हैं और वे बेचारे अपने अधिकारों से वंचित हो गये हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ़ से उन को अधिकार दिये गये, उन को आश्वासन दिया गया और उन्होंने एक सुख की सांस ली, लेकिन जैसे किसी भूखे के सामने भोजन रख दे और जब वह एक ग्रास उठा कर मुंह में डालने लगे, तो उस का हाथ पकड़ लिया जाये, आज वही हालत उन लोगों की है। मैं गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकार उन को दिया गया है, वह अधिकार कायम रहे और शब्दावली का जो हेर-फेर है, उस को ठीक कर लिया जाये। मैं चाहता हूं कि उस हेर-फेर को ठीक कर के उन ग़रीब किसानों को उन के अधिकार उसी प्रकार से प्राप्त किये जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि इस के उद्देश्यों में लिखा हुआ है, दिल्ली लैंड रिफ़ार्म्ज़ एक्ट, १९५४ की धारा ११ और १३ के अन्तर्गत डिपुटी कमिश्नर को यह अख़्त्यार दिया गया था कि वे किसानों को भूमिदारी का अधिकार दें। इस के साथ ही डिपुटी कमिश्नर को यह भी पावर थी कि वह जिस किसी को चाहे, उस को भी इस बात का अख़्त्यार दे कि वह किसानों को भूमिदारी का अधिकार दे सके। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने इस तरह का अख़्त्यार नहीं दिया और, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, जिन बहुत से किसानों को भूमिदारी के अधिकार दिये गये थे, अदालतों ने उन को इस आधार पर बेदख़ल कर दिया कि चीफ कमिश्नर ने बाकायदा गज़ेट जारी कर के रेवेन्यू एसिस्टेंट को डिपुटी कमिश्नर के कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार नहीं दिया था और डिपुटी कमिश्नर ने स्वयं उन को भूमिदारी के अधिकार नहीं दिये थे। इस कारण बहुत से किसानों को मुक्सान उठाना पड़ा है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन यह कहा गया है कि ऐसा फ़ैसला हुआ है कि चूंकि डिपुटी कमिश्नर ने इस में हुक्म नहीं दिया है, इसलिए जो भूमिदारी के हक दिये गये हैं, वे रद्द कर दिये गये है। जहां तक मेरा ख़याल है, जहां तक मैं ने मालूम किया है, जितने फ़ैसले हुए है, वे सब किसानों के हक में हुए हैं। उन में कहा गया है कि अगर कार्रवाई डिपुटी कमिश्नर ने नहीं भी की है, रेवेन्यू एसिस्टेंट ने किया है, फिर भी जो कुछ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

उन्होंने हुक्म दिया है, वह वाजिब है। इस तरह के हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं। अगर कोई फ़ैसला इस से भिन्न हुआ हो, तो मैं उस की जानकारी लेना चाहता हूं।

श्री सरजू पाण्डेय : यह तो माननीय सदस्य ही बता सकते है, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है।

श्री हजरनवीस : अगर वह बतायें, तो में कुछ कह सकूंगा।

श्री सरजू पाण्डेय : मुझे तो ऐसे केसिज़ मालूम नहीं है, लेकिन इस बिल के उद्देश्यों में यह बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी बात हुई है, तो लाज़िमी तौर पर इस धारा को तब्दील करना चाहिए और उन तमाम किसानों को, जो इस दौरान में बेदख़ल किये गये है सिर्फ़ इस आधार पर कि जिन लोगों ने उन को भूमिदारी के राइट दिये, उन को भूमिदारी के राइट देने का अख़्त्यार डिपुटी कमिश्नर ने नहीं दिया, भूमिदारी के अधिकार देने चाहिए। इस बिल को पेश करने वाले माननीय सदस्य को इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी। में समझता हूं कि कानून की इस तरह की गड़बड़ियों को दूर किया जाना चाहिए, जिन के कारण हज़ारों लोग सफ़र करते है। इस कानून के बनने के बाद उन बेचारों को यह आशा बंधी थी कि हम ज़मीनों के मालिक बनेंगे, लेकिन उन की आशाओं पर बहुत अधिक कुठाराघात हुआ है। इस लिए मेरा निवेदन है कि अगर इस किस्म की बातें हुई हैं, तो मंत्री महोदय को लाज़िमी तौर पर इन सुझावों को मानना चाहिए और एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए, ताकि जो किसान बेदख़ल हुए है, उन सब को भूमिदारी का अधिकार मिले।

श्री सूर्य प्रसाद (भिण्ड) : उपाध्यक्ष महोय, माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर, ने जो बिल रखा है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इस बिल की भावना तो बहुत अच्छी है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि जिन लोगों को ज़मीनों के पट्टे दिये गए, उनको कानूनी त्रुटि की वजह से परेशानी हुई। मुझे खुशी है कि कृषि मन्त्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। यह सिर्फ़ दिल्ली का मसला नहीं है, बल्कि सारे देश में लोगों को इस तरह के पट्टे दिये गए और उनमें बहुत सी ख़ामियां हैं। मैं तो कहूंगा कि केवल दिल्ली की तरफ़ ही एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं जाना चाहिए, बल्कि लैंड रिफ़ार्म्ज़ के सिलसिले में जितने भी कानून बनें हैं उनमें जो भी ख़ामियां हैं, होम मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को उनकी देखभाल करनी चाहिए।

आज सारे देश में यह नारा लगाया जाता है कि पैदावार बढ़ानी चाहिए। हमको विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता है और उसके बदले में काफ़ी सोना देना पड़ता है। मैं तो कहूंगा कि महत्व की दृष्टि से डिफ़ेंस के बाद दूसरा जो महकमा है, वह एग्रीकल्चर का है, देश के लोगों के लिए खाने-पीने की सामग्री को जुटाने का है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जैनविन टिल्लर के पास ज़मीन होनी चाहिए। दुनिया भर की कोशिश की गई, ब्लाक बनाए, यह बनाया गया वह बनाया गया, लेकिन फिर भी हमारे लक्ष्य के अनुसार पैदावार नहीं बढ़ी। इसका एक मतलब यह है कि देश में जो जैनविन टिल्लर है, उस के पास ज़मीन नहीं है। दूसरे मुल्कों में ज़मीन का रकबा कम है लेकिन पैदावार ज्यादा है, जबकि हमारे मुल्क में ज़मीन का रकबा ज्यादा है, पैदावार कम है।

मैं अपने इलाक़े की बात कहता हूं। सीलिंग और दुनिया भर की रिफ़ार्म्ज़ होने के बाद भी, ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन न हुई। अभी एक एक आदमी के पास तीन, चार सौ एकड़ ज़मीन है। आप सोचिए कि जिस आदमी के पास तीन, चार सौ एकड़ ज़मीन है, वह उतनी अच्छी तरह काश्त नहीं कर

सकता, जितनी अच्छी तरह थोड़ी ज़मीन वाला कर सकता है, जो यह समझता है कि यह मेरी ज़मीन है। जिस के पास तीन चार, सौ एकड़ ज़मीन है, वह ज्यादा से ज्यादा तीस या चालीस बीघा ज़मीन पर काश्त कर सकता है। बाकी या तो वह बटाई से करावेगा, या नौकर रख कर करेगा। जो नौकर होता है वह जमीन से उतनी अच्छी पैदावार नहीं कर सकता है जितनी अच्छी खुद मालिक जो होता है वह कर सकता है। उसकी अपनी ज़मीन होती है और जब वह खुद मेहनत करता है तो पैदावार भी बहुत ज्यादा करता है। मैं कहना चाहता हूं कि लैंड रिफार्म के आपने जितने कानून बनाये, उनकी देखभाल करना भी आपका फर्ज़ है। आपको देखना चाहिये कि जो जैनुइन टिल्लर है जो मेहनत और मुशक्कत लगा कर ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने की कोशिश करता है, उसको ज़मीन दी जाए। इसके बगैर खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती है। एक आदमी जो मकान में रहता है, उसको अगर आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यह भी देखना होगा कि आप उसमें खिड़कियां बनायें, तथा आसपास उसके सफाई रखें और जब तक ऐसा नहीं होता है आप उसको स्वस्थ नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से गाय को ही आप लें। उससे आप ज्यादा से ज्यादा अगर दूध लेना चाहते हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि गाय कसाई के पास है या उसकी जो पूजा व सेवा करता है, उसके पास रहती है। अगर इस की तरफ ध्यान आप नहीं देते हैं तो गाय ज्यादा दूध नहीं दे सकती है। यही मसला ज़मीन का है। आपको देखना होगा कि आया जमीन जो जैनुइन टिल्लर है उसके पास है या शहर में या तहसील हैडक्वार्टर में जो रहता है और दूसरा धंधा करता है और यही कोशिश करता है कि जितना उनका मिल गया उतना ही ठीक है, उसके पास है। अगर ज़मीन एक ऐसे आदमी के हाथ है जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैदा कर सकता हो, उसके स्त्री बच्चे सब सामूहिक मेहनत करके ज्यादा फसल पैदा करने की कोशिश करते हों, तो यह जो खाद्य समस्या है हल हो सकती है। हमारे देश में बहुत भारी संख्या खेतीहर लोगों की है। उनके पास ही ज्यादा से ज्यादा खे ी की ज़मीन रहनी चाहिये। बस देखने की केवल इतनी जरुरत है कि ज़मीन किस के पास है।

इन शब्दों के साथ माननीय नवल प्रभाकर जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और जो दिक्कत सामने आई हैं, उनका निराकरण करने की कोशिश की है उनको शासन को दूर करना चाहिये और यह कोशिश करनी चाहिये कि जो जैनुइन टिल्लर है, उसके पास ही ज़मीन रहे।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): मैं माननीय नवल प्रभाकर जी को इतना सुन्दर बिल लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के भूमिधारी एक्ट में कमियां रह गई थीं, उनको दूर करने की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर वे खामियां दूर नहीं होती हैं तो किसान सुखी नहीं हो सकेंगे

उपाध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है। यह बिल सिर्फ दिल्ली के बारे में है।

श्री यशपाल सिंह: उन्होंने ज़िक्र किया है कि उत्तर प्रदेश के भूमिधारी कानून के मुताबिक यहां का कानून है। वह बिल मेरे हाथों का बनाया हुआ है। उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश असेम्बली में था। मैं उन खामियों को समझ रहा हूं।

श्री हजरनवीस : माननीय सदस्य लोकसभा में हैं, उत्तर प्रदेश असेम्बली में नहीं हैं। अब वह यहां आ गए हैं।

श्री यशपाल सिंह : इस बिल की जो सबसे बड़ी खामी है वह यह है कि ज़मींदारी प्रथा का जब तक एबालिशन नहीं हुआ था, तो ज़मींदारी एबालिशन में तीन साल तक ज़मींदार डिग्री नहीं कर सकता था, लगान की डिग्री तीन साल तक नहीं कर सकता था और फिर डिग्री में भी वह उसके बैलों को, हल को, गाड़ी को और मकान को नहीं ले सकता था। यह ला इसलिए डिफैक्टिव है कि इसमें हर छः

[श्री यशपाल सिंह]

महीने में काश्तकार की कुर्की हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके हथकड़ियां डाल दी जाती हैं, उसके बैल, उसकी गाड़ी, उसका हल इत्यादि नीलाम कर दिये जाते हैं। यह जो बहुत बड़ी परेशानी है, इसको दूर किया जाना चाहिये। यह जो बिल माननीय सदस्य लाये हैं, यह बहुत सुन्दर कार्य उन्होंने किया है और इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

किसानों के ऊपर आज जो बार है, उसको आप देखें। मान लीजिये जो ज़मीन दी गई थी वह छः साल में दी गई थी और छः साल तक किसान उससे महरुम रहा, उससे वंचित रहा। छः साल तक किसान को नुकसान हुआ है, उसको पे करना भी सरकार का काम है और कहीं न कहीं से उसका कम्पेन्सेशन उसको मिलना चाहिये, चाहे ज़मींदार से कराया जाए या सरकार खुद करे। काश्तकार के ऊपर बोझ न पड़े, इसको आप देखें।

मैं नवल प्रभाकर जी से कहना चाहता हूं कि उनको फैसिमिस्ट कभी नहीं होना चाहिये। प्रभाकर कभी अस्त हीं हो सकता है। मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।" यह अस्त नहीं हो सकता है। यह हमेशा उदय रहेगा और हम लोग दुनिया की तरफ जब भी देखेंगे कल्याण के लिए देखेंगे। गुड इज़ मोर दैन ए मैच फॉर बैड। हमेशा यही होगा कि सत्य जीतेगा और असत्य हारेगा। हमेशा धर्म की जीत होगी और अधर्म हारेगा! यह कहना कि नवल प्रभाकर अस्त हो गया है यह सुन्दर नहीं है। हम इसको मानते हैं कि संसार में हम आशावाद के लिए, सुन्दरता के लिए, सत्यं शिवंसुन्दरम् के लिए आए हैं और जब तक इस मिशन में हम सफल नहीं हो जाते हैं, इस ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक सचाई के लिए लड़ते रहेंगे और उसी के लिए हम काम करते रहगे, संघर्ष करते रहेंगे।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि काश्तकार को जो छः साल के अन्दर नुकसान हुआ है, उसको जमींदार या सरकार पूरा करे।

श्री हजरनवीस : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से प्रेरित हो कर यह विधेयक लाया गया है, उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन जिस सवाल के आधार पर इन्होंने इसको यहां उपस्थित किया है, वह अस्तित्व में ही नहीं है।

आपको याद होगा मैंने पूछा था कि अभी तक हाईकोर्ट से कोई ऐसा फैसला हुआ है जिसमें कहा गया हो कि चूंकि डी० सी० ने रेवेन्यू असिस्टेंट को यह अख्त्यार दिया नहीं है, इसलिए जो कार्रवाई रेवेन्यू असिस्टेंट के सामने हुई, वह नाजायज़ थी और इसलिए भूमिधारी हक नहीं नहीं दिया गया? अगर इस तरह का कोई फैसला होता तो हमारा कर्तव्य होता कि हम सोचें कि कुछ न कुछ दुरुस्ती की जाए। जब हम विधेयक में यह कहते हैं कि फलां चीज़ होनी चाहिये और उसमें हम को कोई कठिनाई होती है, दिक्कत आ जाती है महज़ इसी वजह से कि प्रोसीजर की कोई बात, व्यवस्था की कोई बात ठीक तरह से नहीं की गई है और इसलिए जो हक मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है, तो ज रुर मैं मानता हूं कि हमें कानून में उस तरह की दुरुस्ती करनी चाहिये जिससे कानून के मुताबिक जो लोगों को हक मिलना चाहिये वह मिल जाए। लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं हुआ है कि प्रोसीजर में कोई कमी है। अभी दो चार जो फैसले हुए हैं हाईकोर्टस के, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि रेवेन्यू असिस्टेंट के सामने जो कार्रवाई हुई है वह ठीक हुई है और डी० सी० को जिस तरह के हुक्म करने चाहियें, उस तरह के हुक्म उन्होंने किए हैं और रेवेन्यू असिस्टेंट ने आगे जो कार्रवाई बढ़ाई, प्रोसीजरल कार्रवाई की वह ठीक तरह की थी

श्री यशपाल सिंह : हाईकोर्ट तक पहुंचते पहुंचते किसान के जो हज़ारों रुपये खराब हुए हैं, उसको कौन पूरा करेगा और वे कैसे पूरे होंगे?

श्री हजरनवीस : जब तक कोई झगड़ा करने को तैयार है तब तक कोर्ट के दरवाज़े उसके लिए बन्द नहीं हो सकते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि जब किसान को जमींदार के खिलाफ हक दिया जाता है तो ज़मींदार हाईकोर्ट तक मामले को पहुंचाये बिना नहीं रहते हैं, चाहे आप कानून कैसा ही बना लें। यह तो होता ही है। ऐसा कानन कोई नहीं बन सकता है जिसके बारे में अदालत में कोई न कोई सवाल खड़ा न किया जा सके। वह तो होगा ही। फिर भी हम मानते हैं कि साफ तौर से कानून बनना चाहिये और उस पर इस तरह से अमल किया जाना चाहिये जिससे किसी तरह के झगड़े की कोई गुंजाइश न रहे और न ही कानून में किसी तरह के शक की गुंजाइश रहे।

जहां तक मुझे मालूम है ऐसे दो चार मामले और भी हैं जिन में जो अधिकार दिये गये हैं, उसके ऊपर संशय ज़ाहिर किया गया है और वे मामले हाईकोर्टस के विचाराधीन हैं। अगर उनका फसला इस तरह का होता है कि रेवेन्यू असिस्टेंट ने जो कार्रवाई की वह नाजायज़ थी, तो ज़रूर कानून में दुरुस्ती करने की बात सरकार सोचेगी।

इतना आश्वासन देने के बाद मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस विधयक को वापिस ले लेंगे और मैं उनसे दरख्वास्त भी करता हूं कि वह इसको वापिस ले लें।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : छोटे किसानों को अनावश्यक लिटिगेशन से बचाने के लिए क्या यह उकित न होगा कि सरकार स्वयं इस तरह के केसिस को सटडी करे ताकि कानून में जो खामी रह गई है, उस खामी को दूर किया जा सके ?

श्री हजारनवीस : अभ तक जो फैसले हुए हैं, उनके अनुसार किसी हाईकोर्ट ने कानून में कोई खामी नहीं पाई है। जब तक खामी पाई नहीं जाती है तब तक दुरुस्ती किस बात की की जाए ?

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके उत्तर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि १९५४ में यह बिल आया और उसके बाद इसने कानून का रूप धारण किया। कानून बनते ही मुकदमेबाज़ी शुरू हो गई और बहुत से लोगों बेदखल हो गए। इस समय यह एक बड़ी भारी समस्या सरकार के सामने है और लोगों को सामने भी है। जब नीचे के कोर्ट ने बेदखल कर दिया तो बहुत से लोग जो कि, जैसा मैंने कहा, बहुत गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनमें आगे लड़ने की हिम्मत नहीं थी, वह नीचे के कोर्ट ने जैसा फैसला दिया उसको मान कर बैठ गये। वे आगे नहीं बढ़ सके।

मैं आप का आश्वासन तो माने लेता हूं, किन्तु उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों के मामलों का लोअर कोर्ट में फैसला हो गया और जो अपने अधिकार से वंचित हो गये। ऐसे केस एक या दो नहीं हैं, सैकड़ों हैं। जो लोग जरा सम्पन्न थे या जिन को पैसा मिल सकता था वह तो हाई कोर्ट में चले गये, किन्तु कितने किसान हाई कोर्ट में जा सकेंगे, यह देखने की बात है। एक, दो या चार आदमी हाई कोर्ट में चले गये तो चले गये लेकिन सैकड़ों लोग नीचे के कोर्ट से ही घबरा कर रुक गये। मैं बतलाना चाहता हूं कि जब मैं गांव में जाता हूं तो गांव के लोग क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम ने हमें भूमिधर बनाया, पहले हम रोटी तो दो जून खा लेते थे, अब वह बात भी खत्म हो गई।

इस में एक बात और भी है कि जब उस के खिलाफ लोअर कोर्ट में फैसला हो गया तो उस का दिल टूट गया। उस ने काश्त नहीं की। जब उस ने काश्त नहीं की तो उस की गिरदावरी बदल गई, और ऐसे बहुत से केसेज हुए। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बीच में जो ऐसे लोग हैं जोकि आगे मुकदमे नहीं ले जा सके और जिन की गिरदावरियां बदल

[श्री नवल प्रभाकर]

गईं, उन का क्या होगा, यह एक सोचने वाली बात है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के किसानों के जीवन में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । एक तरफ तो उस को दिखलाने के लिये कह दिया गया कि हम ने तुम को भूमिधर बना दिया और वह खुश हो गये, दूसरी तरफ उन के जो अधिकार थे, चाहे आप उस को प्रशासन की गलती समझिये या यह समझिये कि जो जमींदार थे उन की ऐप्रोच थी उस के कारण, जो कुछ उन को मिलने वाला था वह उन को नहीं मिला । यह जो गफलत की गई है उस के कारण लोगों को जो कठिनाई, परेशानी और जो हानि हुई है उस का मंत्री महोदय ने कोई हल नहीं बतलाया, कोई समाधान नहीं बतलाया ।

जैसा उन्होंने कहा, अगर हाई कोर्ट ने किसानों के खिलाफ फैसला दे दिया तो वे स्वयम् एक विधेयक लायेंगे । अच्छी बात है, विधेयक लाया जाना चाहिये, लेकिन विधेयक लाने के बाद इतना तो जरूर सोचना चाहिये कि जो नुक्सान उन किसानों का हुआ है, जो परेशानी उन को हुई, जो कठिनाई उन को भुगतनी पड़ी, उस को जाने भी दिया जाये, किन्तु जो नुक्सान हुआ है, उस का हर्जाना दिलाने का भी सरकार को कोई प्रबन्ध करना चाहियें, उस के लिये कोई कदम उठाना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर विश्वास करता हूं और मैं समझता हूं कि वह किसानों को न्याय दिलायेंगे । मुझे इस की पूरी उम्मीद भी है क्योंकि सरकार पहले स्वयम् बिल लाई और उन को अधिकार दिलाया, किन्तु किसी गफलत से वह अधिकार से वंचित हो गये । मैं ने जो आप का ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझता हूं कि आप सहानुभूतिपूर्वक उस की ओर देखेंगे और हाई कोर्ट के फैसले को भी देखेंगे तथा किसानों को जो कठिनाइयां, परेशानियां और जो आर्थिक हानि हुई है और जो जमीन की हानि हुई है उस के सम्बन्ध में उन को सन्तोष दिलाने की कृपा करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या वे विधेयक को वापिस लेते हैं ?

†**श्री नवल प्रभाकर :** जी, हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या उन्हें विधेयक वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त है ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** हां ।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

पुस्तकें तथा समाचार पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक

(धारा २ का संशोधन)

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुस्तकों तथा समाचार पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९६४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

---

†मूल अंग्रेजी में

हम देखते हैं कि रविन्द्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी, फैज़ खां, आर० सी० बोराल और अन्य विख्यात व्यक्तियों और गायकों की कविताओं, वक्तव्यों और गानों के पुराने रिकार्ड खत्म हो रहे हैं । उनकी किसी भी प्रति को सुरक्षित नहीं रखा जाता है । इस विषेयक में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को ग्रामोफोन रिकार्ड दिए जाने चाहिएं ताकि राष्ट्रीय खज़ानों को सुरक्षित रखा जाए ।

जैसा कि किताबें सार्वजनिक पुस्तकालययों को भेजी जाती हैं वैसे ही ग्रामोफोन रिकार्ड भी भेजे जाने चाहिएं ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

---

*आकाशवाणी से संसद कार्यवाही का प्रसारण

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काम्मीर) : आकाशवाणी से संसद की कार्यवाही का प्रसारण कम होता है और उस का स्तर भी उचित नहीं है । संसद की कार्यवाही के बारे में कम प्रसारण किया जाता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या ८६७ के उत्तर में १५ अप्रैल, १९६३ को उपमंत्री ने बताया कि "संसद् में आज कार्यक्रम" ('टू डे इन पार्लियामेंट') को इस लिए विलम्बित कर दिया गया क्योंकि आपातकाल में सामयिक महत्व के कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना चाहिए । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या संसद की कार्यवाई सामयिक दिलचस्पी नहीं रखती ।

बी० बी० सी० और अमेरिका रेडियो पर वहां के संसदों की कार्यवाई का काफी प्रसारण किया जाता है ।

आकाशवाणी पर संसद की कार्यवाई समाचार बुलेटिनों में सुनाई जाती है और वह भी बहुत संक्षेप से ।

आकाशवाणी की विदेशी सेवाओं में भारत की संसद की कार्यवाई के बारे में कम समाचार दिए जाते हैं । चीनी अतिक्रमण के सम्बन्ध में संसद ने कई महत्वपूर्ण निर्णयन किए । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन के प्रसारण के लिये क्या कदम उठाए ।

मेरा पहला सुझाव यह है कि संसदीय कार्यवाई के प्रसारण के लिए आकाशवाणी में एक स्थायी सैल बनाना चाहिए । इस काम के लिए जो व्यक्ति रखे जाएं उन्हें टैक्नीकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ।

इस सभा के सदस्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है । एक तो सरकारी सदस्य, दूसरे विरोधी दल के सदस्य, तीसरे स्वतन्त्र सदस्य जो कि सांझे हैं । इन तीनों श्रेणियों के सदस्यों के संसद की कार्यवाई में भाग के प्रचार में संतुलन करना चाहिए ।

'टू डे इन पार्लियामेंट' (संसद में आज) कार्यक्रम फिर से शुरू कर देना चाहिए । इस के लिए दस मिनट का समय भी दिया जाए तो उचित होगा ।

संसद सदस्यों में सामूहिक चर्चा का कार्यक्रम आरम्भ किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा]

समाचार पत्र और आकाशवाणी संसद की कार्यवाई के प्रसारण के दो साधन हैं । आकाशवाणी पर तो सरकार का नियन्त्रण है । उस की कमियां दूर करने के लिए कदम उठाएं जाने चाहिएं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या आकाशवाणी में जो कमियां हैं उस का कारण आकाशवाणी का एकाधिकार नहीं है । इसे अधिकतर लोकप्रिय संस्था बनाने के लिए निगम बना दिया जाए ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: जब आकाशवाणी से संसद कार्यवाही के प्रसारण के बारे में प्रश्न पूछा गया तो कुछ सदस्यों ने 'ट्डे इन पार्लियामेंट' (संसद में आज') कार्यक्रम को हटाए जाने के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की । मैं ने अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में इस कार्यक्रम को हटाने के कारण बताए। कारण यह था कि आपातकाल के कारण कुछ सामयिक विषयों जिन का सम्बन्ध आपातकाल से था पर बातचीत इत्यादि के लिए समय देना पड़ता था । मैं ने यह भी बताया था कि सामयिक विषयों के बारे में प्रसारण उस समय होना चाहिए जिस समय बहुत लोग सुनते हैं ।

हमारे मंत्रालय का संसद की अवहेलना करने का इरादा नहीं है । संसद तो संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च संस्था है । हम ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं जो कि सभा के महत्व को कम करें ।

चर्चा में पहली बात यह कही गई है आकाशवाणी द्वारा संसद की कार्यवाही का पर्याप्त प्रसारण नहीं होता है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद में आकाशवाणी के संवाद-दाता व्यापक रूप से संसद की कार्यवाई की रिपोर्ट भेजते हैं । यहां से वे रिपोर्टों को आकाशवाणी के सामान्य समाचार कमरे को भेजते हैं । वहां पर कार्यवाई का मध्याह्न को विभिन्न देशी और विदेशी बुलिटीनों में शामिल करने के लिए संपादन किया जाता है । शाम को वरिष्ठ सम्पादक सारे दिन की संसद की कार्यवाही का संपादन करते हैं । ऐसा करते समय अन्य देशी और विदेशी और संयुक्त राष्ट्र आदि के महत्वपूर्ण समाचारों का ध्यान रखा जाता है और १०–१५ मिनट के बुलिटीनों में इन समाचारों के लिए भी स्थान निकाला जाता है ।

किसी विशिष्ट बुलिटीन के लिये संसद की कार्यवाई के प्रसारण का समय निश्चित नहीं है । ११, १३ और १५ से १८ अप्रैल के ६ दिनों के बुलिटीनों के आंकड़े मेरे पास हैं । इन दिनों के अंग्रेजी समाचार बुलिटीनों के अध्ययन से पता चलता है कि संसदीय कार्यवाई को ६ से ९ दिन का समय दिया गया । इन बुलिटीनों में बोलने वाले सभी सदस्यों के नाम तो बताए गए हैं और समय की कमी के कारण सभी सदस्यों के भाषणों का ब्योरा नहीं दिया जा सका ।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : क्या सभी दिनों में ऐसा ही होता है या ये दिन मंत्रालय के पक्ष में हैं, इसलिए उन्हें चुना गया है ।

†**श्री शामनाथ** : ऐसा नहीं है । मैं अन्य दिनों के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर सकता हूं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मुझे इस में सन्देह है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम नाथ :** माननीय सदस्य की तसल्ली के लिए मैं अवश्य जानकारी एकत्रित करूंगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हम तो बुलिटीन सुनते हैं।

†**श्री शाम नाथ :** अन्य दिनों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। मैं ६ दिनों का उल्लेख कर रहा था जब कि संसदीय कार्यवाई को ६ से ९ मिनट लगे। उदाहरणतः ११ अप्रैल को ९ मिनट लगे और ६ सदस्यों के वक्तव्यों का उल्लेख किया गया।

†**श्री भागवत झा आजाद :** कौन से ६ सदस्य हैं ?

†**श्री शाम नाथ :** मेरे पास उन माननीय सदस्यों के नाम नहीं हैं। ११ अप्रैल के ६ बजे के अंग्रेजी बुलिटीन में ६ सदस्यों के वकतव्यों का उल्लेख किया गया था। १३ अप्रैल के बुलिटीन में संसदीय कार्यवाई को ८ मिनट दिए गए : १५ अप्रैल को ६ मिनट ; १६ अप्रैल को ७$_1/_2$ मिनट ; १७ अप्रैल को ६$^1/_2$ मिनट और १८ अप्रैल को ७ मिनट। समाचार बुलिटीन में संतुलन रखना पड़ता है। यदि संसद की कार्यवाई को अधिक समय दिया जाए तो अन्य समाचारों का समय कम करना पड़ेगा। सम्पादक संसद की कार्यवाई और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को उचित महत्व देते हैं।

जहां तक कांग्रेसी दल और विरोधी दल के सदस्यों के व्यक्तव्यों को रूपया देने का संबंध है, आकाशबाणी को इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। सम्पादक विभिन्न सदस्यों के व्यक्तव्यों के लोक महत्व की ओर ध्यान देते हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : क्या सम्पादक संसद सदस्यों से सामूहिक चर्चा करेंगे जब सामूहिक चर्चायें आरम्भ की जाएंगी ?

†**श्री शाम नाथ :** मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। दूसरी बात यह कही गई है कि आकाशवाणी के संवाददाताओं का व्यक्तव्य का काम संतोषजनक नहीं है।

माननीय सदस्य श्री मलहोत्रा ने कहा कि संसदीय कार्यवाही के प्रसारण के लिये अलग से कोई एकक नहीं है। ५ या ६ संवाददाताओं का एक दल है जिस के नेता आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता जिन्हें २० वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव है। इस दल में अन्य अनुभवी पत्रकार भी है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** तब भी इतना बुरा काम है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मेरे विचार में रिपोर्ट पक्षपात रहित होती है।

†**श्री शाम नाथ :** आकाशवाणी की रिपोर्ट व्यापक होती है। यहां से रिपोर्ट शाम को प्रयोग में लाने के लिए समाचार कमरे में भेजी जाती है। अतः यह कहना गलत है कि संसदीय कार्यवाही के प्रसारण के लिए प्रबंध संतोषजनक नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हमें तो एकक की कार्यक्षमता पर एतराज है।

†**श्री शाम नाथ :** तीसरी बात यह कही गई थी कि संसदीय कार्यवाही को सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही थी। इस समय संसदीय कार्यवाही के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री शाम नाथ]

यदि सदस्य चाहते हैं कि "टू डे इन पार्लियामेंट" (संसद में आज) कार्यक्रम पुनः आरम्भ किया जाए तो आपातकाल से संबंधित कोई अन्य कार्यक्रम बन्द करना पड़ेगा।

यह भी कहा गया था कि इस सभा में आपात काल में संबंधित चर्चा के बारे में संसद को परिचित नहीं किया गया था। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि विदेशी सेवाओं में संसदीय कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है। विदेशी प्रसारणों में संसदीय कार्यवाही को उतना समय नहीं दिया जाता जितना कि देशी बुलिटनों में। यह कहना कि संसद की कार्यवाही की अवहेलना की जाती है गलत है।

अन्य बात यह कही गई कि प्रसारणों के लिए संसद सदस्यों को आमन्त्रित नहीं किया जाता है। मेरे पास सूची तो नहीं है, परन्तु पिछले ६ या ७ महीनों में कई सदस्यों को विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए आमन्त्रित किया गया। यह कहा जा सकता है कि अधिक सदस्यों को बुलाया जा सकता था, परन्तु यह कहना कि संसद सदस्यों को अपना मत व्यक्त करने नहीं दिया जाता सर्वथा गलत है।

सामूहिक चर्चा के सुझाव पर विचार किया जाएगा और जो कुछ हो सकेगा किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चर्चा समाप्त हो गई। सभा कल ग्यारह बजे के लिए स्थगित की जाती है।

इस के पश्चात् लोक-सभा शनिवार, ४ मई, १९६३/१४ वैशाख, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, ३ मई, १९६३

१३ वैशाख, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	५८२५—५५
	तारांकित प्रश्न संख्या	
११५२	जापान के साथ वस्तु विनिमय करार	५८२५–२७
११५४	छोटे ट्रैक्टरों का उत्पादन	५८२७—२९
११५५	अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन	५८२९—३१
११५७	विदेशों से मंगाई गई मोटरगाड़ियों की चोरबाजारी	५८३१—३५
११५८	कच्चे लोहे का आयात	५८३५–३७
११५९	इस्पात की ढली वस्तुओं का उत्पादन	५८३७—३९
११६०	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	५८३९—४१
११६१	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	५८४१—४३
११६२	रूस को अफीम का संभरण	५८४३—४५
११६४	सिराजुद्दीन एंड कम्पनी	५८४६—४८
११६५	कपास का निम्नतम मूल्य	५८४८–४९
११६६	कृत्रिम रबड़ के कारखाने	५८४९–५०
११६७	औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	५८५०–५१
	अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
११	स्वीडन के साथ व्यापार करार	५८५१–५२
१२	बोकारो इस्पात कारखाना	५८५२—५५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	५८५५—७८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
११५३	मोटर साइकिलों का निर्माण	५८५५
११५६	टीन के डिब्बों की कमी	५८५६

विषय. पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११६३	राज्य व्यापार निगम द्वारा मूल्य जांच	५८५६
११६८	इस्पात पिंड संयंत्र, रांची	५८५७
११६९	कृषि वस्तुओं पर किस्म नियंत्रण	५८५७–५८
११७०	नमक का निर्यात	५८५८–५९
११७१	टीन के डिब्बों का निर्माण	५८५९
११७२	पूर्वी पाकिस्तान में पटसन मिलों को चौड़े करघों का संभरण	५८५९–६०
११७३	भारत में निर्मित आटो-ट्रांसफार्मर	५८६०
११७४	ट्रांजिस्टरों के लिये बैटरी सैलों की कमी	५८६०
११७५	रबड़ की आवश्यकता	५८६०–६१
११७६	इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार.	५८६१–६२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६७५	इस्पात के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा	५८६२
२६७६	उड़ीसा में नमक उद्योग	५८६२
२६७७	उड़ीसा के लिये भारी उद्योग	५८६२
२६७८	अखबारी कागज का उत्पादन तथा आयात	५८६३
२६७९	हथकरघा वस्त्र उद्योग	५८६३
२६८०	महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने	५८६३–६४
२६८१	महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग	५८६४
२६८२	कपास का आयात	५८६४–६५
२६८३	पाकिस्तान से आयात	५८६५
२६८४	मद्रास में छोटे पैमाने का उद्योग	५८६५
२६८५	मद्रास में औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	५८६६
२६८६	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, कलकत्ता	५८६६
२६८७	राजस्थान में कर्ज देने के लिये कम्पनियां	५८६६–६७
२६८८	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	५८६७
२६८९	आसाम में छोटे पैमाने के उद्योग	५८६७–६८
२६९०	राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया अप्रत्यक्ष व्यापार	५८६८
२६९१	पंजाब में कच्चा लौह अयस्क संयंत्र	५८६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६६२	बेयरिंग के लिये आयात लाइसेंस देना	५८६६
२६६३	राज्य व्यापार निगम द्वारा बेयरिंगों की सप्लाई	५८७०
२६६४	बीड़ी तथा सिगरेट का उत्पादन	५८७०
२६६५	सोमालिया से व्यापार	५८७०–७१
२६६६	मंत्री का दौरा कार्यक्रम	५८७१
२६६७	विस्फोटकों का निर्माण	५८७१
२६६८	वस्तु विनिमय	५८७१–७२
२६६९	सीमेंट का अपमिश्रण	५८७२
२७००	जूता उद्योग	५८७२
२७०१	बिजली के तारों का निर्माण	५८७२–७३
२७०२	मोर पंखों का निर्यात	५८७३
२७०३	रबड़ के पौधों का पुनारोपण	५८७३–७४
२७०४	अण्डमान में रबड़ के बागान	५८७४
२७०५	रेशमी कपड़े की कीमत	५८७४–७५
२७०६	कपड़े की मिलें	५८७५
२७०७	राज्य व्यापार निगम द्वारा रुसी घड़ियों का आयात	५८७५–७६
२७०९	पाकिस्तान के साथ व्यापार	५८७६
२७१०	भिलाई इस्पात परियोजना	५८७६
२७११	कम्पनियों में इंस्पैक्टरों की नियुक्ति	५८७६–७७
२७१२	पाकिस्तान को बांसों का निर्यात	५८७७–७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ५८७८–७९

श्री च० का० भट्टाचार्य ने १९ फरवरी, १९६३ को झारखंड कोयला-खान में हुई दुर्घटना की ओर, जिस के फलस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य व्यक्तियों को चोटें आयीं, जिस के बारे में यह कहा जाता है कि उसकी सूचना कोयला-खान के प्रबन्धक वर्ग ने दबा ली थी, श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५८७९
(१) वर्ष १९६१–६२ के लिये कोयला बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।	
(२) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २४ की उप धारा ३ के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।	
याचिका का उपस्थापन	५८७९
श्री उटिया ने कुछ डालमिया-जैन समवायों के प्रशासन संबंधी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश की ।	
विधेयक पारित	५८८०—८९
२ मई, १९६३ को प्रस्तुत निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।	
विधेयक विचाराधीन	५८९०—५९०३
गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने प्रस्ताव किया कि संघ राज्यक्षेत्र (शासन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	५९०३–०४
इक्कसीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित	५९०४–०५
(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९६३ (धारा ३३ का संशोधन) [श्री चं० का० भट्टाचार्य का]	
(२) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९६३ (धारा ३, ४ आदि का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	
(३) मंत्रियों की सम्पत्ति का बताया जाना विधेयक, १९६३ [श्री हरि विष्णु कामत का]	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—वापिस लिये गये	५९०५—०७
(१) श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा १९–४–६३ को प्रस्तुत किये गये बीमा (संशोधन) विधेयक, (धारा ३१-क और ४०-ग का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।	

विषय पृष्ठ

(२) श्री नवल प्रभाकर ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। उन्होंने वाद-विवाद का भी उत्तर दिया। विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया। ५९१७—२४

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वाद-विवाद स्थगित ५९०७—१६

श्री म० ला० द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन) पर विचार किया जाये। श्री हजरतवीस ने विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा वाद-विवाद स्थगित हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन ५९२४–२५

श्री च० का० भट्टाचार्य ने प्रस्ताव किया कि पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक) धारा २ का संशोधन) पर विचार किया जाये।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा ५९२५—२८

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ने आकाशवाणी से संसद्कार्यवाही के प्रसारण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ८६७ के दिनांक १५ अप्रैल, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) ने चर्चा का उत्तर दिया।

शनिवार, ४ मई, १९६३। १४ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना।

GMGIPND--LS III--597 (ai) LS—19-6-63--160.

संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन) [श्री म० ला० द्विवेदी का]· ५९०७--१६

वाद-विवाद स्थगित

विचार करने का प्रस्ताव

श्री म० ला० द्विवेदी ५९०७--१०
श्री वारियर ५९१०
श्री मा० श्री० अणे ५९१०
श्री यशपाल सिंह ५९१०--१२
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी ५९१२-१३
श्री कुं० कृ० वर्मा ५९१३
श्री हरि विष्णु कामत ५९१३-१४
श्री शं० शा० मोरे ५९१४
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ५९१४
श्री हिम्मतसिंहका ५९१५
श्री गौरी शंकर कक्कड़ ५९१५
श्री स० मो० बनर्जी ५९१५-१६
श्री हजरतवीस ५९१६

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, [श्री नवल प्रभाकर का]--वापिस लिया गया ५९१७--२४

विचार करने का प्रस्ताव

श्री नवल प्रभाकर ५९१७--१९
श्री सरजू पाण्डेय ५९१९-२०
श्री सूर्य प्रसाद ५९२०-२१
श्री यशपाल सिंह ५९२१-२२
श्री हजरतवीस ५९२२--२४

पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का] ५९२४-२५

विचार करने का प्रस्ताव

श्री च० का० भट्टाचार्य ५९२४-२५

आकाशवाणी से संसद् कार्यवाही के प्रसारण के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५९२५--२८

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ५९२५-२६
श्री हरि विष्णु कामत ५९२६
श्री शामनाथ ५९२६--२८

दैनिक संक्षेपिका, ५९२९--३३

PLS. 41. XVIII 58. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।